




सत्यमेव जयते

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्रों
का प्रतिवेदन
31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2020 की प्रतिवेदन संख्या 2

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्रों
का प्रतिवेदन**

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

**झारखण्ड सरकार
वर्ष 2020 की प्रतिवेदन संख्या 2**

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय-I प्रस्तावना		
प्रतिवेदन के बारे में	1.1	1
लेखापरीक्षिती की रूपरेखा	1.2	1
लेखापरीक्षा की विस्तृत सूचना	1.3	2
लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया	1.4	2
अनुपालन लेखापरीक्षाएँ	1.5	3
पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई	1.6	3
अध्याय-II निष्पादन लेखापरीक्षा		
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग		
झारखण्ड में पुलिस बल का आधुनिकीकरण	2.1	5
अध्याय-III अनुपालन लेखापरीक्षा		
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता तथा योजना-सह-वित्त विभाग		
डेस्क-बैंचों का अधिक क्रय एवं परिहार्य व्यय	3.1.1	69
पथ निर्माण विभाग		
पुल निर्माण पर निष्क्रिय व्यय	3.1.2	71
पथ निर्माण तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग		
निष्क्रिय पाइप पर व्यय	3.1.3	74
कला, संस्कृति, खेल-कूद एवं युवा मामले तथा ग्रामीण विकास विभाग		
स्टेडियम निर्माण पर निष्फल व्यय	3.1.4	77

परिशिष्ट

परिशिष्ट सं.	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ संख्या
2.1.1	पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए अपनाई गयी नमूना चयन पद्धति	2.1.6	81
2.1.2	पुलिस आधुनिकीकरण को बजटीय सहायता	2.1.9.1	83
2.1.3	नमूना जाँचित इकाईयों में मुख्य मारक हथियारों की कमी	2.1.10.4	84
2.1.4	नमूना जाँचित इकाईयों में कारतूस की कमी	2.1.10.4	85
2.1.5	बुलेट प्रूफ जैकेटों की कमी	2.1.11.1	86
2.1.6	नमूना जाँचित इकाईयों में उपलब्ध वाहन	2.1.12.2	87
2.1.7	नमूना जाँचित जिलों में प्रतिक्रिया-समय	2.1.12.3	88
2.1.8	संचार उपकरणों की कमी	2.1.13.1	88
2.1.9	आयु-सीमा से अधिक के पुलिसकर्मी, जिन्हें 2013-18 की अवधि में सी.आई.ए.टी प्रशिक्षण दिया गया, की संख्या दिखाती विवरणी	2.1.14.1	89
2.1.10	प्रशिक्षण संस्थानों में हुए प्रशिक्षणों के परीक्षाफल को दिखाती विवरणी	2.1.14.2	90
2.1.11	प्रशिक्षण के दौरान लक्ष्याभ्यास में कमी को दिखाती विवरणी	2.1.14.2	91
2.1.12	नमूना जाँचित पुलिस इकाईयों में हुए वार्षिक लक्ष्याभ्यास को दिखाती विवरणी	2.1.14.3	93
2.1.13	नमूना जाँचित जिलों में मोबाइल फॉरेंसिक इकाईयों (वैन) की स्थिति	2.1.15.1	94
2.1.14	31 मार्च 2018 को एस.एफ.एस.एल. में गैर-तकनीकी कर्मियों का स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल	2.1.15.3	95
2.1.15	एस.एफ.एस.एल. में लंबित मामलों का प्रभागवार उम्र विश्लेषण दिखाती विवरणी	2.1.15.4	96
2.1.16	एस.एफ.एस.एल. में उपकरणों की आवश्यकता की स्थिति	2.1.15.5	96
2.1.17	झा.पु.हा.कॉ.लि. द्वारा लिये गए कार्यों का विवरण	2.1.16	97
2.1.18	आवासीय क्वार्टर की स्थिति	2.1.16.1	98
2.1.19	पुलिस केंद्र का निर्माण	2.1.16.2	99
2.1.20	नमूना जाँचित थानों एवं चौकियों में आधारभूत सुविधाओं की कमी	2.1.16.3	101

परिशिष्ट

परिशिष्ट सं.	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ संख्या
2.1.21	नमूना जाँचित जिले के अभियानों की विवरणी	2.1.17.2	101
2.1.22	जे.जे. (एस.टी.एफ.) द्वारा किये गए अभियानों की विवरणी	2.1.17.2	103
2.1.23	नमूना जाँचित जिलों में लंबित मामले	2.1.18.1	103
2.1.24	जिला-स्तरीय साइबर थानों के स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल	2.1.18.2	104
3.1.1	22 नमूना जाँचित विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन के विरुद्ध डेस्क-बैंचों के अधिक एवं कम आपूर्ति को दिखाती विवरणी	3.1.1	105
3.1.2	दो प्रमंडलों द्वारा पाइपों के उपयोग का विवरण	3.1.3	107

प्राक्कथन

प्राक्कथन

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन राज्यपाल, झारखण्ड को सुपुर्द करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में झारखण्ड में पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिवेदन में छः विभागों के अनुपालन प्रतिवेदन से संबंधित चार लेखापरीक्षा कंडिकाएँ भी शामिल हैं।

प्रतिवेदन में उल्लेखित दृष्टान्त वैसे हैं, जो 2017-18 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान जानकारी में आये तथा वैसे भी जो पूर्ववर्ती वर्षों में पाये गए किन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके; जहां कहीं आवश्यक है, 2017-18 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी सम्मिलित किये गये हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों तथा लेखापरीक्षा व लेखा विनियम 2007 के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय सम्मिलित हैं। प्रथम अध्याय में लेखापरीक्षा की आयोजना तथा सीमा एवं लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों/ लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर सरकार की प्रतिक्रिया तथा इन पर की गई कार्रवाई के साथ-साथ प्रमुख विभागों के व्यय पर एक संक्षिप्त विश्लेषण शामिल है। अध्याय-II में झारखण्ड में पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा सन्निहित है। अध्याय-III विभिन्न विभागों के चार अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं से संबंधित हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है। लेखापरीक्षा नमूनों का चयन संभाव्यता आनुपातिक आकार (पी.पी.एस.) पद्धति पर किया गया है। निष्पादन लेखापरीक्षा में अपनाई गई विशिष्ट लेखापरीक्षा पद्धति का उल्लेख किया गया है। राज्य सरकार के मंत्रियों को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा निष्कर्ष निकाले गए हैं तथा अनुशंसाएं की गई हैं। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश इस विहंगावलोकन में दिया गया है।

1. झारखण्ड में पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा

आंतरिक सुरक्षा में उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने तथा आंतरिक सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था की समस्याओं से निपटने के लिए सेना तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल पर राज्य सरकार की निर्भरता को कम करने हेतु पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को सहायता देने के लिए पुलिस बल के आधुनिकीकरण (पु.आ.) की योजना शुरू की गई थी। 2013-18 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पु.आ. योजना एवं अन्य आधुनिकीकरण क्रियाकलाप के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित उदघाटित हुआ:

राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम, 1861 को प्रतिस्थापित करने के लिए अक्टूबर 2019 तक राज्य पुलिस अधिनियम नहीं बनाया था। चिन्हित प्रदर्शन संकेतकों के विरुद्ध संगठनात्मक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने एवं व्यापक नीति-निर्देश तैयार करने हेतु राज्य पुलिस बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। लोक तथा आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से निपटने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट आंतरिक सुरक्षा योजना भी तैयार नहीं किया गया है।

(कंडिका 2.1.7)

अनुशंसा: विभाग को समयबद्ध तरीके से राज्य पुलिस अधिनियम का निरूपण, राज्य पुलिस बोर्ड की स्थापना, संगठनात्मक प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए प्रदर्शन संकेतकों की पहचान तथा क्षेत्र-विशिष्ट आंतरिक सुरक्षा योजना को तैयार करना चाहिए।

परिसंपत्तियों और संसाधनों के आकलन द्वारा संसाधनों की कमी की पहचान एवं इन्हें पूरा करने हेतु लक्ष्य निर्धारण के लिए एक रणनीतिक योजना की तैयारी अभी-अभी 2019-20 में शुरू किया गया। परिणामस्वरूप, हालांकि विभाग ने 2013-18 के दौरान गृह मंत्रालय द्वारा संप्रेषित संभावित आवंटन के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो) तैयार किया, परन्तु ये योजनाएँ किसी भी दीर्घकालिक आवश्यकता आकलन या योजना से तैयार नहीं की गई। पुनः, वा.का.यो 99 से 168 दिनों के विलम्ब से प्रस्तुत की गयी।

(कंडिका 2.1.8)

अनुशंसा: विभाग को पुलिस आधुनिकीकरण के लिए समयबद्ध रणनीतिक योजना तैयार करना चाहिए और इससे योजना के सबसे कमी वाले घटकों को प्राथमिकता देते हुए वा.का.यो. को तैयार करना चाहिए।

विभाग ने 2013-18 के दौरान पु.आ. योजना के अंतर्गत ₹ 52.25 करोड़ का राज्यांश जारी नहीं किया तथा ₹ 4.22 करोड़ के केन्द्रांश का उपयोग नहीं कर पाया। धीमी उपयोगिता के कारण ₹ 21.31 करोड़ (2016-18) के केन्द्रीय अनुदान का नुकसान हुआ। परिणामस्वरूप, वर्ष 2013-18 के दौरान वा.का.यो को पूर्णतः कार्यान्वित नहीं किया गया।

(कंडिका 2.1.9)

अनुशंसा: विभाग को केन्द्रीय निधियों का समय पर उपयोग तथा राज्यांश के पूरे हिस्से की विमुक्ति को सुनिश्चित करना चाहिए।

राज्य पुलिस आधुनिक हथियारों की कमी में 28 प्रतिशत (अप्रैल 2013) से 32 प्रतिशत की वृद्धि (अप्रैल 2018) के कारण अभियान के लिए हटाए गए हथियारों पर निर्भर थी। इसके अलावा, क्षेत्रीय इकाईयों के बीच हथियारों और गोला-बारुद का वितरण असमान था।

(कंडिका 2.1.10.1 और 2.1.10.4)

नमूना जाँचित 12 राज्य सशस्त्र पुलिस-बल बटालियनों में बी.पी. जैकेटों की कमी 43 से 100 प्रतिशत के बीच थी जिससे अभियान के दौरान हताहत होने का खतरा बढ़ गया था।

(कंडिका 2.1.11.1)

नक्सल अभियानों के दौरान बारूदी सुरंगों के जोखिम के अलावा राज्य में पहाड़ी इलाकों तथा जंगली रास्तों को ध्यान में रखते हुए विभाग को पुलिस इकाईयों के पास विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए मानक अभी तय करना था। नमूना जाँचित 41

थानों/ चौकियों में 545 विशेष प्रतिवेदित (वि.प्रति.) मामलों का विश्लेषण किया गया जिसमें 116 मामलों (22 प्रतिशत) में प्रतिक्रिया समय दो घंटे से अधिक का था।

(कंडिका 2.1.12.1 और 2.1.12.3)

संचार उपकरणों में 37 से 71 प्रतिशत की कमी के कारण विभाग संचार-दक्षता के न्यूनतम स्तर को संधारित नहीं कर सका। पुनः, राज्य पुलिस संचार के लिए मुख्य रूप से एनालॉग सेट (91 प्रतिशत) पर निर्भर थी, जो संचार के अवरोधन के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं।

(कंडिका 2.1.13.1 और 2.1.13.2)

अनुशंसा: हथियारों, संचार-उपकरणों, बी.पी. जैकेटों एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों की खरीद के लिए विभाग को परिसंपत्तियों और संसाधनों का आकलन पूर्ण करना चाहिए तथा धन के स्रोतों की पहचान करनी चाहिए और राज्य पुलिस बलों को पर्याप्त रूप से सुसज्जित करने के लिए खरीद में तीव्रता लानी चाहिए।

आतंकवाद-निरोधक तथा आतंकवाद-विरोधी प्रशिक्षण जैसे पुलिसकर्मियों को प्रदान किया गया जो निर्धारित आयु सीमा से ज्यादा के थे। पुनः, प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षकों, प्रशिक्षण सामग्री एवं अन्य सुविधाओं की कमी के कारण पुलिसकर्मियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया। कारतूसों की कमी तथा फायरिंग रेंज की अनुपलब्धता के कारण पुलिसकर्मियों को पर्याप्त लक्ष्याभ्यास नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त, नमूना जाँचित चार प्रशिक्षण संस्थानों में 35 प्रतिशत पुलिसकर्मी, जिन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया था, वे अंतिम जाँच-परीक्षा पास नहीं कर सके।

(कंडिका 2.1.14)

अनुशंसा: पुलिसकर्मियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रशिक्षण संस्थान आधुनिक तरीकों एवं सुविधाओं से पर्याप्त रूप से सुसज्जित हों।

जिला, क्षेत्र व राज्य स्तर पर फोरेंसिक व्यवस्था मानकों के अनुरूप नहीं थी। राज्य विधि-विज्ञान विकास बोर्ड, जो विधि-विज्ञान सेवाओं के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी था, सितम्बर 2011 में इसके निर्माण के बाद अकार्यशील रहा।

विभाग ने राज्य विधि-विज्ञान प्रयोगशाला के पाँच प्रभाग स्थापित नहीं किए, एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त नहीं किया तथा “झारखण्ड राज्य विधि-विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली 2012 (भर्ती नियमावली)” को अंतिम रूप नहीं दिया।

तकनीकी पदों में 64 प्रतिशत और गैर-तकनीकी पदों में 93 प्रतिशत की रिक्ति के साथ सुविधाओं की कमी के कारण प्रदर्शों के विश्लेषण में पाँच वर्ष से अधिक (4,795 लंबित मामलों में से 934 अर्थात् 19 प्रतिशत) तथा एक से पाँच वर्ष (4,795 लंबित मामलों में से 2,681 अर्थात् 56 प्रतिशत) का विलम्ब हुआ।

(कंडिका 2.1.15)

अनुशंसा: विभाग को प्राथमिकता के आधार पर एस.एफ.एस.एल. के शेष पाँच प्रभागों को स्थापित करना चाहिए, तकनीकी व गैर-तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति करनी चाहिए, एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए तथा “झारखण्ड राज्य विधि-विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली 2012 (भर्ती नियमावली)” को अंतिम रूप देना चाहिए।

पुलिसकर्मियों के लिए आवासीय सुविधा पर्याप्त नहीं थी और वे केवल 8.66 प्रतिशत पुलिसकर्मियों को ही समायोजित कर सकती थी। गिरिडीह, हजारीबाग (जैप-7), कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में पाँच पुलिस केंद्र के निर्माण कार्य को ₹ 170.21 करोड़ के खर्च तथा निर्माण कार्य शुरू होने के 11 वर्ष बाद भी पूरा एवं परिचालित नहीं किया जा सका। नमूना जाँचित थानों एवं चौकियों में भवन, शस्त्रागार, पृथक हवालात, चाहरदीवारी, वॉच-टॉवर, कांटेदार तार की बाड़ आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी थी।

(कंडिका 2.1.16)

अनुशंसा: सभी अपूर्ण असैनिक कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कर उपयोग में लाना चाहिए। पुलिस थानों, चौकियों एवं पुलिस केंद्र में संरचनात्मक क्षति/कमी को चिन्हित करने हेतु सर्वेक्षण यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए तथा कमियों को दूर करने के लिए समयबद्ध योजना तैयार की जानी चाहिए।

नक्सली खतरे को रोकने के लिए राज्य पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल पर लगातार निर्भर थी। नमूना जाँचित जिलों में अभियानों के विश्लेषण से पता चला कि 69 प्रतिशत अभियान केवल केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा चलाए गये, 25 प्रतिशत अभियान संयुक्त रूप से राज्य बल एवं केन्द्रीय बल द्वारा संचालित किये गये तथा सिर्फ छः प्रतिशत अभियान ही राज्य बल द्वारा संचालित हुए। जे.जे. (एस.टी.एफ.), जो विशेष रूप से नक्सल गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया था, ने केन्द्रीय एवं राज्य पुलिस बलों के साथ संयुक्त अभियान में भाग लिया। इस प्रकार, राज्य केन्द्रीय बलों पर निर्भरता को कम नहीं कर सका।

(कंडिका 2.1.17.2)

अनुशंसा: लोक एवं आंतरिक सुरक्षा की समस्याओं से निपटने तथा प्रभावी नक्सल अभियान चलाने हेतु विभाग को राज्य पुलिस की तैयारियों, क्षमता एवं दक्षता की समीक्षा करनी चाहिए। युवा सैन्य-नेतृत्व एवं प्रशिक्षित कांस्टेबलों को केन्द्रीय बलों के समान सर्वोत्तम उपलब्ध प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ

लेखापरीक्षा ने विशिष्ट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कमियाँ पायी, जो राज्य सरकार की दक्षता को प्रभावित करते हैं। अनुपालन लेखापरीक्षा (चार कंडिकाओं) में पाए गए कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं।

- वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (डीजीएसडी) के दर से अधिक दर पर डेस्क-बैंचों के क्रय के कारण ₹ 2.28 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। इसके अलावा, ₹ 81.54 लाख मूल्य के 1,087 डेस्क-बैंच आवश्यकता से अधिक खरीदे गये, जो बेकार पड़े हुए थे।

(कंडिका 3.1.1)

- पहुँच पथ के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण किए बिना संजय नदी पर पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के परिणामस्वरूप, पुल तीन साल तक निष्क्रिय पड़ा रहा, जिससे ₹ 7.36 करोड़ का व्यय निष्क्रिय हुआ, साथ ही, वर्ष-भर यातायात के सुरक्षित और सुगम परिचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी।

(कंडिका 3.1.2)

- पथ निर्माण विभाग द्वारा ट्रैफिक रोटरी कार्य को बीच में बंद करने तथा उपयोग के कई अवसरों के बावजूद पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा आठ वर्षों में डी.आई. जलापूर्ति पाइप के उपयोग में विफलता के कारण ₹ 1.65 करोड़ की राशि अवरुद्ध रहने के अलावा पाइप पर ₹ 2.56 करोड़ का निष्क्रिय व्यय हुआ।

(कंडिका 3.1.3)

- त्रुटिपूर्ण तकनीकी स्वीकृति के कारण खेल के मैदान के बिना स्टेडियम के निर्माण के परिणामस्वरूप निष्क्रिय संरचना पर ₹ 1.28 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 3.1.4)

अध्याय-1

प्रस्तावना

अध्याय-1

प्रस्तावना

1.1 प्रतिवेदन के बारे में

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा अधिदेश के अनुपालन में 2017-18 के दौरान आयोजित झारखण्ड सरकार के सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्रों के तहत विभिन्न विभागों का अनुपालन लेखापरीक्षाओं का परिणाम इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन का लक्ष्य कार्यकारी के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने तथा शासन प्रक्रिया में सुधार करने तथा विभिन्न विभागों की सार्वजनिक सेवा वितरण को सुधार करने में झारखण्ड विधान सभा को सहायता करना है।

इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित अध्याय शामिल हैं :

अध्याय I: लेखापरीक्षित विभागों के बारे में सामान्य जानकारी


अध्याय II: झारखण्ड में पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय III: छ: विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ

1.2 लेखापरीक्षिती की रूपरेखा

झारखण्ड में कुल 31 में से 27 विभाग सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक (सा.सा.आ.) प्रक्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। इन विभागों का नेतृत्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता आयुक्त/ निदेशक तथा इनके अंतर्गत अधीनस्थ पदाधिकारी करते हैं।

राज्य सरकार ने 2017-18 के दौरान ₹ 82,161 करोड़ के बजट के विरुद्ध केवल ₹ 67,706 करोड़ व्यय किया। 2013-18 के दौरान बजट आकलन तथा वास्तविक व्यय की प्रवृत्ति चार्ट 1 में दर्शायी गई है।



प्रमुख व्यय करने वाले विभागों का विवरण तालिका 1.1 में दिखाए गए हैं।

तालिका 1.1: छः प्रमुख विभागों के व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग	2015-16	2016-17	2017-18
1	सड़क निर्माण विभाग	3,633	4,521	5,328
2	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	5,524	6,637	6,491
3	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग	4,328	3,994	5,130
4	ग्रामीण विकास विभाग	4,001	3,470	8,153
5	शहरी विकास एवं आवास विभाग	1,621	2,879	3,028
6	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2,159	2,469	2,847
	कुल	21,266	23,970	30,977

1.3 लेखापरीक्षा की विस्तृत सूचना

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड ने 2017-18 के दौरान 27 विभागों के अंतर्गत कुल 7,140 इकाईयों में से 309 इकाईयों का लेखापरीक्षा किया। इनमें से, 205 इकाई (66 प्रतिशत) तालिका 1.1 में दर्शाये गये छः प्रमुख विभागों में से थे।

1.4 लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.)

मार्च 2018 तक 27 विभागों से संबंधित 6,307 आहरण एवं संवितरण पदाधिकारियों (आ.सं.पदा.) को जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा से यह उदघाटित हुआ कि 5,618 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 34,075 कंडिकाएँ संतोषजनक जवाब के अभाव में 31 मार्च 2019 तक निष्पादन हेतु लंबित थीं। इसमें से, आ.सं.पदा. ने 3,187 नि.प्र. में सम्मिलित 19,996 कंडिकाओं पर आरंभिक जवाब दिया, जबकि 2,431 नि.प्र. में सम्मिलित 14,079 कंडिकाओं के संबंध में आ.सं.पदा. की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी।

तालिका 1.2: 31 मार्च 2019 को (31 मार्च 2018 तक जारी की गई) लंबित नि.प्र. तथा कंडिकाएँ

क्र.सं.	अवधि	लंबित नि.प्र. की सं.	लंबित कंडिकाओं की सं.
1	2017-18	311	2,036
2	एक वर्ष से तीन वर्ष	1,390	8,241
3	3 वर्ष से 5 वर्ष	805	5,726
4	5 वर्ष से ज्यादा	3,112	18,072
	कुल	5,618	34,075

2017-18 के दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

1.5 अनुपालन लेखापरीक्षाएँ

वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2017-18 के लिए, एक निष्पादन लेखापरीक्षा एवं चार अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं का प्रारूप प्रतिवेदन संबंधित प्रशासनिक सचिव को भेजा गया। निष्पादन लेखापरीक्षा एवं दो कंडिकाओं के संदर्भ में जवाब प्राप्त हुए जबकि बार बार स्मार के बावजूद शेष दो कंडिकाओं पर विभाग¹ द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया था।

1.6 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई

लोक लेखा समिति के आंतरिक कार्यकारी नियमों की प्रक्रिया के अनुसार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (ले.प्र.) में उद्धृत सभी लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर प्रशासनिक विभाग द्वारा एकतरफा कार्रवाई शुरू करनी थी, भले ही लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा इनको जाँच के लिए लिया गया हो अथवा नहीं। लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत जाँचित कृत-कार्यवाही टिप्पणी (कृ.का.टि.) विभाग को प्रस्तुत करना था, जिसमें उनके द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई अथवा प्रस्ताव को दर्शाया गया हो। वर्ष 2008-09 से 2016-17 तक के सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्रों का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 202 कंडिकाएँ लंबित हैं। इनमें से लोक लेखा समिति ने चर्चा हेतु 63 कंडिकाओं को लिया तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2008-09 से संबंधित एक उप-कंडिका (उप-कंडिका 1.3.6.1) पर अनुशंसा की। हालांकि, इस उप-कंडिका पर कोई कृ.का.टि. प्राप्त नहीं हुई है।

इसके अलावा, 2000-01 से 2007-08 तक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 201 कंडिकाएँ लंबित थी, जिन्हें आगे की कार्रवाई हेतु विभाग पर छोड़ दिया गया था, इनमें से 94 कंडिकाओं को लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा के लिए लिया गया था। इसके विरुद्ध, लोक लेखा समिति ने सात कंडिकाओं तथा आठ उप-कंडिकाओं के संबंध में अनुशंसा की थी जिनमें से दो कंडिकाओं तथा छः उप-कंडिकाओं से संबंधित कृ.का.टि. प्राप्त हुई जैसा कि नीचे दिए गए तालिका 1.3 में वर्णित है:

तालिका 1.3: लो.ले.स. की चर्चा की स्थिति

स्थिति	वर्ष 2000-01 से 2007-08 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)	वर्ष 2008-09 से 2016-17 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)
लंबित लेखापरीक्षा कंडिकाओं की संख्या	201	202
लो.ले.स. द्वारा चर्चा के लिए किया गया	94	63
लो.ले.स. द्वारा चर्चा के लिए नहीं लिया गया	107	139
लो.ले.स. द्वारा की गई अनुशंसा	07 कंडिकाएँ एवं 08 उप-कंडिकाएँ	1 उप-कंडिका
प्राप्त कृ.का.टि.	02 कंडिकाएँ एवं 06 उप-कंडिकाएँ	शून्य
विभाग द्वारा की गई कार्रवाई	02 कंडिकाएँ एवं 06 उप-कंडिकाएँ	शून्य

¹ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता तथा कला, संस्कृति, खेल एवं युवा मामले।

अध्याय-॥ निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 झारखण्ड में पुलिस बल के आधुनिकीकरण
पर निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय-II

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

2.1 झारखण्ड में पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

आंतरिक सुरक्षा में उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने एवं आंतरिक सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था की समस्याओं से निपटने के लिए सेना तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल पर राज्य सरकार की निर्भरता को कम करने हेतु पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को सहायता देने के लिए पुलिस बल के आधुनिकीकरण (पु.आ.) की योजना शुरू की गई थी। 2013-18 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पु.आ. योजना एवं अन्य आधुनिकीकरण क्रियाकलाप के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित उदघाटित हुआ:

राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम, 1861 को प्रतिस्थापित करने के लिए अक्टूबर 2019 तक राज्य पुलिस अधिनियम नहीं बनाया था। चिन्हित प्रदर्शन संकेतकों के विरुद्ध संगठनात्मक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने एवं व्यापक नीति-निर्देश तैयार करने हेतु राज्य पुलिस बोर्ड का गठन नहीं किया गया। लोक तथा आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से निपटने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट आंतरिक सुरक्षा योजना भी तैयार नहीं की गयी।

(कंडिका 2.1.7)

अनुशंसा: विभाग को समयबद्ध तरीके से राज्य पुलिस अधिनियम का निरूपण, राज्य पुलिस बोर्ड की स्थापना, संगठनात्मक प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए प्रदर्शन संकेतकों की पहचान तथा क्षेत्र-विशिष्ट आंतरिक सुरक्षा योजना को तैयार करना चाहिए।

परिसंपत्तियों और संसाधनों के आकलन द्वारा संसाधनों की कमी की पहचान एवं इन्हें पूरा करने हेतु लक्ष्य निर्धारण के लिए एक रणनीतिक योजना की तैयारी अभी-अभी 2019-20 में शुरू किया गया। परिणामस्वरूप, हालांकि विभाग ने 2013-18 के दौरान गृह मंत्रालय द्वारा संप्रेषित संभावित आवंटन के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो) तैयार किया, परन्तु ये योजनाएँ किसी भी दीर्घकालिक आवश्यकता आकलन या योजना से तैयार नहीं की गईं। पुनः, वा.का.यो 99 से 168 दिनों के विलम्ब से प्रस्तुत की गयी।

(कंडिका 2.1.8)

अनुशंसा: विभाग को पुलिस आधुनिकीकरण के लिए समयबद्ध रणनीतिक योजना तैयार करना चाहिए और इससे योजना के सबसे कमी वाले घटकों को प्राथमिकता देते हुए वा.का.यो. को तैयार करना चाहिए।

विभाग ने 2013-18 के दौरान पु.आ. योजना के अंतर्गत ₹ 52.25 करोड़ का राज्यांश जारी नहीं किया तथा ₹ 4.22 करोड़ के केन्द्रांश का उपयोग नहीं कर पाया। धीमी उपयोगिता के कारण ₹ 21.31 करोड़ (2016-18) के केन्द्रीय अनुदान का नुकसान हुआ। परिणामस्वरूप, वर्ष 2013-18 के दौरान वा.का.यो को पूर्णतः कार्यान्वित नहीं किया गया।

(कंडिका 2.1.9)

अनुशंसा: विभाग को केन्द्रीय निधियों का समय पर उपयोग तथा राज्यांश के पूरे हिस्से की विमुक्ति को सुनिश्चित करना चाहिए।

राज्य पुलिस आधुनिक हथियारों की कमी में 28 प्रतिशत (अप्रैल 2013) से 32 प्रतिशत की वृद्धि (अप्रैल 2018) के कारण अभियान के लिए हटाए गए हथियारों पर निर्भर थी। इसके अलावा, क्षेत्रीय इकाईयों के बीच हथियारों और गोला-बारुद का वितरण असमान था।

(कंडिका 2.1.10.1 और 2.1.10.4)

नमूना जाँचित 12 राज्य सशस्त्र पुलिस-बल बटालियनों में बी.पी. जैकेटों की कमी 43 से 100 प्रतिशत के बीच थी जिससे अभियान के दौरान हताहत होने का खतरा बढ़ गया था।

(कंडिका 2.1.11.1)

नक्सल अभियानों के दौरान बारुदी सुरंगों के जोखिम के अलावा राज्य में पहाड़ी इलाकों तथा जंगली रास्तों को ध्यान में रखते हुए विभाग को पुलिस इकाईयों के पास विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए मानक अभी तक तय करना था। नमूना जाँचित 41 थानों/ चौकियों में 545 विशेष प्रतिवेदित (वि.प्रति.) मामलों का विश्लेषण किया गया जिसमें 116 मामलों (22 प्रतिशत) में प्रतिक्रिया समय दो घंटे से अधिक का था।

(कंडिका 2.1.12.1 और 2.1.12.3)

संचार उपकरणों में 37 से 71 प्रतिशत की कमी के कारण विभाग संचार-दक्षता के न्यूनतम स्तर को संधारित नहीं कर सका। पुनः, राज्य पुलिस संचार के लिए मुख्य

रूप से एनालॉग सेट (91 प्रतिशत) पर निर्भर थी, जो संचार के अवरोधन के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं।

(कंडिका 2.1.13.1 और 2.1.13.2)

अनुशंसा: हथियारों, संचार-उपकरणों, बी.पी. जैकेटों एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों की खरीद के लिए विभाग को परिसंपत्तियों और संसाधनों का आकलन पूर्ण करना चाहिए तथा धन के स्रोतों की पहचान करनी चाहिए और राज्य पुलिस बलों को पर्याप्त रूप से सुसज्जित करने के लिए खरीद में तीव्रता लानी चाहिए।

आतंकवाद-निरोधक तथा आतंकवाद-विरोधी प्रशिक्षण वैसे पुलिसकर्मियों को प्रदान किया गया जो निर्धारित आयु सीमा से ज्यादा के थे। पुनः, प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षकों, प्रशिक्षण सामग्री एवं अन्य सुविधाओं की कमी के कारण पुलिसकर्मियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया। कारतूसों की कमी तथा फायरिंग रेंज की अनुपलब्धता के कारण पुलिसकर्मियों को पर्याप्त लक्ष्याभ्यास नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त, नमूना जाँचित चार प्रशिक्षण संस्थानों में 35 प्रतिशत पुलिसकर्मी, जिन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया था, वे अंतिम जाँच-परीक्षा पास नहीं कर सके।

(कंडिका 2.1.14)

अनुशंसा: पुलिसकर्मियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रशिक्षण संस्थान आधुनिक प्रणाली एवं सुविधाओं से पर्याप्त रूप से सुसज्जित हों।

जिला, क्षेत्र व राज्य स्तर पर फॉरेंसिक व्यवस्था मानकों के अनुरूप नहीं थी। राज्य विधि-विज्ञान विकास बोर्ड, जो विधि-विज्ञान सेवाओं के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी था, सितम्बर 2011 में इसके निर्माण के बाद अकार्यशील रहा। विभाग ने राज्य विधि-विज्ञान प्रयोगशाला के पाँच प्रभाग स्थापित नहीं किए, एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त नहीं किया तथा “झारखण्ड राज्य विधि-विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली 2012 (भर्ती नियमावली)” को अंतिम रूप नहीं दिया। तकनीकी पदों में 64 प्रतिशत और गैर-तकनीकी पदों में 93 प्रतिशत की रिक्ति के साथ सुविधाओं की कमी के कारण प्रदर्शों के विश्लेषण में पाँच वर्ष से अधिक (4,795 लंबित मामलों में से 934 अर्थात 19 प्रतिशत) तथा एक से पाँच वर्ष (4,795 लंबित मामलों में से 2,681 अर्थात 56 प्रतिशत) का विलम्ब हुआ।

(कंडिका 2.1.15)

अनुशंसा: विभाग को प्राथमिकता के आधार पर एस.एफ.एस.एल. के शेष पाँच प्रभागों को स्थापित करना चाहिए, तकनीकी व गैर-तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति करनी चाहिए, एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए तथा “झारखण्ड राज्य विधि-विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली 2012 (भर्ती नियमावली)” को अंतिम रूप देना चाहिए।

पुलिसकर्मियों के लिए आवासीय सुविधा पर्याप्त नहीं थी और वे केवल 8.66 प्रतिशत पुलिसकर्मियों को ही समायोजित कर सकती थी। गिरिडीह, हजारीबाग (जैप-7), कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में पाँच पुलिस केंद्र के निर्माण कार्य को ₹ 170.21 करोड़ के खर्च तथा निर्माण कार्य शुरू होने के 11 वर्ष बाद भी पूरा एवं परिचालित नहीं किया जा सका। नमूना जाँचित थानों एवं चौकियों में भवन, शस्त्रागार, पृथक हवालात, चाहरदीवारी, वॉच-टॉवर, कांटेदार तार की बाड़ आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी थी।

(कंडिका 2.1.16)

अनुशंसा: सभी अपूर्ण असैनिक कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कर उपयोग में लाना चाहिए। पुलिस थानों, चौकियों एवं पुलिस केंद्र में संरचनात्मक क्षति/कमी को चिन्हित करने हेतु सर्वेक्षण यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए तथा कमियों को दूर करने के लिए समयबद्ध योजना तैयार की जानी चाहिए।

नक्सली खतरे को रोकने के लिए राज्य पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल पर लगातार निर्भर थी। नमूना जाँचित जिलों में अभियानों के विश्लेषण से पता चला कि 69 प्रतिशत अभियान केवल केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा चलाए गये, 25 प्रतिशत अभियान संयुक्त रूप से राज्य बल एवं केन्द्रीय बल द्वारा संचालित किये गये तथा सिर्फ छः प्रतिशत अभियान ही राज्य बल द्वारा संचालित हुए। जे.जे. (एस.टी.एफ.), जो विशेष रूप से नक्सल गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया था, ने केन्द्रीय एवं राज्य पुलिस बलों के साथ संयुक्त अभियान में भाग लिया। इस प्रकार, राज्य केन्द्रीय बलों पर निर्भरता को कम नहीं कर सका।

(कंडिका 2.1.17.2)

अनुशंसा: लोक एवं आंतरिक सुरक्षा की समस्याओं से निपटने तथा प्रभावी नक्सल अभियान चलाने हेतु विभाग को राज्य पुलिस की तैयारियों, क्षमता एवं दक्षता की समीक्षा करनी चाहिए। युवा सैन्य-नेतृत्व एवं प्रशिक्षित कांस्टेबलों को केन्द्रीय बलों के समान सर्वोत्तम उपलब्ध प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

2.1.1 प्रस्तावना

आंतरिक सुरक्षा में उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना तथा कानून व्यवस्था में सुधार लाने हेतु राज्य सरकार के पुलिस बलों को आधुनिक बनाने के प्रयासों को सहायता देने के लिए भारत सरकार (भा.स.) ने 1969-70 में पुलिस आधुनिकीकरण (पु.आ.) योजना की शुरुआत की। पु.आ. योजना को 2009-10 तक 10 वर्षों की अवधि के लिए परिवर्धित बजट विनिधान के साथ संशोधित (फरवरी 2001) किया गया। योजना को पुनः 2016-17 तक विस्तारित¹ किया गया। इस योजना का विस्तार (दिसंबर 2017) पुनः 2019-20 तक के लिए एक उप-योजना के रूप में किया गया यथा पुलिस आधुनिकीकरण समग्र योजना के अंतर्गत “पुलिस आधुनिकीकरण की योजना के लिए राज्यों को सहायता”। योजना के तहत, राज्यों को वित्त पोषण के उद्देश्य से दो श्रेणियों² में समूहबद्ध (फरवरी 2013) किया गया। झारखण्ड को श्रेणी ‘ब’ में रखा गया और वह 60:40 (केंद्र:राज्य) की वित्तीय सहायता के लिए पात्र था।

2016-17 तक, पु.आ. योजना के दो प्रमुख उद्देश्य, पुलिस प्रशासन के विभिन्न पहलुओं की कमियों को पूरा करना, जिन्हें वर्ष 2000 में बी.पी.आर.डी द्वारा चिन्हित किया गया था तथा आंतरिक सुरक्षा को नियंत्रित करना एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (कें.स.पु.ब) पर राज्य सरकार की निर्भरता को कम करना था। 2017-18 से योजना का उद्देश्य राज्य पुलिस बलों को सम्बंधित बुनियादी ढाँचे के विकास के माध्यम से पर्याप्त रूप से सुसज्जित कर, आंतरिक सुरक्षा को नियंत्रित करने एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने में सेना और कें.स.पु.ब. पर राज्य सरकार की निर्भरता को धीरे-धीरे कम करना था। इस योजना का उद्देश्य राज्य पुलिस को आठ घटकों यथा गतिशीलता, हथियार, उपकरण, संचार, प्रशिक्षण, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, भवन एवं कम्प्यूटरीकरण के तहत आधुनिक करते हुए अधिक कुशल एवं प्रभावी बनाना था।

झारखण्ड में, 79,839 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले तीन करोड़ से अधिक की आबादी की सुरक्षा के लिए राज्य पुलिस उत्तरदायी है।

राज्य ने 2013-18 के दौरान राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण पर ₹ 945.60 करोड़ व्यय किया, जिसमें पु.आ. योजना के तहत ₹ 99.56 करोड़ (केंद्रांश: ₹ 82.76 करोड़

¹ दिसम्बर 2009 में 2010-11 तक के लिए, दिसम्बर 2010 में 2011-12 तक के लिए और फरवरी 2013 में 2016-17 तक के लिए।


² श्रेणी ‘अ’- (90:10 केंद्र और राज्य के बीच): जम्मू और कश्मीर एवं सिक्किम सहित आठ उत्तर-पूर्वी राज्य; श्रेणी ‘ब’- (60:40 केंद्र और राज्य के बीच): बचे हुए राज्य।

तथा राज्यांश: ₹ 16.80 करोड़) एवं अन्य केन्द्रीय तथा राज्य योजना के तहत ₹ 846.04 करोड़ सम्मिलित था।

2.1.2 संगठनात्मक ढाँचा

सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (विभाग) के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं जिनके अधीन राज्य पुलिस कार्य करती है। पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी), पुलिस मुख्यालय के प्रमुख होते हैं तथा अपर महानिदेशक (ए.डी.जी, आधुनिकीकरण) द्वारा उन्हें पु.आ. योजना के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान की जाती है। एक राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति (एस.एल.ई.सी³) योजना की आयोजना का देखरेख करती है।

संगठनात्मक संरचना नीचे दिखाया गया है:



2.1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए किया गया था कि:

➤ विभाग द्वारा की गयी पु.आ. योजना का कार्यान्वयन तथा अन्य आधुनिकीकरण गतिविधियाँ प्रभावी थी और राज्य पुलिस की कार्य-प्रणाली में सुधार हुआ था; तथा

³ मुख्य सचिव अध्यक्ष एवं विकास आयुक्त, गृह सचिव, वित्त सचिव एवं पुलिस महानिदेशक सदस्य होते हैं।

- राज्य ने आंतरिक सुरक्षा को नियंत्रित करने एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए सेना और कें.स.पु.ब. पर अपनी निर्भरता को सफलतापूर्वक कम किया।

2.1.4 लेखापरीक्षा के मापदंड

लेखापरीक्षा के मापदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए थे:

- गृह मंत्रालय द्वारा निर्गत योजना संबंधी दिशा-निर्देश तथा आदेश;
- बी.पी.आर.डी. के प्रतिवेदन;
- वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) तथा योजना के अन्तर्गत प्रावधानित सावधिक प्रतिवेदन/ विवरणी;
- पुलिस अधिनियम 1861, झारखण्ड पुलिस मैनुअल, झारखण्ड लोक निर्माण विभाग संहिता, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग मैनुअल तथा इसके तहत निर्गत परिपत्र/ निर्देश; तथा
- प्रारूप मॉडल पुलिस अधिनियम और प्रारूप पुलिस मैनुअल उन मापदंडों के लिए जो पुलिस अधिनियम 1861/ झारखण्ड पुलिस मैनुअल में अंतर्निहित नहीं हैं।

2.1.5 निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.लेप) आयोजित करने का औचित्य

लेखापरीक्षा ने 2009 में पु.आ. योजना पर 2004-09 की समयावधि को शामिल करते हुए एक निष्पादन लेखापरीक्षा किया था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वर्ष 2008-09 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 1.3 में दर्शाया गया था, जिसमें पु.आ. योजना के कार्यान्वयन में हुई त्रुटियों को उजागर किया गया था एवं निम्नलिखित लेखापरीक्षा अनुशंसाएं की गई थी:

- (i) राज्य सरकार को अपनी कमियों एवं आवश्यकताओं का विश्लेषण करके, पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य/ रणनीतिक योजना सहित एक रोडमैप तैयार करना चाहिए।
- (ii) वांछित उद्देश्यों के लिए राशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय प्रबंधन को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए।
- (iii) हथियार, गतिशीलता एवं संचार प्रणाली के उन्नयन तथा उनकी प्रगति के अनुश्रवण के लिए मात्रात्मक लक्ष्य और विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।
- (iv) आवासीय भवनों, पुलिस केंद्रों, थानों/ चौकियों के निर्माण जैसे असैनिक कार्यों को युद्धस्तर पर प्रारंभ कर पूरा किया जाना चाहिए।

(v) पुलिस बल की बदलती जरूरतों को पूरा करने हेतु पुलिसकर्मियों के पर्याप्त प्रशिक्षण की आयोजना एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(vi) योजना का प्रभावी और समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अनुश्रवण तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए।

लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा जुलाई 2012 में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा की गई एवं लो.ले.स. की अनुशंसा मार्च 2019 तक प्रतीक्षित थी। चर्चा के बाद, पुलिस मुख्यालय (पु.मु.) ने लेखापरीक्षा अनुशंसा पर टिप्पणी के बगैर लो.ले.स. को व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत किया (नवम्बर 2012)। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड ने व्याख्यात्मक टिप्पणी पर पु.मु. और लो.ले.स. को अपना मन्तव्य दिया (जनवरी 2013)। मार्च 2019 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को लो.ले.स. द्वारा पुनः चर्चा के लिए नहीं लिया गया।

वर्तमान अनुवर्ती निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि क्या पिछले लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सुधारात्मक उपायों की शुरुआत की गई थी तथा राज्य पुलिस के कार्य-कलाप में सुधार हुआ था। मार्च 2009 की लेखापरीक्षा अनुशंसा के संबंध में अनुवर्ती कारवाई, यदि कोई हो तो, निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के संबंधित अनुभागों के तहत चर्चा की गई है।

2.1.6 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

राज्य सरकार द्वारा 2013-18 के दौरान पु.आ. योजना और अन्य आधुनिकीकरण गतिविधियों के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा, सचिव (गृह), पुलिस महानिदेशक, महानिदेशक (प्रशिक्षण), महानिदेशक (विशेष शाखा), महानिदेशक (झारखण्ड सशस्त्र पुलिस), अपर महानिदेशक (वायरलेस एवं तकनीकी सेवाएं), निदेशक (राज्य विधि-विज्ञान प्रयोगशाला) और झारखण्ड पुलिस आवास निगम लिमिटेड (झा.पु.हा.काँ.लि) के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच के आधार पर किया गया (अक्टूबर 2018 से मई 2019)। इसके अलावा, लेखापरीक्षा जाँच के लिए 24 (पुलिस अधीक्षक कार्यालय) में से नौ⁴ जिलों का चयन संभाव्यता आनुपातिक आकार (पी.पी.एस.) पद्धति से किया गया। चयनित नौ जिलों में, सभी 12 राज्य सशस्त्र पुलिस बल (रा.स.पु.ब.) बटालियन, नौ में से सात प्रशिक्षण संस्थान, 241 में से 54 पुलिस थाना (थाना) एवं 36 में से नौ पुलिस चौकी (चौकी) के दस्तावेजों की जाँच की गई। अपनाई गई नमूना पद्धति एवं चयनित इकाईयों का विवरण परिशिष्ट 2.1.1 में है। जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ

⁴ देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, लातेहार और राँची

थानों, चौकियों, जिलों और बटालियन मुख्यालयों का संयुक्त रूप से भौतिक सत्यापन भी किया गया।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव के साथ एक प्रवेश सम्मेलन (सितम्बर 2018) आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। विभाग के मंतव्यों को जानने के लिए विभाग के अपर मुख्य सचिव (ए.सी.एस.) के साथ एक निकास सम्मेलन भी आयोजित किया गया (अक्टूबर 2019)। विभाग के जवाब को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.7 नया पुलिस अधिनियम नहीं बना

पुलिस को एक पेशेवर तौर पर सक्षम एवं सेवा उन्मुख संगठन में बदलने के लिए पुलिस अधिनियम प्रारूप समिति द्वारा प्रारूप मॉडल पुलिस अधिनियम (मॉ.पु.अ.), 2006 तैयार किया गया एवं इसे गृ.मं. द्वारा राज्यों को एक नया पुलिस अधिनियम बनाने अथवा वर्तमान भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 को संशोधित करने हेतु भेजा (अक्टूबर 2006) गया। तत्पश्चात, प्रारूप अधिनियम की समीक्षा की गई एवं एक प्रारूप मॉडल पुलिस विधेयक, 2015 तैयार किया गया तथा राज्य सरकारों को एक नया पुलिस अधिनियम बनाने अथवा अपने वर्तमान अधिनियम में संशोधन हेतु इसे बी.पी.आर.डी. के वेबसाइट पर रखा गया। प्रारूप मॉडल पुलिस विधेयक, 2015 में निम्न प्रावधान शामिल थे:

- (i) कुशल, प्रभावी, उत्तरदायी और जवाबदेह पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए तथा चिन्हित प्रदर्शन संकेतकों के विरुद्ध संगठनात्मक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने हेतु व्यापक नीति-निर्देश तैयार करने के लिए राज्य पुलिस बोर्ड का गठन;
- (ii) पाँच वर्ष की अवधि में प्राप्त किए जाने वाले पुलिसिंग उद्देश्यों की पहचान करते हुए पंचवर्षीय रणनीतिक योजना तैयार करना तथा इसके क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना एवं वर्ष के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करते हुए रणनीतिक योजना के आधार पर वार्षिक योजना तैयार करना;
- (iii) लोकहित, आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा की समस्याओं से निपटने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट आंतरिक सुरक्षा योजना तैयार करना;
- (iv) अपराधों के प्रभावी रोकथाम एवं अनुसंधान के लिए अपराध अनुसंधान विभाग, राज्य खुफिया विभाग तथा राज्य, जिला एवं थाना स्तर पर विशेष अपराध अनुसंधान इकाईयों का गठन;
- (v) एक राज्य पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना के लिए, जो अन्य बातों के साथ पुलिस सेवा के पेशेवर दक्षता और कुशल प्रबंधन को बढ़ाने के उद्देश्य

राज्य सरकार ने राज्य पुलिस अधिनियम तैयार नहीं किया था जिसके कारण प्रारूप मॉडल पुलिस विधेयक 2015 के मुख्य प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सका

से पुलिस बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए एक पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकार ने अक्टूबर 2019 तक पुलिस अधिनियम, 1861 को प्रतिस्थापित करने के लिए एक राज्य पुलिस अधिनियम तैयार नहीं किया था। अतः प्रारूप मॉडल पुलिस विधेयक में निहित प्रावधानों के अनुरूप चिन्हित प्रदर्शन संकेतकों के विरुद्ध संगठनात्मक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने हेतु व्यापक नीति-निर्देश तैयार करने के लिए राज्य पुलिस बोर्ड का गठन एवं लोकहित एवं आंतरिक सुरक्षा की समस्याओं से निपटने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट आंतरिक सुरक्षा योजना तैयार करने को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया था। जवाब में, विभाग ने कहा (अक्टूबर 2019) कि झारखण्ड के लिए एक पुलिस अधिनियम का निरूपण राज्य सरकार के पास सक्रिय रूप से विचाराधीन था।

अनुशंसा: विभाग को समयबद्ध तरीके से राज्य पुलिस अधिनियम का गठन, राज्य पुलिस बोर्ड की स्थापना, संगठनात्मक प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए प्रदर्शन संकेतकों की पहचान तथा क्षेत्र-विशिष्ट आंतरिक सुरक्षा योजना को तैयार करना चाहिए।

2.1.8 आयोजना में त्रुटियाँ

2.1.8.1 रणनीतिक योजना

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पु.आ. योजना, किसी राज्य में इस कार्यक्रम में योगदान देनेवाली योजनाओं की संख्या के निरपेक्ष, इस कार्यक्रम के लिए एकल कार्य-योजना के मूल सिद्धांत पर आधारित है। दिशा-निर्देश (नवम्बर 2010) में एक पंचवर्षीय राज्य रणनीतिक योजना की परिकल्पना है जो आवश्यकताओं एवं संसाधनों का आकलन करती हो। योजना में वित्तीय आवश्यकताओं, घटकवार क्रियान्वयन लक्ष्यों एवं की जानेवाली गतिविधियों के साथ पाँच वर्ष का कार्यक्रम लक्ष्य शामिल होना चाहिए। इसमें संसाधन की आयोजना भी शामिल है, जिसमें घटकवार निधियों की कुल आवश्यकता एवं निधि के स्रोत यथा- गृ.मं., वित्त मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार से वित्त पोषण शामिल हैं। कमियों की पहचान एवं पिछले वर्ष की योजना की समीक्षा के पश्चात रणनीतिक योजना से पु.आ. योजना के लिए प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) भारत सरकार द्वारा अनुमोदन हेतु तैयार करना आवश्यक है।

राज्य सरकार ने 2013-18 के दौरान रणनीतिक योजना तैयार नहीं की। अतः वार्षिक योजनाएं दीर्घकालिक योजना पर आधारित नहीं थीं

लेखापरीक्षा ने पाया कि पुलिस मुख्यालय ने वर्ष 2013-18 के दौरान कोई रणनीतिक योजना तैयार नहीं की थी क्योंकि इसने संसाधनों की कमी को चिह्नित करने, इसे बी.पी.आर.डी. मानकों से तुलना करने, संभावित वित्तीय स्रोतों की पहचान के लिए जिला एवं थाना स्तर पर परिसंपत्तियों व संसाधनों का आकलन नहीं किया था तथा

संगठन का समग्र मूल्यांकन नहीं किया था जिससे कि एक बिन्दुवार लक्ष्य निर्धारित कर कमियों को पूरा किया जाए।

एक रणनीतिक योजना का अभाव विभाग द्वारा आवश्यकता आधारित वा.का.यो. बनाने की रूपरेखा को सीमित कर दिया जिससे हथियार, संचार उपकरण, सुरक्षा उपकरण, एफ.एस.एल. और आवास जैसे विभिन्न घटकों में कमियों को पूरा करने के लिए पु.आ. योजना के अधीन निधि की सीमितता को राज्य बजट से पर्याप्त रूप से पोषित नहीं किया जा सका।

पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना (2005-10) तैयार नहीं करने को वर्ष 2008-09 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 1.3.6.1 में भी उजागर किया गया था। आयोजना की कमी के कारण, आधुनिकीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण गतिविधियों में या तो काफी विलंब हुआ अथवा बिल्कुल क्रियान्वित नहीं किया गया जैसा कि आगे की कंडिकाओं में वर्णित है।

निकास सम्मेलन (अक्टूबर 2019) के दौरान, अपर महानिदेशक (आधुनिकीकरण) ने कहा कि जिला एवं थाना स्तर पर परिसम्पत्ति एवं संसाधन के आकलन के लिए एक सर्वेक्षण 2019-20 में शुरू किया गया है जो वर्तमान में प्रगति पर है। विभाग के अपर मुख्य सचिव ने आगे कहा (अक्टूबर 2019) कि संगठन का एक समग्र खाका तैयार किया जाएगा तथा सर्वेक्षण के साथ इसके पूरा हो जाने पर संसाधन की कमियों को पूर्ण किया जायेगा।

2.1.8.2 वार्षिक कार्य योजनाएं

योजना के दिशा-निर्देश, वा.का.यो. के लिए एक कैलेंडर एवं बजट चक्र निर्धारित करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि परामर्श और समीक्षा प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध है। वा.का.यो. के अनुमोदन में विलंब के कारण निधि की विमुक्ति में विलंब होता है जो आगे कार्यक्रम के क्रियान्वयन तथा निधि के उपयोग को प्रभावित करता है।

गृ.मं. की उच्चाधिकार समिति (एच.पी.सी.) द्वारा पु.आ. योजना के अन्तर्गत वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) को स्वीकृत किया जाता है। झारखण्ड सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति (एस.एल.ई.सी.) के माध्यम से एच.पी.सी. को वार्षिक योजनाएं भेजी जाती हैं। गृ.मं. को संभावित वार्षिक केन्द्रीय निधि के आवंटन की सूचना के साथ पिछले वित्तीय वर्ष के 31 दिसम्बर तक वा.का.यो. आमंत्रित करना था। विभाग को एस.एल.ई.सी. द्वारा मंजूरी के बाद पिछले वित्तीय वर्ष के 15 जनवरी तक वा.का.यो. को गृ.मं. के पास प्रस्तुत करना था ताकि समय पर निधि विमुक्त की जा सके तथा योजना के अन्तर्गत परिकल्पित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। गृ.मं. द्वारा वा.का.यो. को 30 अप्रैल तक अनुमोदित करना था

ताकि केन्द्रांश का प्रथम किस्त (50 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष के मई-जून तथा द्वितीय किस्त (50 प्रतिशत) सितम्बर-अक्टूबर में विमुक्त किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि क्षेत्रीय इकाईयों एवं पुलिस की अन्य शाखाओं से आवश्यकताओं का आकलन करने के बाद पुलिस मुख्यालय स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर माँग को निर्धारित करते हुए पुलिस मुख्यालय ने गृ.मं. द्वारा संप्रेषित संभावित वार्षिक आवंटन के भीतर पु.आ. योजना के अधीन वा.का.यो. को तैयार किया। वा.का.यो. की तैयारी में पाई गई त्रुटियाँ निम्न थी:

- लेखापरीक्षा ने विभाग द्वारा वा.का.यो. प्रस्तुत करने में लगातार विलंब पाया जिसके कारण गृ.मं. द्वारा इसके अनुमोदन में तथा केन्द्रांश को विमुक्त करने में विलंब हुआ। गृ.मं. को लगभग पाँच महीने के विलंब से वा.का.यो. प्रस्तुत किया गया। गृ.मं. द्वारा योजनाओं के अनुमोदन में भी उल्लेखनीय विलंब हुआ जिसका केन्द्रीय निधि के विमुक्ति पर परिणामी प्रभाव पड़ा। राज्य सरकार द्वारा पुनः केन्द्रांश विमुक्त करने में विलंब हुआ जैसा कि तालिका 1 में दिखाया गया है।

तालिका 1: वा.का.यो. के उपस्थापन एवं स्वीकृति तथा केंद्रांश की स्वीकृति एवं विमुक्ति में विलम्ब

वर्ष	वा.का.यो. के उपस्थापन की निर्धारित तिथि	वा.का.यो. के उपस्थापन की तिथि	उपस्थापन में दिनों में विलम्ब	गृ.मं द्वारा स्वीकृति की तिथि	राज्य द्वारा वा.का.यो. के उपस्थापन से गृ.मं द्वारा स्वीकृति में लगा समय	केंद्रांश विमुक्ति की तिथि	राज्य द्वारा व्यय स्वीकृति की अवधि
2013-14	15.1.2013	1.6.2013	137	20.12.2013	202	23.12.2013	6.3.2014
						28.2.2014	3.9.2014
						12.3.2014	12.8.2014
2014-15	15.1.2014	26.6.2014	162	25.8.2014 ⁵	60	5.8.2014	22.1.2015/21.3.2015
						27.8.2014	29.12.2014
						9.10.2014	21.3.2017
						17.3.2015	11.3.2016
2015-16	15.1.2015	24.4.2015	99	22.7.2015	88	9.9.2015	4.12.2015
						17.9.2015	4.12.2015
						27.1.2016	21.10.2016
2016-17	15.1.2016	25.5.2016	129	28.6.2016	34	कोई विमुक्ति नहीं	
2017-18	15.1.2017	3.7.2017	168	6.11.2017	125	कोई विमुक्ति नहीं	

(स्रोत: वा.का.यो तथा विमुक्ति/स्वीकृति पत्र)

⁵ 1 जुलाई 2014 को 2014-15 के वा.का.यो. पर चर्चा के दौरान गृ.मं. की उच्चाधिकार समिति ने योजना के पुनरीक्षण का निर्देश दिया। पुनरीक्षित योजना को 25 अगस्त 2014 को प्रेषित किया गया।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि:

झारखण्ड सरकार द्वारा योजनाओं को विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण गृ.मं. द्वारा अनुमोदन में विलम्ब हुआ, जिससे निधि की समय पर विमुक्ति एवं इसका उपयोग प्रभावित हुआ, परिणामस्वरूप निधि का कम उपयोग हुआ एवं कार्यक्रम का क्रियान्वयन धीमी गति से हुआ

- 2013-14 से 2015-16 के दौरान राज्य सरकार को विमुक्त ₹ 86.98 करोड़ की कुल केन्द्रीय निधि में से ₹ 28.57 करोड़ (32.8 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में विमुक्त किया गया। इसके अलावा, पिछली तिमाही में विमुक्त राशि में से ₹ 11.55 करोड़ (40.4 प्रतिशत) मार्च के महीने में विमुक्त किये गए थे। फलस्वरूप, राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष में इस राशि का उपयोग करने का बहुत कम समय मिला, जिसके कारण बाद के वर्षों में अव्यवहृत निधि के पुनर्वैधीकरण की आवश्यकता पड़ी। फलस्वरूप, प्रत्येक वर्ष अव्यवहृत राशि पड़ी रह गई। राज्य सरकार ने भी कार्यकारी एजेंसियों को निधि विमुक्त करने में काफी देरी की। भारत सरकार द्वारा 2013-14 के लिए मार्च 2014 में विमुक्त केन्द्रांश (₹ 7.77 करोड़) राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2014 में ही विमुक्त किया गया। 2014-15 के लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 2015 में विमुक्त केन्द्रांश (₹ 1.87 करोड़) राज्य सरकार द्वारा मार्च 2016 में ही विमुक्त किया गया। पुनः, अक्टूबर 2014 में भारत सरकार द्वारा विमुक्त 2013-14 के लिए प्रोत्साहन/ पूल निधि को राज्य सरकार द्वारा मार्च 2017 में ही पुनर्वैधित एवं विमुक्त किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए संभावित वार्षिक आवंटन को सूचित करते हुए गृ.मं. ने राज्य सरकार से वा.का.यो. प्रेषित करने के लिए कहा (10 मार्च 2014)। पु.मु. ने वा.का.यो. को गृह विभाग, झारखण्ड सरकार को प्रस्तुत किया (4 जून 2014) जिसने 17 जून 2014 को एस.एल.ई.सी. के अनुमोदन के बाद 26 जून 2014 को गृ.मं. को भेजा। गृ.मं. की उच्चाधिकार समिति (एच.पी.सी.) ने वा.का.यो. को अनुमोदित किया (1 जुलाई 2014) जिसे राज्य सरकार को 25 अगस्त 2014 को सूचित किया गया।
- गृ.मं. ने राज्य सरकार को 2017-18 के लिए वा.का.यो. प्रस्तुत करने के लिए कहा (28 अप्रैल 2017)। पु.मु. ने वा.का.यो. गृह विभाग, झारखण्ड सरकार को प्रस्तुत किया (7 जून 2017) तथा एस.एल.ई.सी. ने वा.का.यो. को 15 जून 2017 की बैठक में अनुमोदित किया। इसके बाद, गृह विभाग, झारखण्ड सरकार ने गृ.मं. को वा.का.यो. प्रस्तुत (3 जुलाई 2017) किया। एच.पी.सी. ने वा.का.यो. को अनुमोदित (21 जुलाई 2017) किया जिसे गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को 6 नवम्बर 2017 को सूचित किया गया।

उपरोक्त तथ्यों से यह देखा जा सकता है कि न तो गृ.मं. न ही राज्य सरकार ने वा.का.यो. कैलेंडर का अनुपालन किया। योजना को मँगाने एवं वा.का.यो. को प्रस्तुत तथा अनुमोदित करने में गृ.मं. स्तर पर उल्लेखनीय विलम्ब हुआ, जिसके

परिणामस्वरूप गृ.मं. द्वारा केन्द्रांश विलम्ब से विमुक्त किया गया। पुनः, विभाग ने भी स्वीकृति देने एवं कार्यकारी एजेंसियों को निधि विमुक्त करने में अत्यधिक समय लिया। इस प्रकार, कार्यकारी एजेंसियों के पास वर्ष के दौरान निधियों का उपयोग करने के लिए अपर्याप्त समय था, जिससे वा.का.यो. का समय से क्रियान्वयन प्रभावित हुआ, अव्यवहृत राशि प्रत्येक वर्ष संचित हुई जिसके कारण बाद के वर्षों में केन्द्रांश कम/ नहीं विमुक्त हुआ जो कंडिका 2.1.9.2 में वर्णित है।

वा.का.यो. को प्रस्तुत करने में 111 दिनों तक के विलंब को वर्ष 2008-09 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 1.3.6.2 में भी उजागर किया गया था। स्थिति में सुधार नहीं हुआ है जैसा कि वर्तमान लेखापरीक्षा में द्रष्टव्य है कि 2017-18 के दौरान 168 दिनों का विलंब हुआ। लेखापरीक्षा के मन्तव्य को स्वीकार करते हुए, विभाग ने कहा (अक्टूबर 2019) कि वह वा.का.यो. की तैयारी में सुधार के लिए प्रयास कर रहा है।

- लेखापरीक्षा ने वा.का.यो. की तैयारी में भी त्रुटियाँ पाई क्योंकि उन महत्वपूर्ण घटकों, जिन्हें योजना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, या तो उनके लिए प्रावधान नहीं किया गया अथवा कम किया गया।

➤ पु.मु. ने 2013-18 के दौरान पु.आ. योजना के अन्तर्गत 13,928 मुख्य मारक हथियार⁶ तथा 3,647 क्षेत्र हथियार⁷ खरीदने की योजना (दिसम्बर 2012) बनाई। इसके विरुद्ध, 2013-18 के दौरान वा.का.यो. में केवल 6,903 (50 प्रतिशत) मुख्य मारक हथियार⁸ तथा 100 (तीन प्रतिशत) क्षेत्र हथियारों⁹ के प्रावधान को शामिल किया गया था।

पु.मु. ने कहा (अगस्त 2019) कि पु.आ. योजना के अन्तर्गत सीमित परिव्यय के कारण वा.का.यो. में कम प्रावधान किया गया था। पु.मु. का मन्तव्य स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आधुनिकीकरण के प्रयासों में हथियार एक महत्वपूर्ण घटक है और राज्य सरकार को राज्य बजट में निर्माण कार्यों के लिए प्रदान की गई निधि में से एक हिस्से को कर्णांकित कर हथियारों की खरीद को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। निकास सम्मेलन (अक्टूबर, 2019) के दौरान विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि आवश्यक हथियारों की खरीद के लिए कार्रवाई की जायेगी।

⁶ 5.56 इन्सास राइफल: 1,353, ए.के. 47: 6,028, 5.56 एस.जी. 553: 250, स्नाइपर राइफल: 480, 9 एम.एम. सिग/ ऑटो पिस्टल: 5,817

⁷ एम.पी. 5 ए3/ए4: 1,150, 5.56 इन्सास एल.एम.जी.: 2,275 एवं 51 एम.एम. मोर्टार: 222

⁸ 5.56 इन्सास राइफल: 4,021, ए.के. 47: 1,715, 5.56 एस.जी. 553: 11, स्नाइपर राइफल: शून्य, 9 एम.एम. सिग/ ऑटो पिस्टल: 1,156

⁹ एम.पी. 5 ए3/ए4: शून्य, 5.56 इन्सास एल.एम.जी.: 100 एवं 51 एम.एम. मोर्टार: शून्य

- पुलिस के लिए विधि-विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल.) बेहद आवश्यक होने के कारण गृ.मं. के एच.पी.सी. ने वा.का.यो. में एफ.एस.एल. के लिए पर्याप्त प्रावधान करने की अनुशंसा (जून 2013 और जुलाई 2014) की। हालांकि, विभाग ने 2015-17 के दौरान एफ.एस.एल. उपकरणों की खरीद के लिए 2.50 करोड़¹⁰ की राशि को छोड़कर 2013-15 और 2017-18 के दौरान कोई प्रावधान नहीं किया। इस तरह, राज्य के अन्दर एफ.एस.एल. के आधुनिकीकरण पर उचित ध्यान नहीं दिया गया जो कि मामलों की त्वरित वैज्ञानिक जाँच के लिए आवश्यक था जैसा कि कंडिका 2.1.15 में वर्णित है।

अनुशंसा: विभाग को पुलिस आधुनिकीकरण के लिए समयबद्ध रणनीतिक योजना तैयार करना चाहिए और इससे योजना के सबसे कमी वाले घटकों को प्राथमिकता देते हुए वा.का.यो. को तैयार करना चाहिए।

2.1.9 वित्तीय प्रबंधन

पु.आ. योजना में निर्धारित प्रक्रिया यह है कि वा.का.यो. के अनुमोदन के बाद भारत सरकार, राज्य सरकार को राशि निर्गत करती है, जिसे बाद में तदनु रूप अपना हिस्सा विभागीय अधिकारियों को जारी करना चाहिए। पु.आ. योजना के तहत, केंद्र एवं राज्य सरकार को 2012-13 से 60:40 के अनुपात में व्यय को साझा करना था। पिछले वर्षों की उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद ही बाद के वर्षों के लिए निधि जारी करने की एक शर्त रखी गई थी जिसका अनुपालन नहीं होने पर अव्यवहृत राशि के समतुल्य राशि अगले वर्ष के केन्द्रांश से घटा लिया जाना था। हथियारों एवं गोला-बारूद की खरीद के लिए, वार्षिक योजनाओं में स्वीकृत राशि केंद्र सरकार भारत सरकार के आयुध कारखाना डिपो को सीधे निर्गत करती है।

राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल का आधुनिकीकरण, अपने बलों को पर्याप्त आधुनिक उपकरण, वाहन, हथियार तथा गोला बारूद की समुचित आपूर्ति कर एवं भवन निर्माण कर किया जाना था। आधुनिकीकरण के प्रयासों को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सी.एस.एस.), केंद्रीय योजनाओं (सी.पी.एस.) तथा राज्य योजना (एस.पी.) से वित्त पोषित किया जाना था।

2.1.9.1 पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए बजटीय सहायता

- योजना के दिशा-निर्देशों (2010) के अनुसार, पु.आ. योजना निधि के लिए पु.मु. द्वारा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानकों के अनुरूप नकदी आधारित मानक लेखा-पुस्तों (कैश बुक, जर्नल, लेजर आदि) का संधारण किया जाना

¹⁰ 2015-16: ₹ 1.30 करोड़ और 2016-17: ₹ 1.20 करोड़

योजना के दिशा-निर्देशों के विपरीत विभाग ने विभिन्न योजनाओं से आधुनिकीकरण शीर्ष के तहत आवंटित सभी निधियों के लिए एक ही लेखा-पुस्तक का संधारण किया जिसके कारण घटकवार भौतिक उपलब्धि का अनुश्रवण कठिन था

पु.आ. योजना के लिए राज्य बजट में अलग से प्रावधान नहीं किया गया

था। पुनः, समुचित वित्तीय सूचना हेतु, प्रत्येक घटक के लिए मानक लेजर शीर्ष और इन घटकों के तहत सभी श्रेणियों के लिए उप-लेजर शीर्षों का संधारण किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने योजना के दिशा-निर्देशों के तहत आवश्यकतानुसार पु.आ. निधियों के लिए घटक-वार लेजर सहित अलग लेखा-पुस्तकों का संधारण नहीं किया। इसके बजाय, विभाग ने विभिन्न योजनाओं से आधुनिकीकरण शीर्ष के तहत आवंटित सभी निधियों के लिए एक ही लेखा-पुस्तक का संधारण किया। फलस्वरूप, लेखापरीक्षा द्वारा 2013-18 के दौरान वा.का.यो. के तहत पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए घटक वार स्वीकृत निधि के सापेक्ष इसके उपयोग को पृथक नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, पु.आ. के लिए अलग लेखा-पुस्तक तथा घटक-वार लेजर के अभाव में विभाग, वा.का.यो. के अनुमोदन के सापेक्ष घटकवार भौतिक उपलब्धि तथा पु.आ. निधि के समय से उपयोग का अनुश्रवण नहीं कर सका।

• राज्य बजट में पु.आ. योजना के लिए अलग से प्रावधान नहीं किया गया था। इसके बजाय, इसे विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सी.एस.एस.), केंद्रीय योजनाओं (सी.पी.एस.) एवं राज्य योजनाओं के तहत पुलिस आधुनिकीकरण के लिए किए गए प्रावधानों के साथ सम्मिलित किया गया था (**परिशिष्ट 2.1.2**)। 2013-18 के दौरान विभिन्न निधियों से योजना (निर्माण) और गैर-योजना (खरीद) घटकों पर व्यय तालिका 2 में दिखाया गया है:

तालिका 2: बजट प्रावधान तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

पु.आ. योजना के घटक	बजट प्रावधान	राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण पर व्यय			
		सीएसएस	सीपीएस	राज्य योजना	योग
गैर-योजना	272.87	29.31	12.48	185.56	227.35
योजना	779.34	91.52	35.72	591.01	718.25
योग	1052.21	120.83	48.20	776.57	945.60

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखाएं)

लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए, विभाग ने कहा (अक्टूबर 2019) कि पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की निधि के लिए एक अलग लेजर संधारित किया जाएगा, जिससे व्यय की बेहतर निगरानी में सहायता मिलेगी।

2.1.9.2 पुलिस आधुनिकीकरण योजना निधि का उपयोग

वार्षिक संभावित आवंटन के साथ जारी गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, अनुपूरक एवं विशेष आधुनिकीकरण योजनाएं¹¹ भी प्रस्तुत की जानी थीं, जो उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुत करने तथा धन की उपलब्धता के आधार पर लागू होनी थी।

विभाग ने वा.का.यो. के अतिरिक्त अनुपूरक और विशेष आधुनिकीकरण योजनाएं समर्पित की थी जिसके लिए निधि विमुक्त किया गया था। 2013-16 के दौरान, गृह मंत्रालय ने स्वीकृत वा.का.यो. के अलावा अनुपूरक/ विशेष योजना के विरुद्ध ₹ 9.49 करोड़¹² और प्रोत्साहन/ अतिरिक्त निधि के रूप में ₹ 21.37 करोड़¹³ विमुक्त किया। 2013-18 के दौरान वा.का.यो., अनुपूरक और विशेष योजना, विमुक्ति एवं व्यय का विस्तृत विवरण तालिका 3 अ और 3 ब में दिखाया गया है:

तालिका 3 अ- गृ.मं द्वारा स्वीकृत वा.का.यो., अनुपूरक एवं विशेष योजनाएं

₹ करोड़ में (सी.एस: केंद्रांश एवं एस.एस: राज्यांश)

वर्ष	वा.का.यो			अनुपूरक एवं विशेष योजना			कुल		
	सीएस	एसएस	कुल	सीएस	एसएस	कुल	सीएस	एसएस	कुल
2013-14	26.61	17.66	44.27	5.24	3.60	8.84	31.85	21.26	53.11
2014-15	22.56	15.05	37.61	14.78	10.61	25.39	37.34	25.66	63.00
2015-16	8.54	5.69	14.23	9.14	6.09	15.23	17.68	11.78	29.46
2016-17	8.54	5.69	14.23	1.71	1.14	2.85	10.25	6.83	17.08
2017-18	11.23	7.51	18.74	2.24	1.51	3.75	13.47	9.02	22.49
योग	77.48	51.60	129.08	33.11	22.95	56.06	110.59	74.55	185.14

(स्रोत: स्वीकृत पु.आ. योजनाएं)

¹¹ वा.का.यो. के 20 प्रतिशत के समतुल्य अनुपूरक योजना तथा विशेष योजना (गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के लिए, यदि कोई हो)

¹² 2013-14: अनुपूरक योजना: ₹ 3.42 करोड़, 2014-15: अनुपूरक तथा विशेष योजना: ₹ 4.35 करोड़ तथा 2015-16 अनुपूरक योजना: ₹ 1.72 करोड़

¹³ 2014-15: प्रोत्साहन: ₹ 7.77 करोड़ तथा 2015-16: अतिरिक्त निधि: ₹ 13.60 करोड़

तालिका 3 ब- विमुक्ति एवं उपयोगिता

(₹ करोड़ में)

2015-16 तक विमुक्त केंद्रांश का उपयोग नहीं होने के कारण गृह मंत्रालय ने 2016-18 के दौरान केंद्रांश विमुक्त नहीं किया। राज्य सरकार ने भी 2013-18 के दौरान अपने हिस्से का 70 प्रतिशत राशि विमुक्त नहीं किया 2013-18 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 52.25 करोड़ के समतुल्य राज्यांश विमुक्त नहीं किया तथा ₹ 4.22 करोड़ के केन्द्रांश का उपयोग नहीं कर सका

वर्ष	विमुक्त राशि			व्यवहृत राशि			अव्यवहृत राशि		
	सीएस	एसएस	योग	सीएस	एसएस	योग	सीएस	एसएस	योग
2013-14	29.86 ¹⁴	1.79	31.65	18.67	1.79	20.46	11.19	0.00	11.19
2014-15	34.68 ¹⁵	13.69	48.37	29.38	12.31	41.69	5.30	1.38	6.68
2015-16	22.44 ¹⁶	6.82	29.26	19.61	2.70	22.31	2.83	4.12	6.95
2016-17	0.00 ¹⁷	0.00	0.00	8.68	0.00	8.68	(-) 8.68	0.00	(-) 8.68
2017-18	0.00 ¹⁸	0.00	0.00	6.42	0.00	6.42	(-) 6.42	0.00	(-) 6.42
योग	86.98	22.30	109.28	82.76	16.80	99.56	4.22	5.50	9.72

(स्रोत: पु.मु. द्वारा दी गयी सूचना तथा गृ.मं के विमुक्ति आदेश)

तालिका 3अ और 3ब से, यह देखा जा सकता है कि:

- किसी भी वर्ष में केंद्र अथवा राज्य ने अपने हिस्से की पूर्ण राशि का योगदान नहीं दिया। ₹ 74.55 करोड़ के राज्यांश के विरुद्ध, विभाग ने केवल ₹ 22.30 करोड़ (30 प्रतिशत) निर्गत किया जिससे ₹ 52.25 करोड़ की कम राशि निर्गत हुई।
- 2015-16 तक विमुक्त केंद्रांश का उपयोग न होने के कारण 2016-18 के दौरान गृह मंत्रालय द्वारा ₹ 21.31 करोड़¹⁹ का केंद्रांश निर्गत नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, विभाग ने ₹ 15.85 करोड़ का राज्यांश विमुक्त नहीं किया। इससे, 2016-18 के वा.का.यो का क्रियान्वयन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ जिसकी चर्चा कंडिका 2.1.11.1, 2.1.11.2 एवं 2.1.12.2 में की गई है जहाँ बजट प्रूफ जैकेट, मेटल डिटेक्टर एवं मोटर साइकल का क्रय नहीं होना इंगित किया गया है।
- 2013-15 के दौरान निर्गत ₹ 86.98 करोड़ के केंद्रांश में से, मुख्यतः गृह मंत्रालय द्वारा विलंब से निधियों को निर्गत करने और विभाग द्वारा स्वीकृतियों में विलंब (2 से 29 महीने तक) के कारण विभाग उसी वर्ष में ₹ 39.56 करोड़²⁰ (45 प्रतिशत) का उपयोग नहीं कर सका जिसे कंडिका 2.1.8.2 की तालिका 1 में बताया

¹⁴ वा.का.यो.: ₹ 26.44 करोड़ तथा अनुपूरक योजना: ₹ 3.42 करोड़.

¹⁵ वा.का.यो.: ₹ 22.56 करोड़, अनुपूरक तथा विशेष योजना: ₹ 4.35 करोड़ और प्रोत्साहन: ₹ 7.77 करोड़.

¹⁶ वा.का.यो.: ₹ 7.12 करोड़ तथा अनुपूरक योजना: ₹ 1.72 करोड़ और अतिरिक्त निधि: ₹ 13.60 करोड़.

¹⁷ भा.स. के गृ.मं. द्वारा आयुध फैक्ट्री बोर्ड को सीधे हस्तांतरित ₹ 1.15 करोड़ शामिल नहीं है

¹⁸ भा.स. के गृ.मं. द्वारा आयुध फैक्ट्री बोर्ड को सीधे हस्तांतरित ₹ 1.26 करोड़ शामिल नहीं है

¹⁹ ₹ 23.72 करोड़ (योजना के अनुसार केन्द्रांश) घटाव ₹ 2.41 करोड़ (2016-18 के दौरान आयुध फैक्ट्री बोर्ड को सीधे विमुक्त)

²⁰ 2013-14 का ₹ 11.19 करोड़, 2014-15 का ₹ 13.80 करोड़ तथा 2015-16 का ₹ 14.57 करोड़ का उपयोग बाद के वर्षों में मार्च 2018 तक किया गया।

गया है। समान कारणों से, 2014-16 से संबंधित ₹ 4.22 करोड़²¹ भी 31 मार्च 2018 तक अव्यवहृत रहा।

इस प्रकार, विभाग ने ₹ 52.25 करोड़ के राज्यांश को निर्गत नहीं किया और 2013-18 के दौरान ₹ 4.22 करोड़ के केन्द्रांश का उपयोग नहीं कर सका, बावजूद इसके कि केन्द्रांश का उपयोग नहीं करने को वर्ष 2008-09 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 1.3.7 के द्वारा उजागर किया गया था।

निकास सम्मेलन (अक्टूबर 2019) के दौरान विभाग ने कहा कि अव्यवहृत राशि का व्यय करने के लिए कार्रवाई की गई है। 2016-18 के दौरान निधि निर्गत नहीं करने के संबंध में, विभाग ने कहा कि योजना को बंद करने के प्रस्ताव के कारण केन्द्रांश जारी नहीं किया गया था। तथ्य यह है कि गृह मंत्रालय ने (फरवरी 2013) पाँच वर्ष (2012-17) तथा दिसंबर 2017 में और तीन वर्ष (2017-20) के लिए योजना का विस्तार किया। पुनः यह देखा गया कि केंद्र सरकार ने योजना के तहत केन्द्रांश के संभावित आवंटन (2016-17: ₹ 8.54 करोड़ एवं 2017-18: ₹ 11.24 करोड़) को सूचित (मार्च 2016 और अप्रैल 2017) किया था।

अनुशांसा: विभाग को केन्द्रीय निधियों का समय पर उपयोग तथा राज्यांश के पूरे हिस्से की विमुक्ति को सुनिश्चित करना चाहिए।

योजना का कार्यान्वयन

2.1.10 हथियार

जैसा कि अपराधियों और वामपंथी उग्रवादियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिष्कृत हथियारों में पिछले कुछ वर्षों में काफी वृद्धि हुई है, पुलिस बलों को ऐसे तत्वों से निपटने हेतु अपनी क्षमता एवं दक्षता को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक हथियारों से पर्याप्त रूप से सुसज्जित होने की आवश्यकता है। राज्य पुलिस को सुसज्जित करने तथा पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए पु.आ. योजना एवं राज्य बजट में स्वीकृत परिव्यय से अप्रचलित हथियारों का आधुनिक हथियारों एवं अन्य उपकरणों से प्रतिस्थापन की परिकल्पना की गई है जिससे हिंसात्मक प्रदर्शनों, दंगों, आतंकवादियों/ नक्सल हमलों आदि जैसी स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। इसके लिए जरूरी है कि ना केवल पुलिस बल को सुसज्जित करने के मानदंडों की समीक्षा की जाए बल्कि निधि की पर्याप्तता भी सुनिश्चित की जाए तथा अधिग्रहण

²¹ 2014-15 का ₹ 0.66 करोड़ तथा 2015-16 का ₹ 3.56 करोड़

की प्रक्रिया का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जाए, जिससे पुलिस को अपेक्षित मात्रा में एवं क्षमतायुक्त आधुनिक हथियार तथा गोला-बारूद समय से प्रदान किया जा सके।

झारखण्ड पुलिस मैनुअल के नियम 1090 के अनुसार, इकाईयों से प्राप्त हथियारों तथा गोला बारूद के लिए माँग-पत्र पु.मु. द्वारा संकलित किया जाएगा एवं राज्य सरकार को सूचित करते हुए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसके बाद, केंद्र सरकार इसे आपूर्ति के लिए आयुध डिपो को भेज देगी। वर्ष 2008-09 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 1.3.10.1 में हथियारों की कमी तथा असमान वितरण को उजागर किया गया था। हालांकि, हथियारों की कमी एवं असमान वितरण अभी भी विद्यमान है, जिसकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

2.1.10.1 हथियारों की उपलब्धता

अभियान और प्रशिक्षण शाखा द्वारा हथियारों की आवश्यकता के विश्लेषण के आधार पर पु.मु. हथियारों एवं गोला-बारूद की आवश्यकता एवं उपलब्धता को दर्शाते हुए प्रत्येक वर्ष एक निश्चित माँग-पत्र तैयार करता है। हथियारों की आवश्यकता का आकलन हथियारों के प्राधिकृत दर²² तथा सशस्त्र पुलिस बल के स्वीकृत बल²³ के आधार पर किया जाता है।

1 अप्रैल 2013 एवं 31 मार्च 2018 को राज्य में हथियारों की स्थिति तथा 2013-18 के दौरान इनकी खरीद को तालिका 4 में दर्शाया गया है:

²² प्राधिकृत दर स्वीकृत सशस्त्र पुलिस बल के एक निश्चित प्रतिशत के लिए एक विशेष श्रेणी के हथियारों की आवश्यकता को दर्शाता है।

²³ जिला पुलिस बल को दो वर्गों में बांटा जाता है जिनके नाम जिला सशस्त्र पुलिस बल एवं सामान्य रक्षित पुलिस हैं। राज्य सशस्त्र पुलिस बल को सशस्त्र पुलिस बल माना जाता है। सामान्य रक्षित पुलिस को हथियार धारण करने के लिए अपेक्षित नहीं माना जाता है तथा हथियारों की आवश्यकता का आकलन केवल सशस्त्र पुलिस बल के लिए किया जाता है।

तालिका 4: हथियारों की आवश्यकता, क्रय, उपलब्धता एवं कमी

क्र.सं.	हथियारों के प्रकार	1 अप्रैल 2013 को			2013-18 कि अवधि में क्रय/ आपूर्तय	31 मार्च 2018 को		
		आवश्यकता	वर्तमान उपलब्धि	कमी (प्रतिशत)		आवश्यकता	आपूर्तय हथियारों सहित वर्तमान उपलब्धि	कमी (प्रतिशत)
मुख्य मारक हथियार								
1	5.56 इंसास राइफल	36,705	35,731	974 (3)	3,516	40,989	39,247	1,742 (4)
2	एके 47 राइफल	9,434	5,000	4,434(47)	401	10,535	5,401	5,134 (49)
3	5.56 एसजी 553	1,049	300	749 (71)	0	1,171	300	871 (74)
4	स्नाइपर राइफल	525	85	440 (84)	0	585	85	500 (85)
5	9 मिमी सिग पिस्टल	6,835	500	6,335 (93)	194	10,741 ²⁴	694	10,047 (94)
6	9 मिमी स्वचालित पिस्टल ²⁵	0	0	0 (0)	733	5,855	4,038	1,817 (31)
	उप योग	54,548	41,616	12,932 (24)	4,844	69,876	49,765	20,111 (29)
क्षेत्र हथियार								
7	एमपी-5 ए3/ए4	1,048	0	1,048 (100)	0	1,170	0	1,170 (100)
8	5.56 इंसास एलएमजी	2,620	1,180	1,440 (55)	150	2,926	1,330	1,596 (55)
9	51 मिमी मोर्टार	525	452	73 (14)	0	586	452	134 (23)
	उप योग	4,193	1,632	2,561 (61)	150	4,682	1,782	2,900 (62)
सहायक शस्त्र								
10	यूबीजीएल ²⁶	1,049	550	499 (48)	0	1,171	550	621 (53)
11	वीएल पिस्टल	1,048	288	760 (73)	0	1,170	288	882 (75)
	उप योग	2,097	838	1,259 (60)	0	2,341	838	1,503 (64)
	कुल योग	60,838	44,086	16,752(28)	4,994	76,899	52,385	24,514 (32)

(स्रोत: हथियारों एवं गोला-बारूद का मांग-पत्र तथा हथियारों की भण्डार सूची)

2013-18 के दौरान
हथियारों की कम
खरीद के कारण 2018
में हथियारों की कमी
में वृद्धि हुई

हालांकि, 2018 में हथियारों की उपलब्धता 2013 की तुलना में लगभग 19 प्रतिशत (8,299²⁷) बढ़ गई थी, लेकिन 2013 की तुलना में 2018 में हथियारों की कमी को समाप्त करने में कोई सुधार नहीं हुआ। बल्कि 2013-18 के दौरान हथियारों की कम खरीद के कारण 2018 में इन हथियार की तीनों श्रेणियों में कमी बढ़ गई।

²⁴ मांग पत्र में 5,850 की आवश्यकता को दर्शाया गया है जबकि मांग पत्र में दिखाए गए पुलिस बल की संख्या के आधार पर यह 10,741 होना चाहिये था जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा गणना किया गया है।

²⁵ प्राधिकृत हथियारों की सूची में 2015-16 में सम्मिलित किया गया।

²⁶ अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर।

²⁷ अप्रैल 2013 से पहले खरीदे गए/ विभाजन के समय बिहार से प्राप्त 3,305 पिस्टल (9 मिमी ऑटो) सहित।

निधि की कमी के कारण आवश्यकता से कम हथियार खरीदे गये। इसके फलस्वरूप, पुलिस कार्य में क्रमशः हटाए गए हथियारों का उपयोग हो रहा था

उक्त अवधि में हथियारों की वास्तविक कमी²⁸ के विरुद्ध वा.का.यो. में केवल 7,003 हथियार शामिल किए गए तथा केवल 4,994 हथियार खरीदे जा सके क्योंकि निधि निर्गत नहीं की गयी थी जैसा कि कंडिका 2.1.9.2 में दिखाया गया है। पु.मु. ने कहा (अगस्त 2019) कि अपर्याप्त निधि के कारण निर्धारित मात्रा में हथियार नहीं खरीदे जा सके। हालांकि, तथ्य यह है कि राज्य सरकार वा.का.यो. में हथियारों की खरीद को प्राथमिकता दे सकती थी अथवा इस उद्देश्य के लिए अपना हिस्सा जारी कर सकती थी। राज्य द्वारा अपने बजट में असैनिक कार्यों के लिए उपलब्ध निधि का एक हिस्सा सशस्त्रीकरण के लिए कर्णांकित कर सकती थी जो आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण घटक है।

हथियारों की कमी के कारण राज्य पुलिस बल क्रमशः हटाये गए²⁹ हथियारों जैसे एस.एल.आर., कार्बाइन और स्टेनगन पर निर्भर थी। पु.मु. ने नए हथियारों के साथ क्रमशः हटाये गये हथियारों के उपयोग को स्वीकार किया (अगस्त 2019) ।

लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए, विभाग ने कहा (अक्टूबर 2019) कि उसने मार्च 2019 तक हथियारों की वास्तविक आवश्यकता का आकलन किया था। वास्तविक स्वीकृत बल के आधार पर, हथियारों की कुल आवश्यकता की गणना की गई थी, जिसमें मुख्य कमी छोटे हथियारों की थी। विभाग ने आगे कहा कि छोटे हथियारों की खरीद के लिए कदम उठाए गए हैं और आयुध कारखाना बोर्ड को इसके लिए माँग प्रेषित की गई है।

2.1.10.2 गोला बारूद का आकलन

कारतूसों की आवश्यकता का आकलन गलत किया गया क्योंकि वर्तमान उपलब्ध कारतूसों की संख्या में खाली कारतूसों की संख्या को भी शामिल किया गया था

लेखापरीक्षा ने पाया कि पु.मु. ने 1.55 करोड़ कारतूस³⁰ की वर्तमान उपलब्धता दिखाते हुए मार्च 2018 को इंसास राइफल/ एल.एम.जी. के लिए 12 लाख कारतूस (5.56 मि.मी.) की कमी का आकलन किया। हालांकि, 58.78 लाख खाली कारतूस भी वर्तमान उपलब्ध कारतूस में शामिल कर लिए गए, जिसके कारण 58.78 लाख कारतूसों का कम आकलन हुआ, जो आवश्यक कारतूसों (1.67 करोड़) का 35 प्रतिशत था। पुनः, लेखापरीक्षा 9 मि.मी. और 7.62 मि.मी. (एस.एल.आर) के कारतूसों की पर्याप्तता का आकलन नहीं कर सका, जो क्रमशः हटाये गए हथियार जैसे एस.एल.आर, कार्बाइन और स्टेनगन के लिए आवश्यक थे क्योंकि पु.मु. ने न तो राज्य-स्तरीय सूची का संधारण किया था न ही उन क्षेत्रीय इकाईयों से आँकड़ा प्राप्त

²⁸ अप्रैल 2013: 16,752; अप्रैल 2014: 16,934; अप्रैल 2015: 18,431; अप्रैल 2016: 18,939; अप्रैल 2017: 18,465 तथा अप्रैल 2018: 24,514।

²⁹ प्राधिकार से बाहर किये गए हथियार।

³⁰ आपूर्ति के अधीन 12 लाख सहित, जिसके लिए क्रयादेश जारी गया था।

किया था, जिन्होंने झारखण्ड राज्य के निर्माण के समय बिहार राज्य से प्राप्त हथियारों की सूची का संधारण किया था। कारतूसों की कमी का लक्ष्याभ्यास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जैसा कि कंडिका 2.1.14.3 में वर्णित है। लेखापरीक्षा की टिप्पणी पर विभाग ने कोई जवाब नहीं दिया।

2.1.10.3 गोला-बारूद की आपूर्ति

7.62 मि.मी. कारतूस (84,080 संख्या), मोर्टार बम (450 संख्या), अश्रु-गैस के गोले (5,120 संख्या), डेटोनेटिंग कॉर्ड (100 मीटर) और आर.डी.एक्स./ वैक्स (2 कि.ग्रा.) की आपूर्ति के लिए विभाग ने आयुध कारखाना बोर्ड को ₹ 99.28 लाख का अग्रिम भुगतान (दिसंबर 2008 और सितंबर 2013 के मध्य) किया था। इन आवश्यकताओं के विरुद्ध, आयुध कारखाना बोर्ड ने ₹ 47.80 लाख के मूल्य का 7.62 मि.मी. का 76,450 कारतूस और 205 मोर्टार बम की आपूर्ति की थी (अप्रैल 2011 से अगस्त 2014)। पु.मु. द्वारा गृह मंत्रालय को नियमित स्मारकों के बावजूद शेष मर्दों की आपूर्ति अक्टूबर 2019 तक नहीं की गई थी जिसके लिए ₹ 51.48 लाख का अग्रिम भुगतान किया गया था। परिणामस्वरूप सभी 10 जैप के अश्रु-गैस दस्ते के पास कालातीत अश्रु-गैस के गोले थे जैसा कि उप-महानिरीक्षक, जैप द्वारा सूचित (मई 2015) किया गया था। परिणामस्वरूप कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जैप-3 के अश्रु-गैस दस्ते को कालातीत अश्रु-गैस के गोले निर्गत किए (नवंबर 2017 और फरवरी 2019 के बीच) गए थे।

इस संबंध में विभाग द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

2.1.10.4 हथियारों और गोला-बारूद का वितरण

लेखापरीक्षा ने क्षेत्र इकाईयों के बीच प्राधिकृत हथियार की दर तथा स्वीकृत-बल के सापेक्ष गोला-बारूद का असमान वितरण (परिशिष्ट 2.1.3 और 2.1.4) पाया जो अधोलिखित हैं:

➤ सभी नौ नमूना जाँचित जिलों में 30 से 68 प्रतिशत तक मुख्य मारक हथियारों की कमी थी। पुनः, दो वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों (धनबाद और पूर्वी सिंहभूम) में क्रमशः 68 एवं 65 प्रतिशत की कमी थी, जबकि गैर उग्रवाद प्रभावित जिलों गोड्डा और जामताड़ा में यह क्रमशः 43 एवं 48 प्रतिशत था।

आयुध निर्माण बोर्ड द्वारा आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण अश्रु-गैस दस्ते को कालातीत अश्रु-गैस के गोले निर्गत किए गए

नमूना जाँचित जिलों सहित दो वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों में मुख्य मारक हथियारों की कमी थी

क्षेत्रीय इकाईयों के बीच हथियारों और गोला-बारूद का असमान वितरण था जिससे कुछ के पास अधिक मारक हथियार थे जबकि अन्य क्रमशः हटाए गये हथियारों का उपयोग कर रहे थे

➤ नमूना जाँचित 12 रा.स.पु.ब. बटालियनों में से छः³¹ में मुख्य मारक हथियारों की कमी दो से 34 प्रतिशत तक की थी जबकि शेष छः³² बटालियनों में चार से 23 प्रतिशत तक की अधिकता थी।

➤ पंद्रह इकाईयाँ 13,079 मुख्य मारक हथियारों की कमी का सामना कर रही थीं और उनके पास इस कमी की भरपाई के लिए केवल 3,419 (26 प्रतिशत) क्रमशः हटाए गए हथियार थे, जबकि छः इकाईयों, जिनके पास पहले से ही अधिकृत हथियार से 765 मुख्य मारक हथियार अधिक थे, ने 2,703 क्रमशः हटाए गए हथियारों को अपने पास रखा था।

➤ इसी तरह, नमूना जाँचित इकाईयों में अधिकृत संख्या से, 9 मि.मी. (29,943), एके-47 (1,07,534) एवं 7.62 एस.एल.आर. (44,056), 1.82 लाख कारतूस अधिक थे, साथ ही साथ विभिन्न कैलिबर के 72.08 लाख³³ कारतूसों की कमी थी (**परिशिष्ट 2.1.4**) जो तर्कसंगत आयोजना में कमी को इंगित करता है।

इस प्रकार विभाग ने क्षेत्रीय इकाईयों के बीच हथियारों एवं गोला-बारूद की उचित/तर्कसंगत उपलब्धता को सुनिश्चित नहीं किया। अपर मुख्य सचिव ने निकास सम्मेलन (अक्टूबर 2019) के दौरान कहा कि हथियारों एवं गोला-बारूद के वितरण को युक्तिसंगत बनाने के लिए कार्रवाई की जाएगी तथा यदि आवश्यक हो तो मामले को देखने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।

2.1.11 सुरक्षा उपकरण

2.1.11.1 बुलेट-प्रूफ (बी.पी.) जैकेट और हेलमेट की उपलब्धता

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने बी.पी. जैकेट के लिए कोई मानक तय नहीं किया है। हालांकि, यह देखा गया कि विभाग ने प्रत्येक बटालियन की एक कंपनी³⁴ को 2005-06 तक बी.पी. जैकेट एवं बी.पी. हेलमेट से सुसज्जित करने की योजना (फरवरी 2001) बनाई थी। पुनः, झारखण्ड जगुआर (विशेष कार्य बल) के गठन के दौरान, 3,500 बी.पी. जैकेट एवं बी.पी. हेलमेट की मंजूरी (फरवरी 2008 और सितंबर 2009) दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रत्येक बटालियन की एक कंपनी को सुसज्जित करने के लिए आवश्यक 900 के विरुद्ध, नमूना-जाँचित 12 में से नौ रा.स.पु.ब. बटालियन के

³¹ जैप-7, जैप-10, आईआरबी-2, जेजे (एस.टी.एफ.), सैप-1 और सैप-2।

³² जैप-1, जैप-2, जैप-3, जैप-5, जैप-6 और आईआरबी-1।

³³ 9 मिमी (5.31 लाख), 5.56 मिमी (54.49 लाख), एके 47 (3.06 लाख) और एसएलआर (9.22 लाख)।

³⁴ 100 कर्मियों से युक्त।

बुलेट-प्रूफ जैकेट और हेलमेट की कमी थी और कुछ इकाईयों के पास ये बिल्कुल नहीं थे

पास केवल 668 बी.पी. जैकेट एवं 586 बी.पी. हेलमेट थे। पुनः यह पाया गया कि एक बटालियन (जैप-1) के पास 334 बी.पी. जैकेट थे, जबकि आठ बटालियन में केवल तीन से 57 बी.पी. जैकेट थे। जे.जे. (एस.टी.एफ) सहित शेष तीन³⁵ नमूना-जाँचित बटालियन में बी.पी. जैकेट नहीं थे। इस तरह बी.पी. जैकेट की कमी 43 एवं 100 प्रतिशत (*परिशिष्ट 2.1.5*) के मध्य थी। जे.जे. (एस.टी.एफ) ने अभियान के दौरान बलों की सुरक्षा के लिए पु.मु. को 400 बी.पी. जैकेट (प्रत्येक मारक दस्ता हेतु 10) प्रदान करने का अनुरोध (अगस्त 2017 और नवंबर 2018 के बीच) भी किया था। हालांकि, यह जुलाई 2019 तक उपलब्ध नहीं कराया गया था। यद्यपि 2016-18 के वा.का.यो. में 330 बी.पी. जैकेट की खरीद का प्रावधान शामिल किया गया था किन्तु योजना के लिए निधि जारी नहीं किये जाने के कारण इनकी खरीद नहीं की जा सकी।

अभियान के दौरान पुलिसकर्मियों को अनिवार्य रूप से बी.पी. जैकेट एवं हेलमेट पहनने हेतु विभाग ने कोई एस.ओ.पी विकसित नहीं किया। बी.पी. जैकेट एवं हेलमेट की अनुपलब्धता/ कमी के कारण जख्मी/ हताहतों का आँकड़ा संधारित नहीं किया गया था

बी.पी. जैकेट एवं हेलमेट की अनुपलब्धता/ कमी के कारण पुलिस बलों द्वारा किए जाने वाले अभियान हताहत होने के जोखिम से भरे हैं। विभाग ने बी.पी. जैकेट एवं हेलमेट की अनुपलब्धता/ कमी के कारण गोलियों से जख्मी/ हताहतों का आँकड़ा संकलित नहीं किया था। परिणामस्वरूप, विभाग अभियान के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा अनिवार्य रूप से बी.पी. जैकेट एवं हेलमेट पहनने हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) को विकसित नहीं कर सका।

वर्ष 2008-09 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 1.3.10.5 में भी इस मुद्दे को उजागर किया गया था।

अपर महानिदेशक (आधुनिकीकरण) ने निकास सम्मेलन (अक्टूबर 2019) के दौरान कहा कि बी.पी. जैकेट के साथ प्रमुख समस्या इसका वजन है जो अभियान के दौरान सैनिकों की गतिशीलता को, विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में, प्रभावित करता है तथा हल्के वजन वाले बी.पी. जैकेट महंगे होते हैं। अपर महानिदेशक (आधुनिकीकरण) ने आगे कहा कि पु.मु. बी.पी. जैकेट की कमी के कारण गोलियों से हताहतों के आँकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण करेगा तथा बी.पी. जैकेट का उपयोग करने के लिए एस.ओ.पी. विकसित करने की व्यवहार्यता का भी अध्ययन करेगा।

³⁵ जैप-6, जेजे (एस.टी.एफ.) और सैप-1।

निधि की कमी के कारण सुरक्षा घेरा प्रदान करने हेतु विशेष शाखा के पास आवश्यक मेटल डिटेक्टर की कमी थी

2.1.11.2 अन्य सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता

सुरक्षा जाँच के लिए मेटल डिटेक्टर, विस्फोटक संसूचक, बम संसूचक, एक्स-रे स्कैनर आदि जैसे सुरक्षा उपकरण आवश्यक हैं। विशेष शाखा ने पु.मु. को सूचित (जुलाई 2017) किया था कि राज्य पुलिस के पास उपलब्ध 2,029 सुरक्षा उपकरण³⁶ बहुत पुराने थे और इनमें से 1,345 उपकरण³⁷ (66 प्रतिशत) अकार्यशील एवं मरम्मत से परे थे। विशेष शाखा ने 462 नए सुरक्षा उपकरण³⁸ की भी माँग (जुलाई 2017 और दिसंबर 2018 के बीच) की थी। यद्यपि 2016-17 के वा.का.यो. में 90 मेटल डिटेक्टर का प्रावधान किया गया था किन्तु पु.आ. निधि निर्गत नहीं होने के कारण इनकी खरीद नहीं की गई। हालांकि, विभाग ने आवश्यक मेटल डिटेक्टर की खरीद के लिए राज्यांश जारी नहीं किया, जिसका कारण अभिलेखों में नहीं था।

इस प्रकार, विशेष शाखा में मुख्य रूप से अति-महत्वपूर्ण/ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सुरक्षा घेरा प्रदान करने हेतु आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की कमी थी। पु.मु. ने सुरक्षा उपकरणों की कमी के कारण होने वाली कठिनाइयों को स्वीकार (अगस्त 2019) किया तथा कहा कि आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया। विभाग ने पुनः कहा (अक्टूबर 2019) कि सुरक्षा उपकरणों की कमी को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है।

अनुशंसा: हथियारों, संचार-उपकरणों, बी.पी. जैकेटों एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों की खरीद के लिए विभाग को परिसंपत्तियों और संसाधनों का आकलन पूर्ण करना चाहिए तथा धन के स्रोतों की पहचान करनी चाहिए और राज्य पुलिस बलों को पर्याप्त रूप से सुसज्जित करने के लिए खरीद में तीव्रता लानी चाहिए।

2.1.12 गतिशीलता

पुलिस बल के कुशल एवं प्रभावी प्रदर्शन हेतु गतिशीलता महत्वपूर्ण है। इसे एक इकाई के पुलिस बल को घटना स्थल पर पहुँचने की दक्षता के रूप में मापा जाता है। कानून-व्यवस्था की स्थिति पर त्वरित प्रतिक्रिया, कीमती जीवन को बचाने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों की सुरक्षा करने में मदद करती है। पुलिसकर्मियों की गतिशीलता में सुधार के लिए पर्याप्त संख्या में वाहनों को रखना आवश्यक है। पुलिस वाहनों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है;

³⁶ डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (डी.एफ.एम.डी): 367, डीप सर्च मेटल डिटेक्टर (डी.एस.एम.डी): 319, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर (एच.एच.एम.डी): 1170 और अन्य: 173।

³⁷ डी.एफ.एम.डी: 310, डी.एस.एम.डी: 230, एच.एच.एम.डी: 693 और अन्य: 112।

³⁸ डी.एफ.एम.डी: 125, डी.एस.एम.डी: 10, एच.एच.एम.डी: 300 और अन्य: 27।

यथा-भारी मोटर वाहन (भा.वा.), मध्यम मोटर वाहन (म.वा.), हल्के मोटर वाहन (ह.वा.) तथा अत्यंत हल्के मोटर वाहन (दो एवं तीन पहिया)। इन सब वाहनों के अलावा, राज्य पुलिस को विशेष प्रयोजन वाहन (वि.प्र.वा.) की भी आवश्यकता होती है, जैसे- बारूदी सुरंग-रोधी वाहन, दंगा-नियंत्रण वाहन, एम्बुलेंस, मोबाइल फॉरेंसिक वाहन, पानी का टैंकर, कैदी वाहन आदि।

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि पुलिस थानों एवं चौकियों सहित क्षेत्रीय इकाईयों में मार्च 2018 को वाहनों की कमी थी जैसा की नीचे वर्णित है:

2.1.12.1 वाहनों की उपलब्धता

विभाग ने विभिन्न पुलिस इकाई के लिए वाहनों का कोई मानक तय नहीं किया था। हालांकि, वर्ष 2000 में बी.पी.आर.डी. द्वारा तय किये गए मानक³⁹ के अनुसार राज्य पुलिस के लिए मार्च 2013 और मार्च 2018 में वाहनों की आवश्यकता एवं उपलब्धता तालिका 5 में दर्शायी गई है:

तालिका 5: राज्य पुलिस के पास वाहनों की आवश्यकता एवं उपलब्धता

विवरण	भा.वा.	म.वा.	ह.वा.	मोटर साइकिल	योग
1 अप्रैल 2013 को उपलब्ध वाहन	240	956	2207	1777	5180
1 अप्रैल 2013 ⁴⁰ को वाहनों की आवश्यकता	849	930	1708	1874	5361
1 अप्रैल 2013 को कमी (-)/अधिक्य (+) (कोष्ठक में प्रतिशत)	(-) 609 (72)	(+) 26 (3)	(+) 499 (29)	(-) 97 (5)	(-) 181 (3)
2013-18 के दौरान क्रय वाहन	0	233	1128	1150	2511
2013-18 के दौरान ऑफ-रोड घोषित वाहन	40	172	409	177	798 ⁴¹
31 मार्च 2018 को उपलब्ध वाहन	200	1017	2926	2750	6893
31 मार्च 2018 ⁴² को वाहनों की आवश्यकता	915	971	2028	2335	6249
31 मार्च 2018 को कमी (-)/अधिक्य (+) (कोष्ठक में प्रतिशत)	(-) 715 (79)	(+) 46 (5)	(+) 898 (44)	(+) 415(18)	(+) 644 (10)

(स्रोत: बी.पी.आर.डी मानक तथा पु.मु के अभिलेख)

³⁹ (i) सशस्त्र बटालियन: भारी वाहन-29, मध्यम वाहन-8, हल्के वाहन-13 और मोटर साइकिल-5; (ii) जिला पुलिस केंद्र: भारी वाहन-जिला कारा हेतु दो सहित 9, मध्यम वाहन-अनुमंडल हेतु एक सहित 18, हल्के वाहन-14 और मोटर साइकिल-7; (iii) पुलिस थाना: हल्के वाहन-2 और मोटर साइकिल-3; (iv) पुलिस चौकी: मोटर साइकिल-2

⁴⁰ बी.पी.आर.डी. मानक के अनुसार 18 रा.स.पु.ब. बटालियन (10 जैप, पाँच आई.आर.बी, दो सैप तथा एक एस.आई.एस.एफ), 24 पुलिस केंद्र, 39 अनुमंडल, 395 थाने, 81 चौकी के लिए आकलित, तथा जेजे (एस.टी.एफ) के लिए 422 वाहन (मध्यम वाहन-250, हल्के वाहन-144 और मोटर साइकिल-28) जैसा कि विभाग द्वारा फरवरी 2008 एवं अक्टूबर 2009 में स्वीकृत किया गया।

⁴¹ रद्विकृत: 774, रद्वीकरण हेतु प्रतीक्षित: 17, दुर्घटनाग्रस्त: 2 तथा बड़ी मरम्मत हेतु प्रतीक्षित: 5

⁴² 20 रा.स.पु.ब. बटालियन (10 जैप, पाँच आई.आर.बी, दो सैप तथा एक एस.आई.एस.एफ), 24 पुलिस केंद्र, 59 अनुमंडल, 521 कार्यरत थाने तथा 87 कार्यरत चौकी के लिए आकलित।

विभाग ने विभिन्न पुलिस इकाईयों हेतु आवश्यकता आकलन के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों का कोई मानक तय नहीं किया। भारी मोटर वाहनों की कमी थी

वाहन चालकों की अत्यधिक कमी थी

तालिका 5 से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि लेखापरीक्षा अवधि 2013-18 के दौरान ह.वा. एवं मोटर-साइकिल की उपलब्धता में सुधार हुआ, भा.वा. की कमी थी। पुनः जबकि लगभग 20 प्रतिशत भा.वा. ऑफ-रोड थे, कोई खरीद नहीं की गई। पु.मु. ने कहा (अगस्त 2019) कि झारखण्ड के पहाड़ी इलाकों में भा.वा. एवं म.वा. की अपनी सीमाएँ हैं एवं पुलिस मोटर-साइकिल गस्ती-दल पर ज्यादा भरोसा करती है, क्योंकि बारूदी सुरंग वाले क्षेत्रों में भा.वा. एवं म.वा. की तुलना में यह ज्यादा असरदायक एवं कम जोखिम वाला है। हालांकि, तथ्य यह है कि विभाग ने आवश्यकता का आकलन करने के लिए अपनी विभिन्न पुलिस इकाईयों के लिये विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए मानक तय नहीं किया। निकास सम्मेलन के दौरान (अक्टूबर 2019) विभाग के अपर मुख्य सचिव ने स्वीकार किया पु.मु. के पास वाहनों के क्रय हेतु आवश्यकता आधारित मानक होना चाहिए एवं संगठन का एक बार समग्र खाका तैयार होने पर इस कमी को पूरा करने पर ध्यान दिया जाएगा।

पुनः, 4,143 भा.वा./ म.वा./ ह.वा. तथा 434 विशेष वाहन⁴³ के परिचालन हेतु कम से कम 4,577 पुलिस चालक⁴⁴ की आवश्यकता थी जबकि चालक का स्वीकृत एवं कार्यरत बल मार्च 2018 तक क्रमशः 4,105⁴⁵ एवं 2,455⁴⁶ था। पु.मु. ने कहा (अगस्त 2019) कि चालकों की कमी की भरपाई गृह रक्षा वाहिनी तथा वैसे आरक्षी के माध्यम से की गयी जो प्रशिक्षित थे एवं चालक अनुज्ञप्ति रखते थे। विभाग ने कहा (अक्टूबर 2019) कि आरक्षी चालक की बहाली हेतु नियमावली निरूपण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है एवं कमियों को पूरा कर लिया जाएगा।

2.1.12.2 वाहनों का वितरण

पुलिस वाहनों की खरीददारी जरूरत के हिसाब से पु.मु. द्वारा समेकित रूप से की जाती है और उनका वितरण क्षेत्रीय इकाईयों एवं विभिन्न शाखाओं में, उनके माँग के आधार पर किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2018 तक नमूना-जाँचित नौ जिलों में से तीन⁴⁷ जिलों में बी.पी.आर.डी. मानकों से छः से 114 प्रतिशत तक अधिक वाहन थे, जबकि छः जिलों में नौ से 33 प्रतिशत तक की कमी थी। उसी प्रकार, मार्च 2018 तक नमूना-

⁴³ कैदी वाहन, एम्बुलेंस, रिकवरी वाहन, जल टैंकर, दंगा-रोधी वाहन इत्यादि।

⁴⁴ झारखण्ड पुलिस मैनुअल के नियम 1185 के अनुसार, 15 क्यूबिक भार से अधिक के वाहन यथा भारी वाहन के लिए दो चालक तथा अन्य वाहनों के लिए एक चालक स्वीकृत होने चाहिए।

⁴⁵ हवलदार चालक-917 तथा कांस्टेबल चालक: 3,188

⁴⁶ हवलदार चालक-567 तथा कांस्टेबल चालक: 1,888

⁴⁷ हजारीबाग, लातेहार तथा राँची।

जाँचित 12 रा.स.पु.ब. बटालियनों में से जैप-1 में 51 प्रतिशत अधिक वाहन थे जबकि शेष 11 बटालियनों में 20 से 56 प्रतिशत तक की कमी थी (परिशिष्ट 2.1.6.)।

लेखापरीक्षा ने पुनः पाया कि:

वाहनों का वितरण
असमान था

- नमूना-जाँचित 12 रा.स.पु.ब. बटालियनों के पास कुल 36 प्रतिशत वाहनों की कमी थी, जबकि नमूना-जाँचित नौ जिलों के पास सात प्रतिशत अधिक वाहन थे, बावजूद इसके कि रा.स.पु.ब. राज्य का अग्रिम पंक्ति का लड़ाकू बल था।
- लेखापरीक्षा ने पाया कि 2013-18 के वा.का.यो. में 3,442 मोटर साइकिल के क्रय का प्रावधान किया गया था क्योंकि यह ग्रामीण एवं झारखण्ड के दुर्गम जंगली इलाकों में यातायात का सुरक्षित साधन था तथा भा.वा. एवं म.वा. की तुलना में बारूदी सुरंग के विरुद्ध कम जोखिम वाला था। हालांकि, 2013-18 के दौरान केवल 1,150 मोटर साइकिल का क्रय किया गया। परिणामस्वरूप, प्रत्येक पुलिस थाना में तीन तथा चौकी में दो मोटर साइकिल के बी.पी.आर.डी. मानक के विरुद्ध मार्च 2018 तक नमूना-जाँचित 19 ग्रामीण/ नक्सल थानों एवं नौ चौकियों में से 14 थानों (74 प्रतिशत) एवं पाँच चौकियों (56 प्रतिशत) के पास मोटर साइकिल नहीं था। पु.मु. ने बजट की कमी को कम मोटर साइकिल खरीदने का कारण बताया (अगस्त 2019)। हालांकि, तथ्य यह था कि वा.का.यो. में अनुमोदित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभाग ने मार्च 2018 तक न तो अपने पास उपलब्ध ₹ 4.22 करोड़ का उपयोग किया न ही राज्य बजट से संसाधन की व्यवस्था की। पुनः, यहाँ तक कि उपलब्ध मोटर साइकिल का भी तर्कसंगत वितरण नहीं किया गया क्योंकि लातेहार एवं राँची जिला में क्रमशः 200 प्रतिशत एवं 64 प्रतिशत अधिक मोटर साइकिल था, जबकि धनबाद एवं पूर्वी सिंहभूम में क्रमशः 68 एवं 61 प्रतिशत की कमी थी।
- लेखापरीक्षा ने पाया कि 14 ह.वा. के बी.पी.आर.डी. मानक के विरुद्ध नमूना-जाँचित नौ में से छः⁴⁸ जिलों ने अपने जिला मुख्यालय में 16 से 30 ह.वा. रखे थे, जिसके कारण पुलिस थानों में ह.वा. की कमी थी। प्रत्येक थाना के पास तीन ह.वा. के मानक के विरुद्ध, इन छः जिलों के नमूना-जाँचित 36 थानों में से, नौ थानों (25 प्रतिशत) में दो ह.वा. थे, 10 थानों (28 प्रतिशत) के पास एक ह.वा. था जबकि चार थानों (11 प्रतिशत) के पास ह.वा. नहीं थे। इस प्रकार, जहाँ

⁴⁸ धनबाद, गोड्डा, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार तथा राँची

जिला मुख्यालय के पास अधिक ह.वा. थे, नमूना-जाँचित 64 प्रतिशत थानों के पास मानक से कम ह.वा. थे जिसका प्रतिक्रिया समय⁴⁹ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

इस तरह, विभाग ने जिला एवं सशस्त्र बटालियन के बीच वाहनों का तर्कपूर्ण वितरण सुनिश्चित नहीं किया जबकि यह तथ्य वर्ष 2008-09 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 1.3.9.2 के द्वारा उजागर किया गया था।

निकास सम्मेलन के दौरान (अक्टूबर 2019) अपर महानिदेशक (आधुनिकीकरण) ने कहा कि वाहनों एवं अन्य संसाधनों के वितरण की समीक्षा हेतु उद्यम संसाधन आयोजना को प्रभावी बनाया जायेगा।

2.1.12.3 प्रतिक्रिया समय

पुलिस सुधार पर गठित सर्राफ समिति का यह मंतव्य था कि एक उद्देश्य एवं दिशा की समझ विकसित करने के लिए अधिकतम प्रतिक्रिया समय निर्धारित करना जरूरी है एवं अपराध स्थल तक पहुँचने हेतु अधिकतम 5 मिनट की प्रतिक्रिया समय की अनुशंसा की। नियम 41 के साथ पठित नियम 39 यह निर्धारित करता है कि संज्ञेय अपराध होने की मौखिक अथवा लिखित सूचना जब पुलिस को प्राप्त होती है तो उसे प्रथम सूचना माना जाएगा एवं पुलिस थाना उस प्राप्त सूचना पर तुरंत कार्रवाई करेगा। पुनः, झारखण्ड पुलिस एकीकृत डायल-100, जो राज्य आकस्मिक प्रतिक्रिया प्रणाली का एक अंग है, ने ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में 15 मिनट के भीतर अपराध स्थल पर पहुँचने की प्रतिक्रिया समय का लक्ष्य रखा है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पु.मु. ने झारखण्ड के 24 जिलों में से 19 जिलों के वामपंथ उग्रवाद प्रभावित होने के आधार पर कोई प्रतिक्रिया समय तय नहीं किया। लेखापरीक्षा ने नमूना-जाँचित 41 पुलिस थाना/ चौकी से संबंधित 2014 से 2018 तक की अवधि के 545 विशेष प्रतिवेदित मामलों⁵⁰ यथा- गंभीर प्रकृति के मामले, का विश्लेषण किया एवं पाया कि 104 मामलों (19 प्रतिशत) में प्रतिक्रिया समय 30 मिनट के अन्दर था। हालांकि, 192 मामलों (35 प्रतिशत) में प्रतिक्रिया समय 30 मिनट से 60 मिनट के बीच था, 133 (24 प्रतिशत) मामलों में यह 60 से 120 मिनट का था जबकि शेष 116 मामलों (22 प्रतिशत) में प्रतिक्रिया समय 120 मिनट से अधिक का था। (परिशिष्ट 2.1.7)

⁴⁹ अपराध की सूचना प्राप्ति के समय से पुलिस द्वारा अपराध स्थल पर पहुँचने के समय के बीच का अंतराल

⁵⁰ विशेष प्रतिवेदित (वि.प्रति.) मामले: डकैती, लूट, हत्या, दंगा, चोरी, पेशेवर तरीके से मादक द्रव देना, दुर्घटना, अत्याचार इत्यादि।

वर्ष 2008-09 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 1.3.9.3 में भी 234 मिनट के असंतोषजनक प्रतिक्रिया समय को उजागर किया गया था।

पु.मु. ने तथ्य को स्वीकार किया एवं कहा (अगस्त 2019) कि डायल-100 पर दर्ज शिकायत के विरुद्ध राँची शहर में प्रतिक्रिया समय सामान्यतः 18 से 20 मिनट का था एवं अन्य शहरों के लिये भी प्रतिक्रिया समय को निर्धारित करने एवं राँची में इसे और कम करने के प्रयास किये जा रहे थे।

हालांकि, विभाग के द्वारा अक्टूबर 2019 में यह कहा गया कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उद्धृत प्रतिक्रिया समय की अवधारणा गलत है क्योंकि यह प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर.) दर्ज होने के पश्चात अनुसंधान पदाधिकारी के घटना स्थल पर पहुँचने के समय के आधार पर है। विभाग ने पुनः कहा कि प्रतिक्रिया समय का आकलन डायल-100 पर शिकायत प्राप्त होने के बाद पुलिस नियंत्रण कक्ष (पी.सी.आर.) वैन, हाइवे पेट्रोल या पुलिस थाना वाहन द्वारा घटना स्थल पर पहुँचने में लगे समय के आधार पर होना चाहिये।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नमूना जाँचित पुलिस थाना से लेखापरीक्षा द्वारा संकलित प्रतिक्रिया समय का आँकड़ा थाना में अपराध की सूचना प्राप्त होने पर उनकी प्रतिक्रिया से संबंधित है तथा यह प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर.) दर्ज होने के पश्चात अनुसंधान पदाधिकारी के घटना स्थल पर पहुँचने के समय के आधार पर नहीं है। इसके अलावे, डायल-100 का नियंत्रण कक्ष, घटना की सूचना प्राप्त होने के पश्चात पुलिस वाहन द्वारा घटना स्थल पर पहुँचने में लगे समय से संबंधित कोई आँकड़ा संधारित नहीं करता था।

2.1.13 संचार प्रणाली

संचार की आधुनिक प्रणाली प्रभावकारी पुलिसिंग की रीढ़ है। राज्य पुलिस उच्च आवृत्ति (एच.एफ⁵¹), अति उच्च आवृत्ति (वी.एच.एफ⁵²) एवं पोल-नेट⁵³ तरंगों का उपयोग करती है। 26 पोल-नेट स्टेशन, जो राज्य में 2004-05 में स्थापित किये गए,

⁵¹ एच.एफ. संचार प्रणाली एक लंबी दूरी का संचार है जो सभी जिला मुख्यालयों से राज्य की राजधानी में स्थित है। यह एक से एक के बीच संचार के लिए इस्तेमाल होता है।

⁵² वी.एच.एफ. संचार प्रणाली एक ऐसा तंत्र है जो जिलों के अंतर्गत संचार के लिए है।

⁵³ पोलनेट एक उपग्रह आधारित स्वतंत्र पुलिस दूरसंचार प्रणाली है जो देश के पुलिस संचार को ध्वनि/फैक्स/ आँकड़ा संचरण के द्वारा समेकित करता है जो संदेशों के अवरोधन से सुरक्षित है। इस प्रणाली को पुनर्जीवित किया जा रहा है जैसा कि मई 2019 में भारत सरकार द्वारा राज्य को संसूचित किया गया है।

में से केवल तीन कार्य कर रहे थे जबकि 23 अलग अलग तकनीकी कारणों से कार्य नहीं कर रहे थे। जैसा कि पुलिस मुख्यालय द्वारा बताया गया (अगस्त 2019), विद्यमान पोल-नेट की आधारभूत संरचना को उन्नत किया जा रहा है, राज्य पुलिस मुख्यतः एच.एफ/ वी.एच.एफ संचार प्रणाली का उपयोग कर रही है। वर्तमान संचार प्रणाली में पायी गयी कमियों को नीचे वर्णित किया गया है:

2.1.13.1 संचार उपकरणों की उपलब्धता

संचार के न्यूनतम स्तर को बनाये रखने के लिये बी.पी.आर.डी. ने संचार उपकरणों का पैमाना निर्धारित किया था (2001) जिसे राज्यों / केन्द्र-शासित प्रदेशों को 2006 तक हासिल करना था।

संचार उपकरणों यथा रिपीटर, डिजिटल बेस/ मोबाइल तथा अन्य हैण्ड-हेल्ड उपकरणों की आवश्यकता एवं उपलब्धता को तालिका-6 में दर्शाया गया है:

तालिका 6: संचार उपकरणों की आवश्यकता एवं उपलब्धता

1 अप्रैल 2013 को		31 मार्च 2018 को	
आवश्यकता	उपलब्धता (प्रतिशत)	आवश्यकता	उपलब्धता (प्रतिशत)
12,334	10,100 (82)	12,909	10,687 (83)

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपलब्ध 10,687 सेटों में से 4,222 सेट (39.5 प्रतिशत) कार्य नहीं कर रहे थे क्योंकि इनका जीवन-अवधि समाप्त हो गया था/ खारिज हो गए थे/ किफायती मरम्मत के योग्य नहीं थे। इस प्रकार, विभाग स्टैटिक, मैनपैक, हैण्ड-हेल्ड उपकरणों की 37 से 71 प्रतिशत तक की कमी के साथ 6,465 सेटों पर निर्भर था (परिशिष्ट 2.1.8)।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए विभाग ने कहा (अक्टूबर 2019) कि इन कमियों को पाटने के लिए कार्रवाई की जा रही है। निकास सम्मेलन के दौरान (अक्टूबर 2019) विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संचार प्रणाली का एक पूर्ण ब्लूप्रिंट तैयार किया जायेगा।

2.1.13.2 डिजिटल संचार प्रणाली का अभाव

पुलिस संचार को अवरोधन⁵⁴ से बचाने के लिए गृह मंत्रालय ने राज्यों को एनालॉग सेट के स्थान पर डिजिटल संचार उपकरणों को प्राथमिकता देने के लिए निर्देशित किया (दिसम्बर 2012)। भारत सरकार के संचार मंत्रालय का वायरलेस प्लानिंग एवं

संचार उपकरणों की 17 प्रतिशत की कमी थी। पुनः, उपलब्ध संचार सेटों में लगभग 40 प्रतिशत अकार्यशील थे। 6,465 कार्यशील संचार सेटों में से 91 प्रतिशत एनालॉग सेट थे जो अवरोधन हेतु संवेदनशील थे

⁵⁴ एनालॉग संचार में कोडिंग संभव नहीं है जबकि डिजिटल में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और इस तरह एनालॉग संचार गुप्त सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए उपयुक्त नहीं है।

समन्वय प्रभाग (डब्लू.पी.सी.) राज्य पुलिस द्वारा क्रय किये गए नये डिजिटल सेटों के लिए आवृत्ति का आवंटन⁵⁵ करता है।

विभाग ने 2016-18 के वा.का.यो. में 1,090 डिजिटल वी.एच.एफ. बेस/ मोबाइल तथा हैण्ड-हेल्ड सेटों का प्रावधान किया एवं ₹ 1.25 करोड़ के 808 डिजिटल सेटों⁵⁶ के साथ एसेसरीज की आपूर्ति के लिए क्रयादेश जारी किया (जुलाई 2018)। हालांकि, 2004-05 से 2018-19 के अवधि का बकाया ₹ 15.47 करोड़ (₹ 10.81 करोड़ बिलंब शुल्क सहित) का स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान नहीं होने के कारण डब्लू.पी.सी. ने आवश्यक अनुमति नहीं प्रदान की और अंततः आदेशित डिजिटल सेट खरीदे नहीं जा सके (नवम्बर 2018)।

लेखापरीक्षा ने पुनः पाया कि मार्च 2018 में 6,465 कार्यशील संचार सेटों में 5,878 (91 प्रतिशत) एनालॉग सेट थे जो अवरोधित किए जा सकते थे। अतः गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों की तिथि के छः वर्ष बाद भी विभाग अवरोधन मुक्त संचार प्रणाली को सुनिश्चित नहीं कर सका।

पुलिस मुख्यालय ने जवाब में कहा (अगस्त 2019) कि शुरुआत में निधि कमी के कारण स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सका जो बाद में विलम्ब शुल्क के कारण बढ़ गया। विभाग ने विलम्ब शुल्क की माफी का प्रयास किया जिसके कारण और देर हुई। आगे यह बताया गया कि 2019-20 में इसका भुगतान कर दिया जायगा।

निकास सम्मेलन (अक्टूबर 2019) में अपर महानिदेशक (आधुनिकीकरण) ने स्वीकार किया कि चार से पाँच हजार डिजिटल संचार सेटों की कमी थी और कहा कि इस सम्बंध में ₹ 30 करोड़ की एक योजना बनाई गयी है। अपर महानिदेशक ने यह भी कहा कि स्पेक्ट्रम शुल्क का चार करोड़ का भुगतान इस वर्ष (2019-20) कर दिया जायगा और शेष राशि को अगले वित्तीय वर्ष (2020-21) में दे दिया जायगा। उन्होंने पुनः कहा कि टावर लगाने तथा संचार सेटों की खरीद के लिए समुचित कार्रवाई की जायगी।

⁵⁵ स्थान अथवा उपकरण के बदलने पर आवृत्ति आवंटन के लिए नये आवेदन की आवश्यकता होती है।

⁵⁶ रीपीटर सेट: 8, डिजिटल बेस/मोबाइल सेट: 250 तथा हैंड-हेल्ड सेट: 550

2.1.14 प्रशिक्षण

पुलिस बल की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने एवं उनके कार्य निष्पादन में आधुनिक तकनीकी अनुप्रयोगों और कौशल विकास की तैयारियों को सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षण आवश्यक है।

विभाग के अंतर्गत महानिदेशक (डी.जी.), प्रशिक्षण, झारखण्ड में पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण आवश्यकताओं की निगरानी के लिए जिम्मेवार हैं। झारखण्ड में पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य में छः⁵⁷ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान हैं। जनवरी 2015 में अधिसूचित कॉन्स्टेबल ट्रेनिंग स्कूल (सी.टी.एस), मुसाबनी निर्माणाधीन होने के कारण जून 2019 तक चालू नहीं था। इसके अतिरिक्त, राज्य में नक्सल खतरे से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कें.स.पु.ब की तर्ज पर चार⁵⁸ आतंकवाद-निरोधक एवं आतंकवाद-विरोधी (सी.आई.ए.टी) स्कूल भी स्थापित किए गए (जून 2010 से मार्च 2013)। रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों के अलावा विभिन्न⁵⁹ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, जिला/ बटालियन मुख्यालयों में भी आयोजित किए गए। प्रशिक्षण में पायी गयी कमियों की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

2.1.14.1 आयोजित प्रशिक्षण

झारखण्ड पुलिस मैनुअल (झा.पु.मै.) पुलिस कर्मियों के लिए चतुर्स्तरीय प्रशिक्षण का प्रावधान करता है यथा (i) नियुक्ति पर आरंभिक (ii) प्रोन्नतीय (iii) रिफ्रेशर और (iv) सेवा-काल में विशिष्ट प्रशिक्षण।

2013-18 के दौरान प्रदान किए गए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण का विवरण तालिका 7 में दिखाया गया है:

⁵⁷ 1. झारखण्ड पुलिस अकादमी (जे.पी.ए), हजारीबाग, 2. झारखण्ड सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र (जेप-टीसी), पदमा, 3. ट्रैफिक ट्रेनिंग स्कूल (टी.टी.एस), जमशेदपुर, 4. कॉन्स्टेबल ट्रेनिंग स्कूल (सी.टी.एस), मुसाबनी, 5. जंगल वारफेयर स्कूल (जे.डब्ल्यू.एफ.एस), नेतरहाट तथा 6. इन्वेस्टीगेशन ट्रेनिंग स्कूल (आइ.टी.एस), राँची।

⁵⁸ 1. सी.आई.ए.टी स्कूल, पदमा, 2. सी.आई.ए.टी स्कूल, नेतरहाट, 3. सी.आई.ए.टी स्कूल, मुसाबनी एवं 4. सी.आई.ए.टी स्कूल, टैंडरग्राम, राँची।

⁵⁹ बेसिक, सीनियर लीडरशिप कोर्स (एसएलसी) और स्पेशल प्रमोशनल कोर्स (एसपीसी)।

तालिका 7: 2013-18 के दौरान आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण

वर्ष	मार्च में कार्यरत बल (का.ब)	नियुक्ति पर आरंभिक	प्रोन्नतीय	रिफ्रेशर (का.ब का प्रतिशत)	विशिष्ट प्रशिक्षण	योग
2013-14	56,292	2,914	1,221	4,403 (8)	2,724	11,262
2014-15	55,593	703	968	5,689 (10)	3,600	10,960
2015-16	55,515	576	2,793	7,792 (14)	2,015	13,176
2016-17	56,209	1,136	4,530	2,370 (4)	3,502	11,538
2017-18	60,692	64	4,606	761 (1)	3,651	9,082
योग		5,393	14,118	21,015	15,492	56,018

(स्रोत: अपर महानिदेशक, प्रशिक्षण)

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

नक्सल खतरे से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु स्थापित तीन आतंकवाद निरोधक एवं आतंकवाद विरोधी (सी.आई.ए.टी) स्कूलों में 39 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को आयु मानकों का पालन किए बिना सी.आई.ए.टी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। युवा सैन्य नेतृत्व को विशेष प्रशिक्षण की कमी नक्सल विरोधी अभियानों में स्वतंत्र रूप से राज्य बलों की तैनाती नहीं करने का एक कारण था

- सी.आई.ए.टी प्रशिक्षण, एक विशिष्ट प्रशिक्षण, प्रदान करने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रशिक्षुओं के लिये आयु-सीमा⁶⁰ निर्धारित (नवंबर 2011) किया गया था। हालांकि, नमूना जाँचित चार सी.आई.ए.टी स्कूलों में से तीन⁶¹ में 884 प्रशिक्षुओं⁶² (39 प्रतिशत) को 2013-18 के दौरान उम्र-सीमा का पालन किए बिना सी.आई.ए.टी. प्रशिक्षण प्रदान किया गया था (**परिशिष्ट 2.1.9**)। विभाग ने जवाब में कहा (अक्टूबर 2019) कि कर्मियों की कमी के कारण क्षेत्रीय इकाइयों में उपलब्ध पुलिसकर्मियों को सी.आई.ए.टी प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। पुलिस मुख्यालय द्वारा युवा सैनिकों को विशिष्ट प्रशिक्षण में कमी नक्सल विरोधी अभियानों में राज्य बलों की तैनाती न होने के पीछे का एक कारण बताया गया (अगस्त 2019) जैसा की कंडिका 2.1.17.2 में वर्णित है।
- प्रशिक्षण निदेशालय के निर्देशानुसार (अगस्त 2013), प्रत्येक पुलिसकर्मी को दो साल में एक बार रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया जाना है। हालांकि, **तालिका 7** से यह देखा जा सकता है कि कार्यरत-बल के 50 प्रतिशत की आवश्यकता के विरुद्ध प्रति वर्ष केवल एक से 14 प्रतिशत पुलिसकर्मियों को रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया गया।
- झा.पु.मै. के नियम 649 के साथ पठित पुलिस मुख्यालय की अधिसूचना (जनवरी 2016) के अनुसार, आठ से 12 सप्ताह का पूर्व-प्रोन्नति प्रशिक्षण अनिवार्य है। हालांकि, 2016-19 के दौरान अनिवार्य पूर्व-प्रोन्नति प्रशिक्षण पूरा किए बिना

⁶⁰ 30 साल की उम्र तक के कॉन्स्टेबल, 40 साल तक के हवलदार और 45 साल तक के अधिकारी।

⁶¹ 1. सी.आई.ए.टी स्कूल, मुसाबनी; 2. सी.आई.ए.टी स्कूल, नेतरहाट और 3. सी.आई.ए.टी स्कूल, टेंडरग्राम।

⁶² कॉन्स्टेबल-1,780 में 629; हवलदार- 367 में 191 और अधिकारी-100 में 64।

2,180 पुलिसकर्मियों को सहायक अवर निरीक्षक से लेकर निरीक्षक तक के उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया। यद्यपि 781 पुलिसकर्मियों ने बाद में पूर्व-प्रोन्नति प्रशिक्षण पूरा किया, तथापि 1,399 पुलिसकर्मियों को मार्च 2019 तक उक्त प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। पुलिस मुख्यालय ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2019) कि वैसे पदोन्नत अधिकारी जिनको किसी विशेष सत्र में छूट दिया गया था/ बीमार थे उन्हें भविष्य के पाठ्यक्रमों में समायोजित किया जाएगा और प्रशिक्षण पूरा होने तक पदोन्नत श्रेणी में उनकी पुष्टि नहीं की जाएगी। हालांकि, तथ्य यह है कि पदोन्नति के पूर्व अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।

2.1.14.2 प्रशिक्षण बुनियादी ढाँचा

आठ⁶³ प्रशिक्षण संस्थानों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में निम्नलिखित कमियाँ उदघाटित हुईं:

- आठ प्रशिक्षण स्कूलों में से दो स्कूलों में यथा जंगल वारफेयर स्कूल (जे.डब्ल्यू.एफ.एस.), नेतरहाट तथा यातायात प्रशिक्षण स्कूल (टी.टी.एस.), जमशेदपुर में प्रशिक्षक का कोई पद स्वीकृत नहीं था, दो स्कूलों (झारखण्ड पुलिस अकादमी (जे.पी.ए.), हजारीबाग तथा झारखण्ड सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, पदमा) में पाँच प्रशिक्षकों के स्वीकृत-बल के विरुद्ध कोई प्रशिक्षक नहीं थे, जबकि शेष चार सी.आई.ए.टी स्कूलों में 68 प्रशिक्षक के स्वीकृत-बल के विरुद्ध केवल 37 प्रशिक्षक थे। विभाग ने जवाब में कहा (अक्टूबर 2019) कि प्रशिक्षण अनुबंध पर प्रतिनियुक्त सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों एवं अन्य योग्य पदाधिकारियों अथवा जिला पुलिस अधिकारियों के द्वारा प्रदान किए जा रहे थे। पुनः यह पाया गया कि 2012-18 के दौरान चार प्रशिक्षण संस्थानों⁶⁴ के 16 सत्रों में 8,824 पुलिस प्रशिक्षु में से 3,063 (35 प्रतिशत) (परिशिष्ट 2.1.10) ने प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद अंतिम परीक्षा पास नहीं की। पुलिस मुख्यालय ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए यह आश्वास्त किया (अगस्त 2019) कि इन पुलिसकर्मियों को उन कार्यों के लिए तैनात नहीं किया जाएगा जहां प्रशिक्षण की आवश्यकता हो।
- बी.पी.आर.डी. मानकों के अनुसार, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान को प्रशिक्षण उपकरणों से सुसज्जित होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने आठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में पाया कि किसी के पास सिमुलेटर नहीं थे,

दो प्रशिक्षण स्कूलों में प्रशिक्षकों का स्वीकृत बल नहीं था, दो स्कूलों में पाँच के स्वीकृत बल के विरुद्ध कोई प्रशिक्षक नहीं थे, जबकि चार सी.आई.ए.टी स्कूल में 46 प्रतिशत प्रशिक्षकों की कमी थी। महत्वपूर्ण प्रशिक्षण उपकरणों की कमी थी। प्रशिक्षण संस्थानों में या तो फायरिंग रेंज नहीं थे या निर्धारित मानकों से छोटे फायरिंग रेंज थे। कारतूसों की कमी के अलावा विनिर्दिष्ट फायरिंग रेंज की अनुपलब्धता के कारण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षुओं को विभिन्न हथियारों के साथ आवश्यक लक्ष्य/ शूटिंग अभ्यास प्रदान नहीं किया गया था

⁶³ 1. झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग; 2. झारखण्ड सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, पदमा; 3. जंगल वारफेयर स्कूल, नेतरहाट; 4. यातायात प्रशिक्षण स्कूल, जमशेदपुर; 5. सी.आई.ए.टी. स्कूल, नेतरहाट; 6. सी.आई.ए.टी. स्कूल, मुसाबनी; 7. सी.आई.ए.टी. स्कूल, टेंडरग्राम, राँची; और 8. सी.आई.ए.टी. स्कूल, पदमा।

⁶⁴ 1. झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग; 2. झारखण्ड सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, पदमा; 3. जंगल वारफेयर स्कूल, नेतरहाट; और 4. यातायात प्रशिक्षण स्कूल, जमशेदपुर।

सात⁶⁵ के पास बॉडी-प्रोटेक्टर नहीं थे, छः⁶⁶ के पास नाइट-विजन यंत्र नहीं थे, पाँच⁶⁷ में दूरबीन नहीं थे, चार⁶⁸ के पास श्रव्य-दृश्य साधन नहीं थे एवं तीन⁶⁹ के पास वायरलेस-सेट नहीं थे। इस प्रकार, प्रशिक्षण उपकरणों की अनुपलब्धता से प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। पु.मु. ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2019) कि प्रशिक्षण संस्थानों को निधि की उपलब्धता के आधार पर सिमुलेटर एवं अन्य उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा।

- बी.पी.आर.डी. के मानकों (2009) के अनुसार, विभिन्न हथियारों से फायरिंग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों में 400 मीटर का फायरिंग रेंज उपलब्ध होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि आठ प्रशिक्षण संस्थानों में से दो⁷⁰ संस्थानों में कोई फायरिंग रेंज नहीं थी, तीन⁷¹ संस्थानों में केवल 50 मीटर के फायरिंग रेंज थे, एक⁷² संस्थान में 200 मीटर का तथा दो⁷³ में केवल 300 मीटर के फायरिंग रेंज थे। लेखापरीक्षा ने पुनः पाया कि नमूना जाँचित 11 इकाईयों में 2013-18 के दौरान 60 सत्रों में 9,806 पुलिसकर्मियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान किये गए थे। हालांकि, विनिर्दिष्ट फायरिंग रेंज की अनुपलब्धता के अलावा कारतूस की कमी के कारण उन्हें प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार विभिन्न हथियारों के साथ निर्दिष्ट लक्ष्याभ्यास /शूटिंग प्रदान नहीं किया गया जिसमें सात से 99 प्रतिशत तक की कमी थी (*परिशिष्ट 2.1.11*)। इसके अलावा, निर्दिष्ट फायरिंग रेंज की अनुपलब्धता के कारण क्षेत्र हथियारों (ग्रेनेड, 51 मि.मी. मोर्टार और यू.बी.जी.एल.) से फायरिंग अभ्यास प्रदान नहीं किया गया। पु.मु. ने कारतूसों की कमी को कम लक्ष्याभ्यास के कारण के रूप में स्वीकार किया। फायरिंग रेंज के बारे में पु.मु. ने कहा (अगस्त 2019) कि बी.एस.एफ और सेना के पास उपलब्ध फायरिंग रेंजों का उपयोग लंबी दूरी के फायरिंग उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था।

⁶⁵ 1. जे.पी.ए., हजारीबाग; 2. जैप-टी.सी., पदमा ; 3. जे.डब्ल्यू.एफ.एस., नेतरहाट; 4. सी.आई.ए.टी. स्कूल, नेतरहाट; 5. सी.आई.ए.टी. स्कूल, मुसाबनी; 6. सी.आई.ए.टी. स्कूल, टेंडरग्राम, राँची; और 7. सी.आई.ए.टी. स्कूल, पदमा।

⁶⁶ 1. जे.पी.ए, हजारीबाग; 2. जैप-टी.सी., पदमा; 3. टी.टी.एस, जमशेदपुर; 4. सी.आई.ए.टी. स्कूल, नेतरहाट; 5. सी.आई.ए.टी. स्कूल, टेंडरग्राम, राँची ; और 6. सी.आई.ए.टी. स्कूल, पदमा।

⁶⁷ 1. जैप-टी.सी, पदमा; 2. टी.टी.एस., जमशेदपुर; 3. सी.आई.ए.टी. स्कूल, नेतरहाट; 4. सी.आई.ए.टी. स्कूल, पदमा और 5. सी.आई.ए.टी. स्कूल, टेंडरग्राम, राँची ।

⁶⁸ 1. टी.टी.एस, जमशेदपुर; 2. सी.आई.ए.टी. स्कूल, नेतरहाट; 3. सी.आई.ए.टी. स्कूल, मुसाबनी और; 4. सी.आई.ए.टी. स्कूल, टेंडरग्राम, राँची ।

⁶⁹ 1. जैप-टी.सी, पदमा; 2. टी.टी.एस, जमशेदपुर और 3. जे.पी.ए, हजारीबाग।

⁷⁰ टी.टी.एस, जमशेदपुर और जे.पी.ए, हजारीबाग।

⁷¹ सी.आई.ए.टी. मुसाबनी, नेतरहाट और टेंडरग्राम।

⁷² जे.डब्ल्यू.एफ.एस., नेतरहाट।

⁷³ सी.आई.ए.टी., पदमा और जे.ए.पी.टी.सी., पदमा।

2.1.14.3 लक्ष्याभ्यास

प्रशिक्षण निदेशालय के निर्देश (फरवरी 2014) के साथ पठित झारखण्ड पुलिस मैनुअल (झा.पु.मै.) के प्रावधान के अनुसार, प्रत्येक पुलिसकर्मी को निर्गत हथियारों (राइफल या पिस्तौल⁷⁴) से सालाना 40 चक्र का अभ्यास करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने 2013-18 के दौरान 10 नमूना जाँचित इकाईयों में वार्षिक लक्ष्याभ्यास में कमी पाया जैसा कि तालिका 8 में दर्शाया गया है:

तालिका 8: वार्षिक लक्ष्याभ्यास का विवरण

2014-18 के दौरान कुल उपलब्ध बल	पुलिसकर्मियों की संख्या जिन्हें वार्षिक लक्ष्याभ्यास प्रदान किया गया (प्रतिशतता)	प्रति कर्मी 40 की दर से फायर किये जाने वाले चक्र	वास्तव में फायर किये गए कुल चक्र	प्रदत्त लक्ष्य अभ्यास (प्रतिशत में)
59,112	18,620 (31)	7,44,800	4,24,215 ⁷⁵	57

तालिका 8 से यह देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मियों को मानकों के अनुरूप वार्षिक लक्ष्याभ्यास नहीं कराया गया। नमूना जाँचित इकाईयों ने प्रतिवर्ष लक्ष्याभ्यास को सुनिश्चित नहीं किया और यह कमी 10 से 76 प्रतिशत तक (परिशिष्ट 2.1.12) रही। तथ्य को स्वीकार करते हुए विभाग ने कहा (अक्टूबर 2019) कि पुलिसकर्मियों को कारतूसों की उपलब्धता के अनुरूप फायरिंग अभ्यास कराया गया। पुनः, निकास सम्मेलन (अक्टूबर 2019) में पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन) ने कहा कि नक्सल-अभियान, चुनाव आदि जैसे विशेष परिस्थितियों को संभालने के लिए पु.मु. ने कारतूसों का एक सुरक्षित भंडार रखा था जो कम लक्ष्याभ्यास का कारण बना। विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अनुशंसा: पुलिसकर्मियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रशिक्षण संस्थान आधुनिक तरीकों एवं सुविधाओं से पर्याप्त रूप से सुसज्जित हों।

⁷⁴ कांस्टेबल और हवलदार के मामले में, जिन्हें पिस्तौल जारी की जाती है, पिस्तौल के साथ 20 चक्र और राइफल के साथ 20 चक्र।

⁷⁵ राइफल से : 4,05,251 तथा पिस्टल से : 18,964

2.1.15 विधि-विज्ञान प्रयोगशाला

आपराधिक, नागरिक, नियामक और सामाजिक संदर्भों में न्याय के वितरण में विधि-विज्ञान एक आवश्यक और कुशल संबल है। पु.आ. योजना के अन्तर्गत फॉरेंसिक स्थापना महत्वपूर्ण घटकों में से एक है।

2.1.15.1 फॉरेंसिक स्थापना

गृ.मं. के निर्देशों (नवंबर 2001) के साथ पठित मॉडल पुलिस मैनुअल के मसौदे के अनुसार, राज्य पुलिस संगठन को एक राज्य स्तरीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल), प्रत्येक पुलिस रेंज के लिए एक क्षेत्रीय एफ.एस.एल. तथा प्रत्येक जिले में एक जिला मोबाइल विधि विज्ञान इकाई का गठन करना चाहिए।

झारखण्ड में 18 जिलों में विधि विज्ञान मोबाइल इकाईयों के साथ एक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एस.एफ.एस.एल.) 2005 से कार्यरत है।

राज्य विधि-विज्ञान प्रयोगशाला

झारखण्ड गठन (नवंबर 2000) के पश्चात्, राँची स्थित क्षेत्रीय एफ.एस.एल को एस.एफ.एस.एल के रूप में उन्नत (दिसंबर 2005) किया गया। अधिसूचना (नवंबर 2012) के अनुसार, एस.एफ.एस.एल को 14 प्रभागों के साथ संचालित होना था।

यद्यपि एस.एफ.एस.एल 14 में से नौ⁷⁶ प्रभागों के साथ दिसंबर 2018 तक संचालित था, लेकिन इनमें डायटम (शैवाल का एक समूह) परीक्षण⁷⁷, जलने से मृत्यु, औषधि परीक्षण आदि के लिए सुविधाओं एवं विशेषज्ञता का अभाव था। परिणामस्वरूप, 2013-18 के दौरान इन मामलों से सम्बंधित सभी 14 प्रदर्शों को एस.एफ.एस.एल द्वारा बिना जाँच किए संबंधित जाँच अधिकारियों को वापस कर दिया गया।

विभाग ने अधिसूचना (2012) के छः साल समाप्त होने के बाद भी साइबर फॉरेंसिक, प्रलेखन, लाइ-डिटेक्शन, फोटोग्राफी और फॉरेंसिक इंजीनियरिंग के विश्लेषण के लिए आवश्यक शेष पाँच प्रभागों⁷⁸ की स्थापना नहीं की थी (दिसंबर 2018)। इसलिए, 2013-18 के दौरान ऐसे मामलों से संबंधित सभी 23 प्रदर्श एस.एफ.एस.एल द्वारा विश्लेषण के लिए राज्य के बाहर भेजने के निर्देश के साथ वापस कर दिए गए थे।

⁷⁶ जीव विज्ञान प्रभाग, बैलिस्टिक प्रभाग, डी.एन.ए. प्रभाग, विस्फोटक प्रभाग, सामान्य रसायन प्रभाग, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साईकोट्रोपिक सब्सटान्सेस (एन.डी.पी.एस.) प्रभाग, भौतिकी प्रभाग, सीरम विज्ञान प्रभाग तथा विष विज्ञान प्रभाग

⁷⁷ डूबे शव के मामले में मृत्यु के कारणों की जाँच

⁷⁸ साइबर फॉरेंसिक प्रभाग, प्रलेखन जाँच प्रभाग, लाइ-डिटेक्शन प्रभाग, फोटोग्राफी प्रभाग और फॉरेंसिक इंजीनियरिंग एवं संयंत्र प्रभाग

इसके अलावा, एस.एफ.एस.एल में वन्य जीवों से संबंधित फॉरेंसिक जाँच की सुविधा नहीं होने के कारण इससे संबंधित तीन प्रदर्श वापस किये गए। पुनः यह देखा गया कि वन्य जीव मामलों के विश्लेषण की सुविधा एस.एफ.एस.एल के कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं थी। इस प्रकार, एस.एफ.एस.एल में उपर्युक्त वर्णित सुविधाओं के अभाव में जाँच की गति में विलंब हो सकती है।

विभाग ने जवाब में (अक्टूबर 2019) कहा कि पाँच प्रभागों की स्थापना नहीं की जा सकी और सहायक निदेशकों की नियुक्ति नहीं होने तथा एक समर्पित वन्य जीव फॉरेंसिक प्रभाग की अनुपलब्धता के कारण प्रदर्श वापस किए गए थे।

क्षेत्रीय विधि-विज्ञान प्रयोगशाला

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने दिसंबर 2018 तक सात पुलिस रेंजों⁷⁹ के लिए आवश्यक क्षेत्रीय एफ.एस.एल स्थापित करने की पहल नहीं की थी, जिसके लिए विभाग और एस.एफ.एस.एल द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया। इस प्रकार, सभी प्रदर्शों के विश्लेषण की जिम्मेदारी एस.एफ.एस.एल पर थी। इसके कारण एस.एफ.एस.एल पर निर्भरता बढ़ी, फलस्वरूप फॉरेंसिक मामलों में विलंब/ अनिष्पादन हुआ, जिसकी चर्चा कंडिका 2.1.15.4 में की गई है।

जिला मोबाइल विधि-विज्ञान इकाईयाँ (जि.मो.वि.वि.इ.)

विभाग के संकल्प (दिसंबर 2005) के अनुसार, वैज्ञानिक तरीके से प्रदर्श एकत्र एवं पैक करने हेतु प्रत्येक इकाई के लिए एक वरिष्ठ वैज्ञानिक पदाधिकारी और एक वैज्ञानिक सहायक के साथ तत्कालीन 18 जिलों में 18 मोबाइल फॉरेंसिक इकाई (फॉरेंसिक किट्स के साथ मोबाइल वैन) स्थापित की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 18 जिलों में मोबाइल फॉरेंसिक इकाईयाँ (दिसंबर 2005) स्थापित की गई तथा एस.एफ.एस.एल द्वारा प्रशिक्षण के बाद इन इकाईयाँ में पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल तैनात किए गए। हालांकि, आवश्यक वरिष्ठ वैज्ञानिक पदाधिकारी और वैज्ञानिक सहायक दिसंबर 2018 तक किसी भी मोबाइल फॉरेंसिक इकाईयाँ में तैनात नहीं किये गए थे क्योंकि इन संवर्गों में नई भर्ती के लिए भर्ती नियमावली को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

⁷⁹ बोकारो, दुमका, हजारीबाग, कोल्हान, पलामू, दक्षिणी छोटानागपुर एवं रेल राँची

विभाग ने पुनः मुख्यालय और नव-सृजित छः जिलों⁸⁰ के लिए सात अतिरिक्त मोबाइल विधि-विज्ञान इकाईयों की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी किया (अगस्त 2011), परन्तु वे भी दिसंबर 2018 तक स्थापित नहीं किए गए थे।

नमूना जाँचित नौ जिलों में से, लातेहार एवं जामताड़ा में मोबाइल फॉरेंसिक वाहन उपलब्ध नहीं थे, जबकि सात अन्य जिलों के मोबाइल वाहनों में या तो फॉरेंसिक किट उपलब्ध नहीं थे या कालातीत हो गए थे तथा इन वाहनों ने अपना निर्धारित जीवन-काल⁸¹ भी पूरा कर लिया था। इस प्रकार, ये वाहन या तो अकार्यशील थे या अन्य प्रयोजनों यथा ईंधन ढोने एवं बीमार पुलिसकर्मियों के परिवहन के लिए उपयोग किए जा रहे थे (परिशिष्ट 2.1.13)।

लेखापरीक्षा ने पुनः 2013-18 में वापस किये गए प्रदर्शों से संबंधित संचिकाओं में पाया कि नमूना जाँचित 339 मामलों में से 299 मामले, एस.एफ.एस.एल द्वारा अवैज्ञानिक संग्रह एवं पैकेजिंग, आवश्यक दस्तावेजों का अभाव तथा प्रदर्श के पैकेटों पर लगे मुहरों एवं अनुसंधान पदाधिकारियों तथा न्यायालयों द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्रों पर लगे मुहरों में असमानता जैसा की झा.पु.मै. में निर्धारित है, के कारण वापस किये गए थे। यह मुख्यतः उपलब्ध जि.मो.वि.वि.इ. में प्रशिक्षित कार्य-बल एवं फॉरेंसिक किट की कमी के अलावा छः जिलों में जि.मो.वि.वि.इ. की अनुपलब्धता के कारण था। प्रशिक्षित कार्य-बल की कमी को वर्ष 2008-09 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 1.3.11.2 के माध्यम से भी प्रतिवेदित था।

राज्य विधि-विज्ञान विकास बोर्ड

विभाग ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य विधि विज्ञान विकास बोर्ड⁸² (बोर्ड) के गठन को अधिसूचित (सितंबर 2011) किया। बोर्ड, एफ.एस.एल के उन्नयन और संचालन के लिए नीति तैयार करने, कामकाज की निगरानी करने, आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रभागों के गठन की अनुमति देने तथा एफ.एस.एल के कार्य-बल के लिए भर्ती नियमावली को अनुमोदित करने के साथ-साथ इसके अनुपालन को सुनिश्चित

⁸⁰ जामताड़ा, खूंटी, लातेहार, रामगढ़, सरायकेला तथा सिमडेगा

⁸¹ वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के परिपत्र (जनवरी 2003) के अनुसार, मध्यम/ हल्के वाहनों का जीवन-काल आठ वर्ष अथवा 1,50,000 कि.मी., जो पहले हो।

⁸² अध्यक्ष-मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष-गृहमंत्री, सदस्य सचिव- निदेशक, एस.एफ.एस.एल., सदस्य- (i) मुख्य सचिव, (ii) विकास आयुक्त (iii) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, (iv) प्रधान सचिव, गृह विभाग, (v) महाधिवक्ता, (vi) पुलिस महानिदेशक, (vii) विभागाध्यक्ष, फॉरेंसिक चिकित्सा विभाग, (viii) निदेशक अभियोजन, (ix) मुख्य विधि-विज्ञान वैज्ञानिक, गृह विभाग, भारत सरकार

करने के लिए उत्तरदायी है। पुनः, निदेशक, एस.एफ.एस.एल को कार्यालय का प्रमुख घोषित (अप्रैल 2012) किया गया जिन्हें तकनीकी मामलों के साथ-साथ प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त थीं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि बोर्ड सितंबर 2011 में गठित हुआ, इसने दिसंबर 2018 तक एफ.एस.एल के उन्नयन और संचालन के लिए नीति नहीं बनाई। पुनः, "झारखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली, 2012 (भर्ती नियमावली)" को एस.एफ.एस.एल, विभाग और झारखण्ड लोक सेवा आयोग (झा.लो.से.आ.)- इस सम्बन्ध में भर्ती प्राधिकरण, के बीच लगातार पत्राचार के बावजूद अक्टूबर, 2018 तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। परिणामस्वरूप, दिसंबर 2018 तक तकनीकी कर्मियों की भर्ती शुरू नहीं हो सकी और वैज्ञानिक पदों में रिक्तियाँ थीं (कंडिका 2.1.15.3), जबकि निदेशक तथा 32 वैज्ञानिक सहायक संविदा पर कार्य कर रहे थे। इस प्रकार, तकनीकी कर्मियों की कमी ने एस.एफ.एस.एल के कार्यकलाप को प्रभावित किया।

विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया (अक्टूबर 2019) और कहा कि रिक्तियों को भरने के लिए नई भर्तियों की प्रक्रिया जारी थी।

2.1.15.2 एस.एफ.एस.एल. की मान्यता

राज्य एफ.एस.एल. को तीसरे पक्ष से परीक्षण और प्रयोगशाला के कैलिब्रेशन की तकनीकी क्षमता के मूल्यांकन के लिए नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एन.ए.बी.एल.), क्वालिटी काउंसिल ऑफ़ इंडिया (क्यू.सी.आई.⁸³) का एक संवैधानिक बोर्ड, से मान्यता की आवश्यकता है। मान्यता के लिए एस.एफ.एस.एल. को मानव संसाधन, आधारभूत संरचना एवं प्रबंधन की बुनियादी आवश्यकताओं⁸⁴ को पूरा करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एस.एफ.एस.एल. ने अपनी स्थापना (दिसंबर 2005) के 13 वर्ष से अधिक समय के पश्चात भी कार्य-बल, अधिसूचित प्रभागों की अकार्यता तथा

⁸³ राष्ट्रीय मान्यता ढांचा को संचालित करने तथा राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान द्वारा गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से 1997 में स्थापित एक परिषद्।

⁸⁴ कार्यबल, संरचनात्मक सुविधा, वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान, जाँच प्रक्रिया एवं पद्धति, प्रतिवेदन एवं कार्य-पत्रों का प्रारूप, प्रदर्श एवं अभिलेखों का संधारण, बजटीय प्रावधान, प्रयोगशाला सूचना प्रबंधन प्रणाली, व्यवधान रहित जल एवं ऊर्जा आपूर्ति, प्रयोगशाला की सम्पूर्ण वस्तुस्थिति इत्यादि जैसा कि विधि-विज्ञान प्रयोगशाला के मान्यता के लिए विशिष्ट दिशानिर्देशों में प्रावधानित है (मार्च 2018)।

अन्य आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की कमी के कारण एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त करने के लिए कार्रवाई नहीं की। निदेशक, एस.एफ.एस.एल. ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवंबर 2018)।

विभाग ने आगे कहा (अक्टूबर 2019) कि एन.ए.बी.एल. के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्य-बल की भर्ती के बाद ही मान्यता संभव है।

2.1.15.3 कार्य-बल की उपलब्धता

झारखण्ड पुलिस मैनुअल के नियम 1255 के अनुसार, निदेशक के पास प्रयोगशाला का समग्र प्रभार होता है, जिसकी सहायता उप-निदेशक करता है। प्रयोगशाला के प्रत्येक प्रभाग का पर्यवेक्षण एक या अधिक तकनीकी इकाईयों के वैज्ञानिक अधिकारियों के पूर्ण सहयोग से एक सहायक निदेशक द्वारा किया जाना है। गैर-तकनीकी कर्मचारी प्रदर्शों को सुरक्षित रखने तथा महत्वपूर्ण जानकारियों का संकलन एवं प्रसार के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा, गृ.मं. का निर्देश (दिसंबर 2003) यह निर्धारित करता है कि एफ.एस.एल. का आधुनिकीकरण/ उन्नयन तभी सार्थक होगा जब आवश्यक वैज्ञानिक कार्य-बल कार्यरत हों।

लेखापरीक्षा ने मार्च 2018 में एस.एफ.एस.एल. में तकनीकी/ वैज्ञानिक कार्य- बल में कमी पाया जैसा कि तालिका 9 में दिखाया गया है:

तालिका 9: तकनीकी/ वैज्ञानिक कर्मियों का स्वीकृत बल तथा कार्यरत बल

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्तियाँ (प्रतिशत)
1.	निदेशक	1	1 (अनुबंध पर)	0 (0)
2.	अपर निदेशक	2	0	2 (100)
3.	उप-निदेशक	5	0	5 (100)
4.	संयुक्त उप-निदेशक	10	2 (बैलिस्टिक तथा विष विज्ञान)	8 (80)
5.	सहायक निदेशक/ वरिष्ठ विज्ञान पदाधिकारी	66	2 (भौतिकी एवं बैलिस्टिक)	64 (97)
6.	विज्ञान सहायक	84	55 (नियमित-23, अनुबंध पर-32)	29 (35)
	योग	168	60	108 (64)

श्रोत: निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राँची

प्रदर्शों के विश्लेषण पर तकनीकी कार्य-बल की कमी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जैसा की कंडिका 2.1.15.4 में वर्णित है।

एस.एफ.एस.एल. के तकनीकी कार्य बल में 64 प्रतिशत की कमी थी जिसका प्रदर्शों की जाँच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 19 प्रतिशत प्रदर्श पाँच वर्ष से ज्यादा पुराने थे। पुनः, गैर-तकनीकी पदों में 93 प्रतिशत की रिक्ति थी

इसी प्रकार, मार्च 2018 को गैर-तकनीकी पदों पर 93 प्रतिशत की (112 के स्वीकृति के स्थान पर आठ कार्यरत) रिक्ति थी (परिशिष्ट 2.1.14)। इस रिक्ति का योगदान मामलों के लंबित होने में भी था क्योंकि तकनीकी कर्मों गैर-तकनीकी कार्यों में व्यस्त थे। यद्यपि, निदेशक, एस.एफ.एस.एल. ने गैर-तकनीकी कार्य-बल उपलब्ध कराने के लिए विभाग से अनुरोध (नवंबर 2013) किया था, यह मामला कथनानुसार, दिसंबर 2018 तक भी प्रक्रियाधीन था।

निकास सम्मेलन (अक्टूबर 2019) के दौरान, अपर महानिदेशक (आधुनिकीकरण) ने कहा कि रिक्त पदों को भरने हेतु नई भर्तियाँ प्रक्रिया में थी।

2.1.15.4 मामलों का विश्लेषण

झारखण्ड पुलिस मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार, सामान्य रूप से, प्रदर्शों की जाँच प्रयोगशाला में उनकी प्राप्ति के क्रम में की जाएगी। हालांकि, लंबी अवधि तक रखे जाने पर क्षय होने की संभावना वाले या न्यायालय के निर्देश पर प्रदर्शों की जाँच क्रम के बाहर भी की जा सकती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि लंबित मामलों की संख्या जनवरी 2012 में 3,959 से बढ़कर दिसंबर 2018 में 4,795 हो गई। इनमें 2012 से पहले की अवधि से संबंधित 381 मामले शामिल थे। वर्ष-वार मामलों की प्राप्ति एवं निष्पादन का विवरण तालिका-10 में है:

तालिका 10: मामलों की प्राप्ति, निष्पादन तथा लंबित रहने की स्थिति

वर्ष/ विवरण	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	योग
वर्ष के 1 जनवरी को लंबित मामले	3959	4671	5213	5569	5308	4582	4517	
वर्ष के दौरान प्राप्त मामले	1349	1499	1175	1383	1489	1907	1658*	10460
जाँच के लिए उपलब्ध कुल मामलों की संख्या	5308	6170	6388	6952	6797	6489	6175*	14419
वर्ष के दौरान निष्पादित मामले (वर्तमान + पुराने)	637	957	819	1644	2215	1972	1380*	9624
वर्ष के 31 दिसंबर को लंबित मामले	4671	5213	5569	5308	4582	4517	4795*	
निष्पादन का प्रतिशत	12	16	13	24	33	30	22	67

स्रोत: निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राँची

* 01 अक्टूबर 2018 को

मामले प्रमुखतः विष विज्ञान (71 प्रतिशत) एवं रसायन विज्ञान (19 प्रतिशत) प्रभागों में लंबित थे। लंबित मामलों के आयु-वार विश्लेषण से (परिशिष्ट 2.1.15) पता चला कि 19 प्रतिशत (934) मामलों में प्रदर्श पाँच वर्ष से अधिक पुराने थे जबकि 56 प्रतिशत (2,681) मामलों में ये एक से पाँच वर्ष पुराने थे। पुराने होने पर प्रदर्शों के विघटन के कारण मामलों का सटीक विश्लेषण करना मुश्किल होगा और अनुसंधान एवं अभियोजन में निराशा अथवा देरी हो सकती है। वर्ष 2008-09 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 1.3.11.1 में भी लंबित मामलों को उजागर किया गया था।

लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए विभाग ने कार्य-बल की कमी को मामलों के लंबित रहने का एक कारण बताया (अक्टूबर 2019)। निकास सम्मेलन (अक्टूबर 2019) के दौरान विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि निदेशक, एस.एफ.एस.एल. को लंबित मामलों के निष्पादन एवं अपूर्त मामलों को कम करने के लिए एक योजना तैयार करने के लिए कहा गया है।

2.1.15.5 संरचनात्मक कमियाँ

लेखापरीक्षा ने एस.एफ.एस.एल. में निम्नलिखित संरचनात्मक कमियाँ पायीं:

- यद्यपि प्रदर्शों के विश्लेषण के लिए अतिरिक्त फ़ॉरेंसिक उपकरण यथा आनुवांशिक विश्लेषक, आधुनिक पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन मशीन, बोरोस्कोप इत्यादि (परिशिष्ट 2.1.16), आवश्यक थे, पाँच कार्यरत प्रभागों में उपलब्ध नहीं थे। इन उपकरणों के क्रय के लिए एस.एफ.एस.एल. का प्रस्ताव (मार्च 2018) पु.मु. के पास मार्च 2019 तक लंबित था।
- प्रयोगशाला भवन के सावधिक रख-रखाव में कमी के कारण भवन का छत क्षतिग्रस्त था तथा भू-तल में स्थित बैलिस्टिक फायर जाँच रेंज सहित पूरे भवन में रिसाव एवं नमी थी।
- लेखापरीक्षा ने पाया कि एस.एफ.एस.एल. ने प्रदर्शों के तौर पर प्राप्त वाहनों की सुरक्षा एवं चेसिस की आंतरिक जाँच के लिए आवश्यक वाहन शेड एवं रैंप का निर्माण सुनिश्चित नहीं किया। इन सुविधाओं के अभाव में, मौसम की स्थिति के कारण प्रदर्शों की विकृति/ क्षति से इंकार नहीं किया जा सकता था।
- पुलिसकर्मियों/ एस.एफ.एस.एल. कर्मियों के ज्ञानवर्धन के लिए पुस्तकालय एवं संग्रहालय अक्टूबर 2018 तक स्थापित नहीं किए गए थे जैसा कि झारखण्ड पुलिस मैनुअल के प्रावधान के तहत आवश्यक था।

लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए विभाग ने कहा (अक्टूबर 2019) कि भवनों की मरम्मत तथा उपकरणों के क्रय के लिए कार्रवाई शुरू की जा रही है।

अनुशंसा: विभाग को प्राथमिकता के आधार पर एस.एफ.एस.एल. के शेष पाँच प्रभागों को स्थापित करना चाहिए, तकनीकी व गैर-तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति करनी चाहिए, एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए तथा “झारखण्ड राज्य विधि-विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली 2012 (भर्ती नियमावली)” को अंतिम रूप देना चाहिए।

2.1.16 पुलिस का आधारभूत संरचना

पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत पुलिस भवनों के निर्माण और रखरखाव के लिए झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (झा.पु.हा.कॉ.लि.) को नोडल एजेंसी के रूप में नामित (फरवरी 2002) किया गया था। इसके अतिरिक्त, विभाग ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) और भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार के माध्यम से भी असैनिक कार्यों को निष्पादित किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2013-18 के दौरान, झा.पु.हा.कॉ.लि. ने आवासीय भवनों, पुलिस केंद्रों, थानों, प्रशिक्षण संस्थानों और अन्य कार्यालय भवनों के लिए ₹ 479.28 करोड़ (परिशिष्ट 2.1.17) की लागत⁸⁵ पर 226 निर्माण कार्य लिया। इनमें से 189 कार्य पूर्ण हुए एवं 37 कार्य, जिन्हें दिसंबर 2018 और सितंबर 2020 के बीच पूर्ण करना था, दिसंबर 2018 तक प्रगति में थे जैसा कि तालिका 11 में दिखाया गया है:

तालिका 11: झा.पु.हा.कॉ.लि. द्वारा लिये गए कार्यों की स्थिति

लिये गए कार्यों की प्रकृति	लिये गए कार्यों की संख्या	एकरारनामा मूल्य	पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों पर व्यय	₹ करोड़ में	
					प्रगतिशील कार्यों की संख्या	प्रगतिशील कार्यों पर व्यय
आवासीय	30	117.99	22	47.89	8	9.51
पुलिस केंद्र	103	157.12	92	100.09	11	10.89
थाना	39	45.05	37	45.04	2	0.80
प्रशिक्षण संस्थान	40	154.73	25	81.62	15	22.23
अन्य	14	4.39	13	3.98	1	0.12
योग	226	479.28	189	278.62	37	43.55

स्रोत: झा.पु.हा.कॉ.लि

⁸⁵ संवेदकों के साथ एकरारनामा के अनुसार कार्य का मूल्य।

आधारभूत संरचना के विकास पर ध्यान देने के बावजूद, विभाग आवासीय सुविधा से सम्बंधित वांछित संतुष्टि स्तर⁸⁶ को प्राप्त करने से दूर था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा एवं संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान अन्य संरचनात्मक कमियाँ पायी गयी जिसकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

2.1.16.1 आवासीय क्वार्टर

बी.पी.आर.डी. ने (वर्ष 2000 में) सभी पुलिस कर्मियों के लिए शत-प्रतिशत आवासीय सुविधा की अनुशंसा की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2000 में, राज्य गठन के समय पुलिस बल की प्रभावी शक्ति, जो लगभग 22,000 थी, मार्च 2018 तक बढ़कर 60,692 हो गई। हालांकि, विभाग ने पर्याप्त आवासीय क्वार्टर के निर्माण के लिए कोई योजना नहीं बनाई थी। यद्यपि, 2013-18 के वा.का.यो. में चार प्रगतिशील⁸⁷ पुलिस केंद्रों के निर्माण के लिए ₹ 62.29 करोड़ की राशि को निर्धारित किया गया, इन जिलों में पुलिसकर्मियों के 5,053 के प्रभावी-बल के विरुद्ध केवल 448 प्रवर अधीनस्थ (यू.एस.) / अवर अधीनस्थ (एल.एस.) क्वार्टरों के निर्माण को शामिल किया गया। पुनः, नमूना जाँचित पूर्वी सिंहभूम जिले में यह देखा गया कि राज्य गठन के बाद 75 विद्यमान क्वार्टरों के अलावा मार्च 2018 तक केवल 332 यू.एस./एल.एस. क्वार्टरों का निर्माण किया जा सका, जबकि जिला पुलिस का प्रभावी बल 3,120 था।

नमूना जाँचित 21 इकाइयों में से चार⁸⁸ में, प्रतिनियुक्ति संवर्ग होने के कारण जे.जे. (एस.टी.एफ.) को छोड़कर, पुलिसकर्मियों के स्वीकृत बल (राजपत्रित पदाधिकारी से कांस्टेबल) तथा कार्यरत बल क्रमशः 4,794 तथा 4,305 के विरुद्ध कोई आवासीय क्वार्टर नहीं थे। शेष 16 इकाइयों में, मार्च 2018 को 31,186 के स्वीकृत बल तथा 25,704 के कार्यरत बल (परिशिष्ट 2.1.18) के विरुद्ध 3,115 आवासीय क्वार्टर थे। इस प्रकार, उपलब्ध क्वार्टर नमूना जाँचित सभी इकाइयों के स्वीकृत बल (35,980) के सापेक्ष केवल 8.66 प्रतिशत एवं कार्यरत बल (30,009) के सापेक्ष केवल 10.38 प्रतिशत पुलिसकर्मियों को ही आवासित कर सकते थे।

लेखापरीक्षा ने पुनः पाया कि नमूना-जाँचित इकाइयों में मार्च 2018 को राजपत्रित पदाधिकारी (जी.ओ.), यू.एस.⁸⁹ एवं एल.एस.⁹⁰ में आवास संबंधित संतुष्टि स्तर

⁸⁶ पुलिस कर्मियों के स्वीकृत-बल के सापेक्ष वास्तव में उपलब्ध पारिवारिक आवास

⁸⁷ गिरिडीह, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा को 2005-06 और 2006-07 में पु.आ. के तहत स्वीकृत।

⁸⁸ जैप-7, आई.आर.बी.-2, सैप-1 और सैप-2।

⁸⁹ सहायक अवर निरीक्षक से निरीक्षक।

आवासीय क्वार्टरों की कमी थी। कुछ पुलिसकर्मों रद्दीकृत क्वार्टरों में रह रहे थे। इस प्रकार, आवास की संतुष्टि का स्तर निम्न था

क्रमशः 36, 18 तथा आठ प्रतिशत था। परिणामस्वरूप, कांस्टेबल के लिए क्वार्टरों की अपर्याप्त संख्या के कारण जैप-6 के 18 पुलिस परिवार अक्टूबर 2018 को रद्दीकृत (दिसंबर 2013) एल.एस क्वार्टर⁹¹ में रह रहे थे जैसा कि तस्वीरों में दिखाया गया है।



जैप-6, जमशेदपुर में अभी भी उपयोग में रद्दीकृत आवासीय क्वार्टर (28 नवम्बर 2018)

इस प्रकार, मार्च 2018 को यू.एस. एवं एल.एस. के संतुष्टि स्तर (क्रमशः 18 और आठ प्रतिशत) में 12 और पाँच प्रतिशत की तुलना में मामूली सुधार हुआ, जैसा कि वर्ष 2008-09 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 1.3.8.1 में प्रतिवेदित है।

2.1.16.2 पुलिस केंद्र का निर्माण

पु.आ. योजना के तहत गृह मंत्रालय ने पाँच पुलिस केंद्रों⁹² के निर्माण को मंजूरी दी (सितंबर 2005 और सितंबर 2006)। हालांकि, कार्य शुरू होने के 11 वर्षों से अधिक समय के बाद एवं ₹ 170.21 करोड़ के व्यय के पश्चात भी ये पुलिस केंद्र अपूर्ण थे जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न है और विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.1.19** में दिया गया है।

- जैप-7, हजारीबाग के पुलिस केंद्र का निर्माण कार्य भवन प्रमंडल, हजारीबाग द्वारा ₹ 10.39 करोड़ की लागत पर बिना प्रशासनिक स्वीकृति (प्र.स्वी.) प्राप्त किए लिया गया (दिसंबर 2007)। ₹ 4.68 करोड़ के कार्य निष्पादन के विरुद्ध संवेदक को ₹ चार करोड़ का भुगतान किया गया। शेष भुगतान के लिए संवेदक अदालत के समक्ष (जून 2012) गया और भुगतान के बाद कार्यपालक अभियंता (का.अ.) द्वारा कार्य को बीच में ही बंद (जनवरी 2013) कर दिया गया। अवशेष कार्य को पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति (दिसंबर 2016) और प्रशासनिक

⁹⁰ हेड कांस्टेबल एवं कांस्टेबल।

⁹¹ के ब्लॉक-3, जे ब्लॉक-10 एवं आई-ब्लॉक-5।

⁹² कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, गिरिडीह और जैप-7 (हजारीबाग)।

अनुमोदन (अप्रैल 2017) के बाद पुनः ₹ 15.42 करोड़ के एकरारनामा लागत पर शुरू किया जा सका (जुलाई 2017)। हालांकि, ₹ 19.56 करोड़ के व्यय के बावजूद सितंबर 2019 तक कार्य अपूर्ण था।

- विभाग ने चार पुलिस केंद्र के निर्माण के लिए ₹ 126.52 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति (फरवरी और सितंबर 2009) प्रदान की एवं कें.लो.नि.वि. को ₹ 108.97 करोड़ का अग्रिम (जनवरी 2007 से मार्च 2015 के बीच) प्रदान किया। हालांकि, कें.लो.नि.वि. ने उच्च दर पर कार्य आवंटित होने के कारण लागत में वृद्धि के बारे में समय पर विभाग को सूचित नहीं किया, जैसा की कें.लो.नि.वि. मैनुअल के तहत आवश्यक था। लागत में वृद्धि के कारण कें.लो.नि.वि. ने पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत (मार्च 2016 और फरवरी 2017) किया, जिसके विरुद्ध ₹ 157.52 करोड़ का पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान (जून 2017) किया गया तथा ₹ 48.54 करोड़ की शेष राशि कें.लो.नि.वि. को प्रदान (अप्रैल 2015 और मई 2018 के बीच) किया गया था। परिणामस्वरूप, पुलिस केंद्र के तहत परियोजनाएं⁹³ ₹ 150.65 करोड़⁹⁴ के व्यय के बावजूद जून 2019 तक अपूर्ण रही।

पुलिस थानों एवं चौकियों में संरचनात्मक कमियाँ थीं यथा खुद की इमारतों, चाहरदीवारी और कंटीले तारों के बाड़, वॉच टॉवर एवं सुरक्षा पोस्ट, आपातकालीन अलार्म पद्धति, सी.सी.टी.वी., जनरेटर आदि की कमी, पुरुष और महिला बंदियों के लिए अलग हाजत का अभाव, हथियार रखने के लिए शस्त्रागार की कमी आदि

इस प्रकार, कार्यकारी एजेंसियों द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति के बगैर काम शुरू करने तथा पुनरीक्षित प्राक्कलनों को प्रस्तुत करने में विलंब के अलावा, विभाग द्वारा समय से निधि निर्गत करने में विफलता के परिणामस्वरूप पुलिस केंद्र का कार्य पूरा नहीं हो सका। पु.मु. ने जमीनी हकीकत बताने में कार्यकारी एजेंसियों की विफलता एवं कार्यकारी एजेंसियों को विलंब से निधि निर्गत करने संबंधी लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया (अगस्त 2019) और कहा कि 2019-20 में कार्य पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि, तथ्य यह है कि कार्य शुरू होने के 11 साल बाद भी पुलिस केंद्रों के निर्माण को पूरा नहीं किया जा सका एवं इन्हें परिचालित नहीं किया जा सका।

2.1.16.3 नमूना जाँचित थानों एवं चौकियों में संरचनात्मक कमियाँ

बी.पी.आर.डी. मानक के अनुसार, थाना एवं चौकी भवनों में समुचित सुरक्षा उपायों के साथ पर्याप्त जगह होनी चाहिए। नमूना-जाँचित 62 थानों एवं चौकियों में, लेखापरीक्षा

⁹³ लातेहार में पदाधिकारियों के लिए आवासीय भवन, गेस्ट हाउस, अस्पताल भवन, बहुउद्देशीय हॉल एवं आंतरिक सड़कों और पाइप-लाइन बिछाने सहित परिसर के विकास कार्य, लोहरदगा में आंतरिक सड़कों और पाइप-लाइन बिछाने सहित परिसर के विकास कार्य और सभी पुलिस केंद्रों में विद्युत कार्य आंशिक रूप से पूर्ण थे।

⁹⁴ गिरिडीह: ₹37.68 करोड़, कोडरमा: ₹38.68 करोड़, लातेहार: ₹ 35.32 करोड़ और लोहरदगा: ₹ 38.97 करोड़

ने निर्धारित मानकों के विरुद्ध सुविधाओं में कमी पायी (परिशिष्ट 2.1.20) जिसकी चर्चा निम्न है:

- चौबीस (39 प्रतिशत) थानों/ चौकियों के अपने भवन नहीं थे, 27 (44 प्रतिशत) के पास पुरुष और महिला बंदियों के लिए अलग लॉकअप नहीं थे, 39 (63 प्रतिशत) के पास पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय नहीं थे, 47 (76 प्रतिशत) हथियार रखने के लिए शस्त्रागार के बगैर थे, 22 (35 प्रतिशत) बिना चारदीवारी के थे तथा 22 (35 प्रतिशत) कांटेदार तार की बाड़ से सुरक्षित नहीं थे।
- सैंतालिस (76 प्रतिशत) तथा 44 (71 प्रतिशत) थानों/ चौकियों में क्रमशः वॉच टॉवर एवं सुरक्षा पोस्ट नहीं थे जबकि 57 (92 प्रतिशत) में आपातकालीन अलार्म प्रणाली नहीं था।
- बत्तीस (52 प्रतिशत) थानों/ चौकियों में दूरभाष सुविधा नहीं थी, 56 (90 प्रतिशत) के पास फैंक्स सुविधा नहीं थी तथा 22 (35 प्रतिशत) अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सी.सी.टी.एन.एस.) से आच्छादित नहीं थे। 47 (76 प्रतिशत) थानों/ चौकियों के परिसरों या कार्यालयों में क्लोज़ सर्किट टेलीविज़न (सी.सी.टी.वी.) उपलब्ध नहीं था, जबकि 28 (45 प्रतिशत) थानों/ चौकियों के पास जनरेटर उपलब्ध नहीं थे। 50 (80 प्रतिशत) थानों/ चौकियों के वाहनों में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) नहीं लगे थे।

इस प्रकार, राज्य के पुलिस थाने/ चौकियाँ, भवन एवं अन्य सुविधाओं की कमी से जूझ रहे थे तथा इस प्रकार निम्नतम स्तर पर आधुनिकीकरण अभी तक हासिल किया जाना था। निकास सम्मेलन (अक्टूबर 2019) के दौरान विभाग ने कहा कि थानों/ चौकियों में संरचनात्मक कमियों की पहचान के लिए एक सर्वेक्षण चल रहा है और उसी के अनुरूप योजनाएं बनाई जाएंगी।

2.1.16.4 संयुक्त भौतिक सत्यापन के परिणाम

पुलिस थानों/ चौकियों तथा पुलिस केंद्र के संयुक्त भौतिक सत्यापन में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी:

जिला पुलिस केंद्र

गोड्डा एवं जामताड़ा जिलों में अपना पुलिस केंद्र नहीं था तथा कर्मी अन्य तंग एवं जर्जर भवनों में रह रहे थे। पूर्वी सिंहभूम पुलिस केंद्र बहुत खराब स्थिति में था और वहाँ पार्किंग शेड नहीं थे।

संरचनात्मक कमियाँ पायी गयी यथा भंडार और कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे शौचालय, जर्जर भवन में संचालित अस्पताल, महिला प्रशिक्षुओं के लिए शौचालय की अनुपलब्धता, पुलिस केंद्र में रहने के लिए टेंट का इस्तेमाल, शौचालय को स्वच्छ नहीं रखना



जामताड़ा जिले के पुलिसकर्मियों द्वारा बैरक के रूप में उपयोग किया जा रहा उपायुक्त कार्यालय का भू-तल (30/10/2018)



गोड्डा जिले के पुलिसकर्मियों द्वारा बैरक के रूप में उपयोग किया जा रहा पुलिस केंद्र का जीर्ण-शीर्ण बरामदा (12/10/2018)



पूर्वी सिंहभूम पुलिस केंद्र में एस.पी.वी. सहित वाहन खुले में खड़े थे (23/10/2018)



पूर्वी सिंहभूम पुलिस केंद्र में क्षतिग्रस्त छत के साथ कमरा का उपयोग आरक्षित कार्यालय के रूप में किया जा रहा था (23/10/2018)

रा.स.पु.ब. बटालियन और प्रशिक्षण संस्थान

सैप-2 बटालियन का पुलिस केंद्र नहीं था और वह जैप-6 पुलिस केंद्र का शौचालय स्टोर और कार्यालय के रूप में उपयोग कर रहा था। जैप-6 का पुलिस अस्पताल एक जर्जर भवन में चल रहा था। जे.डब्ल्यू.एफ.एस., नेतरहाट में महिला प्रशिक्षुओं के लिए शौचालय नहीं था। जे.जे (एस.टी.एफ) के कर्मियों पुलिस केंद्र में रहने के लिए टेंट का उपयोग कर रहे थे। जमशेदपुर में जैप-6 के बैरक के शौचालय स्वच्छ स्थिति में नहीं पाए गए।



जमशेदपुर में सैप-2 बटालियन द्वारा स्टोर एवं कार्यालय के रूप में उपयोग किया जा रहा शौचालय (26/10/2018)



जे.डब्ल्यू.एफ.एस., नेतरहाट में महिला प्रशिक्षुओं के लिए अस्थायी शौचालय की व्यवस्था (1/11/2018)



जमशेदपुर में जैप-6 में अति जर्जर भवन में संचालित पुलिस अस्पताल (28/11/2018)



राँची में जे.जे. (एस.टी.एफ) के द्वारा बैरक के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे टेंट (21/12/2018)।



जमशेदपुर में जैप-6 के बैरक में शौचालय की खराब स्थिति (28/11/2018)।

पुलिस थाना एवं चौकी

मानगो थाना, पूर्वी सिंहभूम, सदर एवं नगर थाना, राँची तथा मेहरमा थाना, गोड्डा पुराने, जर्जर तथा तंग भवनों में चल रहे थे तथा इनमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव था।



सदर थाना, राँची का भवन जिसकी तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है (20/12/2018)।



मानगो थाना, जमशेदपुर का जर्जर कार्यालय (30/10/2018)।



तंग एवं दयनीय स्थिति में नगड़ी थाना, राँची का भवन (20/12/2018)



मेहरमा थाना, गोड्डा भवन की दयनीय स्थिति (10/10/2018)

अनुशंसा: सभी अपूर्ण असैनिक कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कर उपयोग में लाना चाहिए। पुलिस थानों, चौकियों एवं पुलिस केंद्र में संरचनात्मक क्षति/कमी को चिन्हित करने हेतु सर्वेक्षण यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए तथा कमियों को दूर करने के लिए समयबद्ध योजना तैयार की जानी चाहिए।

2.1.17 मानव संसाधन प्रबंधन

2.1.17.1 राज्य पुलिस बलों की ताकत

मार्च 2018 को राज्य पुलिस का स्वीकृत एवं कार्यरत बल⁹⁵ तालिका 12 में दिखाया गया है:

तालिका 12: निरीक्षक से कांस्टेबल तक का स्वीकृत एवं कार्यरत बल

वर्ष (31 मार्च को)	स्वीकृत बल (स्वी.ब.)			कार्यरत बल (का.ब.)		
	पदाधिकारी (सहायक अवर-निरीक्षक से निरीक्षक तक)	कांस्टेबलरी (हेड कांस्टेबल एवं कांस्टेबल)	योग	पदाधिकारी (स्वी.ब. का प्रतिशत)	कांस्टेबलरी (स्वी.ब. का प्रतिशत)	योग (प्रतिशत)
सिविल (जिले एवं अन्य इकाईयां) पुलिस बल						
2013	9055	46289	55304	6070 (67)	35895 (78)	41965 (77)
2014	9055	46289	55304	5803 (64)	36279 (78)	42082 (76)
2015	9058	46289	55347	6057 (67)	35521 (77)	41578 (75)
2016	9404	47079	56483	6236 (66)	34827 (74)	41063 (73)
2017	15634 ⁹⁶	47079	62713	8696 (56)	32205 (68)	40901 (65)
2018	15673	42070	57743	8570 (55)	36034 (86)	44604 (77)
वृद्धि (2013 से 2018 तक)			2439			2639
राज्य सशस्त्र पुलिस बल						
2013	1107	16300	17407	951 (86)	13230 (81)	14181 (81)
2014	1107	16300	17407	804 (73)	13406 (82)	14210 (82)
2015	1107	16300	17407	928 (84)	13087 (80)	14015 (81)
2016	1301	17880	19181	935 (72)	13517 (76)	14452 (75)
2017	1354	18916	20270	843 (62)	14465 (76)	15308 (76)
2018	1411	20349	21760	810 (57)	15278 (75)	16088 (74)
वृद्धि (2013 से 2018 तक)			4353			1907 (44)
कुल वृद्धि			6792			4546 (67)

(स्रोत: पु.मु द्वारा दी गयी सूचना)

प्रति एक लाख जनसंख्या पर 233 के स्वीकृत पुलिस-जनसंख्या अनुपात के विरुद्ध, वास्तविक अनुपात 178 था

लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि:

- बी.पी.आर.डी. द्वारा संकलित 01 जनवरी 2018 को 'पुलिस संगठनों के आँकड़े' के अनुसार, प्रति एक लाख जनसंख्या पर 193 के राष्ट्रीय औसत के विरुद्ध झारखण्ड का स्वीकृत पुलिस-जनसंख्या अनुपात 233 था। हालांकि, कांस्टेबलों एवं निरीक्षकों के पदों में रिक्तियों के कारण वास्तविक अनुपात 178 का था। वर्ष 2008-09 के

⁹⁵ विशेष सहायक पुलिस (सैप) की दो बटालियनों के कार्य-बल को छोड़कर, जहाँ सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाता है तथा झारखण्ड जगुआर (विशेष कार्य बल) बटालियन, जहाँ राज्य/ जिला पुलिसकर्मियों को रोटेशन के आधार पर प्रतिनियुक्त किया जाता है।

⁹⁶ जनवरी 2016 में, अधिकारियों के 6,148 पद सृजित किये गए तथा कांस्टेबल के उतने ही पद प्रत्यार्पित किये गए (जून 2017)।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 1.3.12.1 में इंगित होने के बावजूद बड़े पैमाने पर रिक्तियाँ बनी रहीं।

निरीक्षक से लेकर कांस्टेबल तक के पदों के लिए संशोधित भर्ती नियमावलियों की अधिसूचना में विलंब के परिणामस्वरूप केवल 54 प्रतिशत पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई

- लेखापरीक्षा ने पाया कि नवंबर 2000 में झारखण्ड राज्य के गठन के बाद कांस्टेबल से निरीक्षक के भर्ती नियमावली की अधिसूचना में विलंब एवं उच्चतर योग्यता सहित चयन मानकों⁹⁷ में निरंतर बदलाव हुए। विभाग ने कांस्टेबल से निरीक्षक तक के पदों के लिए संशोधित भर्ती नियमावलियों को जनवरी 2015 तथा मार्च 2017 के मध्य ही अधिसूचित किया। परिणामस्वरूप, मार्च 2018 तक 17,765 पदों पर प्रस्तावित नियुक्ति के विरुद्ध 2013-18 के दौरान केवल 9,568 (54 प्रतिशत) पुलिसकर्मियों (कांस्टेबल से उप-निरीक्षक) की नियुक्ति हुई।

- पुलिस सुधार हेतु समिति, 2000 (पद्मनाभैया समिति) ने पुलिस विभाग में सिपाहियों (कांस्टेबलरी) की नियुक्ति में कमी और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की अनुशंसा की थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि सरकार ने सिविल पुलिस बल में 2017-18 में कांस्टेबलरी की संख्या में कमी करते हुए पदाधिकारियों के स्वीकृत बल में वृद्धि की, तथापि इसने राज्य सशस्त्र पुलिस बल में पदाधिकारियों एवं कांस्टेबलरी दोनों की स्वीकृत बल में वृद्धि की। इसके अलावा, समिति ने सुझाव दिया कि पदाधिकारी एवं पुलिस का अनुपात 1:4 तक सुधरना चाहिए। सिविल पुलिस बल में स्वीकृत-बल का अनुपात जबकि 1:5.1 से 1:2.7 का हो गया, रा.स.पु.ब. के लिए यह अनुपात लगभग 1:14 पर बना रहा। इसके अलावा, रा.स.पु.ब. में 2018 में पदाधिकारियों एवं पुलिस का कार्यरत-बल अनुपात 1:19 का था।

पुलिस के कुल बल में लगभग 30 प्रतिशत महिलाओं को शामिल करने से सम्बंधित पु.आ. योजना के दिशानिर्देशों के विरुद्ध, केवल 4 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी थीं

- पु.आ. योजना के दिशा निर्देश (2017), यदि आवश्यक हो तो, पुलिस के कुल बल में लगभग 30 प्रतिशत महिलाओं को शामिल करने हेतु आवश्यक विधान पर बल देता है। गृह मंत्रालय ने भी राज्य पुलिस के कुल बल में 33 प्रतिशत तक महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को परामर्श जारी किया (सितंबर 2009 और मई 2014 के बीच)। लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2018 को 79,503 के स्वीकृत-बल के विरुद्ध महिला पुलिसकर्मियों की संख्या केवल 3,228⁹⁸ (चार प्रतिशत) थी। महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर, महिला पुलिसकर्मियों की कमी ऐसे मामलों से निपटने के लिए पुलिस बल की क्षमता में उल्लेखनीय कमी को इंगित करता था।

⁹⁷ कांस्टेबल और अवर-निरीक्षक के लिए उच्च शारीरिक मानक, अवर-निरीक्षक के लिए लिखित परीक्षा में उच्च कट-ऑफ एवं साक्षात्कार, अवर-निरीक्षक के लिए विभागीय परीक्षा में कम मौका एवं उच्च सेवा-शर्त।

⁹⁸ फरवरी 2019 तक।

पु.मु. ने कहा (अगस्त 2019) कि अनुसंधान पदाधिकारी के रैंक में कमी एवं युवा अवर-निरीक्षकों की कमी, राज्य में नक्सल विरोधी एकल अभियानों के लिए राज्य पुलिस-बल की गैर-तैनाती एवं पुराने मामलों के निष्पादन नहीं होने का कारण था। विभाग ने पुनः कहा (अक्टूबर 2019) कि भर्ती के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संबंध में कहा गया (दिसंबर 2019) कि वर्तमान में, पुलिस-बल की भर्ती में 33 प्रतिशत का आरक्षण लागू किया जा रहा था।

2.1.17.2 अभियान क्षमता

अभियान की योजना जिला स्तर पर मुख्य रूप से संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा तैयार किया जाता है। अभियान में जिला, रा.स.पु.ब. एवं कें.स.पु.ब. के संख्या संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा तय की जाती है तथा झारखण्ड जगुआर (जे.जे.) स्पेशल टास्क फोर्स (एस.टी.एफ)⁹⁹ के असाल्ट ग्रुप (ए.जी.) के अलावा जिन्हें माँग पर पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है, अन्य बलों को जिले में तैनात बलों से लिया जाता है।

• वामपंथ उग्रवाद की चुनौतियों का सामना करने के लिए, राज्य ने 2010 में कें.स.पु.ब. की 16 बटालियनें लगाई थी, जो 2013 में बढ़कर 24 हो गईं तथा दिसंबर 2018 तक बनी रही। राज्य ने 19 रा.स.पु.ब. बटालियन¹⁰⁰ और जिला सशस्त्र पुलिस (जि.स.पु.) से भी बलों को नक्सल विरोधी अभियानों में शामिल किया। राज्य में जनवरी 2014 से दिसंबर 2018 तक संचालित नक्सल विरोधी अभियान तथा इनके परिणाम का विवरण तालिका 13 में दिया गया है:

तालिका 13: अभियान तथा इनके परिणामों का विवरण (संख्याओं में)

वर्ष	संचालित अभियान				नक्सलियों के सन्दर्भ में अभियान के परिणाम		
	विशेष	लंबी दूरी के गश्त	अन्तर्राज्यीय	योग	हताहत	गिरफ्तारी	समर्पण
2014	1,082	1,216	46	2,344	10	516	12
2015	986	1,195	36	2,217	25	458	13
2016	1,609	1,429	53	3,091	21	527	39
2017	2,977	1,647	66	4,690	12	608	47
2018	2,658	1,601	55	4,314	26	515	16
योग	9,312	7,088	256	16,656	94	2,624	127

स्रोत: पु.मु द्वारा दी गयी सूचना

⁹⁹ यह राज्य में नक्सल गतिविधियों को रोकने एवं कें.स.पु.ब. पर निर्भरता को कम करने के लिए ग्रेहाउंड, आंध्र प्रदेश की तर्ज पर 40 असाॅल्ट गुप्स के साथ (फरवरी 2008 और अक्टूबर 2009) गठित किया गया।

¹⁰⁰ जैप-10, आई.आर.बी.-5, एस.आई.एस.एफ.-1, सैप-2 और जे.जे.(एस.टी.एफ.)-1।

राज्य स्तरीय बल-वार (केंद्र एवं राज्य) स्वतंत्र और संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान आँकड़ा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया

- पुलिस मुख्यालय ने लेखापरीक्षा को राज्य-स्तरीय बल-वार (केन्द्रीय एवं राज्य) एकल एवं संयुक्त नक्सल विरोधी अभियानों का आँकड़ा प्रदान नहीं किया, परिणामस्वरूप, राज्य में संचालित नक्सल विरोधी अभियानों में राज्य पुलिस-बलों की कुल भागीदारी का विश्लेषण नहीं किया जा सका।

2014 से 2018 के दौरान, नमूना जाँचित नौ जिलों में से सात जिलों में, 4,752 अभियान संचालित किए गए थे, जैसा कि तालिका-14 में दिखाया गया है।

तालिका 14: नमूना जाँचित जिलों में अभियानों का विवरण

वर्ष	कें.स.पु.ब द्वारा	संयुक्त	एकल	कुल अभियान	कुल अभियानों में एकल अभियान का प्रतिशत	कुल अभियानों के लिए एकल एवं संयुक्त अभियानों का प्रतिशत
2014	400	74	35	509	6.9	21.4
2015	343	190	6	539	1.1	36.4
2016	650	180	19	849	2.2	23.4
2017	934	328	107	1369	7.8	31.8
2018	940	433	113	1486	7.6	36.7
योग	3267	1205	280	4752		

स्रोत: नमूना जाँचित जिलों द्वारा प्रदत्त सूचना

राज्य बल द्वारा संचालित स्वतंत्र अभियान कुल अभियान का केवल छः प्रतिशत था

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि नमूना जाँचित सात जिलों में नक्सल विरोधी अभियानों की संख्या बढ़ते क्रम में थी। 2014-2018 के दौरान संचालित 4,752 अभियानों में से 3,267 (69 प्रतिशत) अभियान केवल कें.स.पु.ब. द्वारा संचालित किए गए, 1,205 (25 प्रतिशत) अभियान कें.स.पु.ब. और राज्य-बलों द्वारा संयुक्त रूप से तथा 280 अभियान (छः प्रतिशत) केवल राज्य-बलों द्वारा संचालित किए गए (परिशिष्ट 2.1.21)। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि मुख्यतः नक्सल गतिविधियों की रोकथाम के लिए गठित जे.जे. (एस.टी.एफ.) ने कें.स.पु.ब. (1,492) तथा राज्य पुलिस बल (884) के साथ 2,376 संयुक्त अभियानों में हिस्सा लिया जिसका विवरण परिशिष्ट 2.1.22 में दिया गया है।

- जे.जे. (एस.टी.एफ.) को कुशल और प्रभावी बनाने के लिए, पु.मु. ने हवलदार और कांस्टेबल (22 से 27 वर्ष) तथा अवर निरीक्षक से निरीक्षक (25 से 40 वर्ष) की उम्र-सीमा तय की (मार्च 2008)। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि दिसंबर 2018 में जे.जे. (एस.टी.एफ.) में 2,739 में से 1,862 (68 प्रतिशत) कांस्टेबल से निरीक्षक निर्धारित आयु-सीमा¹⁰¹ से ऊपर के थे।

¹⁰¹ अधिकतम आयु- कांस्टेबल: 48 वर्ष; हवलदार: 54 वर्ष; ए.एस.आई.: 53 साल; एस.आई.: 58 साल और इंस्पेक्टर: 55 साल।

पु.मु. ने राज्य-बलों द्वारा कम संख्या में अभियानों को स्वीकार किया और युवा सैन्य नेतृत्व तथा बेहतर प्रशिक्षित कांस्टेबल की कमी को एकल अभियानों में जे.जे. (एस.टी.एफ.) की तैनाती नहीं होने का कारण बताया (अगस्त 2019)। कें.स.पु.ब. पर अभियान हेतु निर्भरता के सन्दर्भ में, पु.मु. ने कहा (अगस्त 2019) कि नक्सल खतरे पर अंकुश लगाने के लिए राज्य एक महत्वपूर्ण बिंदु पर है और अगले दो से तीन वर्षों के लिए कें.स.पु.ब. को रोक कर रखने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने पुनः पाया कि राज्य सरकार नक्सल खतरे से निपटने के लिए केंद्रीय बलों पर लगातार निर्भर था, जबकि केंद्रीय बलों की तैनाती हेतु राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को देय दंड सहित बकाया की राशि मार्च 2018 तक ₹ 7,481.35 करोड़ थी।

निकास सम्मेलन (अक्टूबर 2019) के दौरान, अपर महानिदेशक (आधुनिकीकरण) ने कहा कि अभी जे.जे. (एस.टी.एफ.) के एसॉल्ट ग्रुप और रा.स.पु.ब. और जिला बलों से गठित स्मॉल एक्शन टीम (एस.ए.टी.) अपने दम पर अभियान चला रहे हैं। अपर महानिदेशक ने पुनः कहा कि कें.स.पु.ब. की दो बटालियन को हाल ही में राज्य से वापस ले लिया गया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि नक्सलवाद के पुनरुत्थान के खतरे के कारण कें.स.पु.ब. की एकाएक रिक्ति नहीं की जा सकती है।


अनुशंसा: लोक एवं आंतरिक सुरक्षा की समस्याओं से निपटने तथा प्रभावी नक्सल अभियान चलाने हेतु विभाग को राज्य पुलिस की तैयारियों, क्षमता एवं दक्षता की समीक्षा करनी चाहिए। युवा सैन्य नेतृत्व एवं प्रशिक्षित कांस्टेबलों को केन्द्रीय बलों के समान सर्वोत्तम उपलब्ध प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

2.1.18 झारखण्ड में अपराध

2.1.18.1 अपराध पंजीकरण एवं अनुसंधान

अपराध का पंजीकरण और अनुसंधान पुलिस के मुख्य कार्यों में से एक है। 2014-2018 के दौरान, झारखण्ड में अपराध का परिदृश्य मिश्रित था, जैसा कि नीचे चार्ट II में दर्शाया गया है।

चार्ट II: मामलों का पंजीकरण एवं निष्पादन (लंबित मामले सहित)



(स्रोत: पु.मु द्वारा दी गयी सूचना)

जनवरी 2014 से दिसंबर 2018 तक राज्य और नमूना जाँचित जिलों में मामलों के पंजीकरण एवं अनुसंधान की स्थिति तालिका 15 में दी गई है:

तालिका 15: पंजीकृत अपराध एवं इनके निष्पादन का विवरण

इकाईयों का नाम	1 जनवरी 2014 को लंबित मामले	2014 से 2018 के दौरान पंजीकृत मामले	कुल पंजीकृत मामले	2014 से 2018 के दौरान निष्पादित मामले	निष्पादन का प्रतिशत
राज्य	20,505	2,82,394	3,02,899	2,73,205	90
नमूना जाँचित जिले					
देवघर	1,540	16,473	18,013	16,255	90
धनबाद	1,675	26,914	28,589	26,528	93
गोड्डा	666	9,479	10,145	9,377	92
हजारीबाग	1,731	18,442	20,173	16,940	84
पूर्वी सिंहभूम	1,400	22,418	23,818	21,872	92
जामताड़ा	265	6,005	6,270	5,707	91
कोडरमा	468	7,027	7,495	7,138	95
लातेहार	289	4,962	5,251	4,866	93
राँची	2,100	38,486	40,586	35,679	88

स्रोत : अपर महानिदेशक (सीआईडी) द्वारा दी गयी सूचना

नमूना जाँचित जिलों में निर्धारित समय सीमा के भीतर लंबित मामलों में से 41 प्रतिशत को निष्पादित नहीं किया गया था

झा.पु.मै. का नियम 173(स) मामलों के निष्पादन के लिए अधिकतम एक वर्ष की समय सीमा निर्धारित करता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जाँचित नौ जिलों में, 14,168 लंबित मामलों में से 5,761 (41 प्रतिशत) मामले (सितंबर 2018 और जनवरी 2019 के बीच) एक वर्ष की समय सीमा¹⁰² से अधिक समय में भी समाप्त

¹⁰² (i) श्रेणी 'अ' के विशेष प्रतिवेदित (वि.प्रति.) मामलों जैसे डकैती, लूट, हत्या, दंगे आदि का अनुसंधान तीन महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए, जिसका विस्तार अधीक्षक द्वारा तीन महीने के लिए, रैंज डी.आई.जी. द्वारा छः महीने और महानिरीक्षक द्वारा आगे एक वर्ष तक किया जा सकता है। (ii) श्रेणी 'ब' के वि.प्रति. जैसे चोरी, पेशेवर इगिंग, दुर्घटना, अत्याचार आदि के मामले

नहीं हुए थे (परिशिष्ट 2.1.23)। इनमें 524 मामले छः वर्ष से अधिक तक, 979 मामले चार से छः वर्ष तक तथा 4,258 मामले एक से तीन वर्ष से लम्बित थे, जिसमें सबसे पुराना लंबित मामला 1985 से संबंधित था।

लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए विभाग ने अनुसंधान पदाधिकारियों की कमी को लंबित मामलों के लिए जिम्मेदार ठहराया (अक्टूबर 2019)।

2.1.18.2 साइबर अपराध

साइबर अपराध से निपटने के लिए राज्य स्तर पर साइबर अकादमी एवं प्रत्येक साइबर थानों में डिजिटल जाँच प्रयोगशाला स्थापित नहीं की गई। वर्तमान साइबर थानों में अपर्याप्त कार्यबल था एवं आधुनिक उपकरणों की कमी थी। कोई तकनीकी पद स्वीकृत नहीं थे। परिणामस्वरूप, 2013-18 के दौरान दर्ज साइबर अपराधों में से केवल 26 प्रतिशत का ही निपटारा किया जा सका

सरकारों, वाणिज्यिक उद्यमों, उद्योगों एवं सबसे ऊपर सभी सामान्य नागरिकों के लिए साइबर अपराध के खतरे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (रा.अं.अ.), भारत सरकार द्वारा साइबर अपराध पर निर्गत (अप्रैल 2016) मैनुअल के अनुसार, राज्य एवं जिला स्तर पर साइबर अपराध पुलिस थाना (साइबर थाना) होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, साइबर अपराध के मामलों से निपटने के लिए राज्य स्तर पर एक साइबर अकादमी और प्रत्येक साइबर थाना के साथ डिजिटल अनुसंधान प्रयोगशाला (डी.आई.एल.) होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राँची में राज्य स्तरीय साइबर थाना मार्च 2016 से कार्यरत था। जिला स्तर पर, 24 जिलों में से छः¹⁰³ जिलों में साइबर थाना की स्थापना (दिसंबर 2017) की गई थी। हालांकि, फॉरेंसिक विश्लेषण, नेटवर्क सुरक्षा, नेटवर्क और कॉल ट्रैकिंग एवं ऑन-साइट विश्लेषण में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए साइबर अकादमी तथा विस्तृत वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए आवश्यक डी.आई.एल. को दिसंबर 2018 तक स्थापित नहीं किया गया था। पुनः, वर्तमान साइबर थाना के पास अपर्याप्त मानव-बल एवं आधुनिक उपकरणों की कमी थी, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

- राज्यस्तरीय साइबर थाना में दिसंबर 2018 तक 44 स्वीकृत पदों के विरुद्ध केवल 10 (23 प्रतिशत) कार्यरत-बल था। इसके अलावा, जिलास्तरीय छः साइबर थानों के लिए कोई तकनीकी पद स्वीकृत नहीं था तथा 168 गैर-तकनीकी पदों के स्वीकृत-बल के विरुद्ध दिसंबर 2018 तक केवल 66 (39 प्रतिशत) कार्यरत बल था, जिसमें कमी का प्रतिशत 43 से 86 प्रतिशत के बीच था (परिशिष्ट 2.1.24)।

दो महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, जिसका विस्तार अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी द्वारा एक महीने के लिए किया सकता है। (iii) वि.प्रति. मामलों (पेशेवर एवं जघन्य अपराध) के कुछ वर्गों और गैर- वि.प्रति. मामलों का अनुसंधान एक महीने के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए, जिसका विस्तार श्रेणी 'अ' और 'ब' वि.प्रति. मामलों के लिए लागू नियमों के अनुसार किया जा सकता है (iv) अन्य मामलों का अनुसंधान 10-15 दिनों में पूरा किया जाना चाहिए।

¹⁰³ देवघर, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर, जामताड़ा और पलामू।

- राज्य एवं जिला स्तरीय साइबर थानों में साइबर क्राइम मामलों के अनुसंधान के लिए आवश्यक आधुनिक और अद्यतन उपकरण जैसे पासवर्ड क्रैकिंग टूल और फिंगर-प्रिंट-आईरिस स्कैनर दिसंबर 2018 तक उपलब्ध नहीं थे। राज्य-स्तरीय साइबर थाना सीमित फॉरेंसिक उपकरणों एवं यंत्रों के साथ संचालित था, जबकि जिला-स्तरीय साइबर थाने पूरी तरह से राज्य-आधारित साइबर थाना पर निर्भर थे। पु.आ. योजना के तहत 2013-18 के दौरान वा.का.यो. में इन उपकरणों की खरीद के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।
- 2013 से 2018 के दौरान कार्यबल तथा आवश्यक वैज्ञानिक अनुसंधान सुविधाओं के अभाव ने साइबर-अपराधों के त्वरित जाँच को प्रभावित किया क्योंकि 2,719 पंजीकृत साइबर-अपराध मामलों में से केवल 702 मामलों (26 प्रतिशत) का निष्पादन हुआ।

निकास सम्मेलन (अक्टूबर 2019) के दौरान, अपर महानिदेशक (आधुनिकीकरण) ने कहा कि तकनीकी रूप से योग्य नव नियुक्त अवर निरीक्षकों को साइबर थाने में प्रतिनियुक्त किया जायगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव ने पुनः कहा कि संबंधित कर्मियों को विशेष साइबर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कार्रवाई की जाएगी तथा राज्य स्तर पर साइबर अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त उपकरण सहित एक केंद्रीकृत साइबर सेल स्थापित किया जाएगा।

2.1.19 क्षेत्र निरीक्षण

झारखण्ड पुलिस मैनुअल के नियम 32, 39 तथा 69 के तहत पुलिस अधीक्षकों (एस.पी.), अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/ पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) एवं अंचल निरीक्षक (सी.आई.) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पुलिस थानों का वार्षिक और अर्धवार्षिक निरीक्षण किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जनवरी 2014 से सितंबर 2018 के दौरान नमूना जाँचित नों में से सात¹⁰⁴ जिलों में नमूना जाँचित 35 थानों/ चौकियों में एस.पी., डी.एस.पी. एवं सी.आई. द्वारा किए गए निरीक्षण अत्यंत कम थे, जैसा कि तालिका 16 में दिखाया गया है।

¹⁰⁴ देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, जामताड़ा, लातेहार और राँची ।

तालिका 16: पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा थानों/ चौकी का निरीक्षण

पदाधिकारी का नाम	आवश्यक निरीक्षण	निरीक्षण की संख्या	निरीक्षित थानों/ चौकी	थानें एवं चौकी जहाँ एक बार भी निरीक्षण नहीं हुआ	कमी (प्रतिशत)
पुलिस अधीक्षक	175	35	21	14	140 (80)
पुलिस उपाधीक्षक	175	61	24	11	114 (65)
अंचल निरीक्षक	350	54	23	12	296 (85)

(स्रोत: नमूना जाँचित थानों द्वारा प्रदत्त सूचना)

इस प्रकार, उच्चाधिकारियों द्वारा थानों/ चौकियों का कम निरीक्षण करने के कारण थानों/ चौकियों के स्तर पर संरचनात्मक कमियों का आकलन नहीं हुआ तथा मामलों की अनुसंधान में देरी हुई।

2.1.20 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

नीतिगत दिशा-निर्देशों की रूपरेखा तैयार करने और चिन्हित प्रदर्शन संकेतकों के विरुद्ध संगठन के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए राज्य पुलिस बोर्ड का गठन नहीं किया गया। विभाग ने क्षमताओं/ संरचनात्मक कमी को सुचारू रूप से पहचानने तथा एक कुशल और समयबद्ध तरीके से राज्य पुलिस को आधुनिक एवं मजबूत करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों को आवंटित करने हेतु कोई दीर्घकालिक या मध्यम अवधि की परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की थी। परिसंपत्तियों और संसाधनों का आकलन, कमियों की पहचान तथा इन कमियों को दूर करने हेतु लक्ष्य निर्धारण के लिए पंच-वर्षीय रणनीतिक योजना की तैयारी अभी 2019-20 में शुरू की गई है। क्षेत्र विशिष्ट आंतरिक सुरक्षा योजना भी तैयार नहीं की गई है।

विभाग ने मार्च 2018 तक पु.आ. योजना के तहत ₹ 52.25 करोड़ का राज्यांश निर्गत नहीं किया तथा ₹ 4.22 करोड़¹⁰⁵ के केन्द्रांश का उपयोग नहीं कर सका। पुनः, वा.का.यो. 168 दिनों तक के विलंब से प्रस्तुत किया गया जिससे केंद्रीय निधि जारी करने में विलंब हुआ तथा धीमी गति से उपयोगिता के कारण बाद में ₹ 21.31 करोड़ के केंद्रीय अनुदान का नुकसान हुआ। परिणामस्वरूप, 2013-18 के दौरान वा.का.यो. को पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया गया। पु.आ. के तहत निधि की कमी को राज्य बजट से पर्याप्त एवं तर्कसंगत रूप से पूरा नहीं किया गया।

यद्यपि विभाग ने अप्रैल 2013 की तुलना में अप्रैल 2018 में हथियारों की उपलब्धता में सुधार किया तथापि हथियारों की कमी 28 प्रतिशत (अप्रैल 2013) से बढ़कर 32 प्रतिशत (अप्रैल 2018) हो गई। विभाग ने क्षेत्रीय इकाईयों के बीच

¹⁰⁵ 2014-16 में प्राप्त।

उपलब्ध हथियारों एवं गोला-बारूद का तर्कसंगत वितरण सुनिश्चित नहीं किया। इसी तरह, कारतूसों का वितरण भी असमान था। राज्य पुलिस अभी भी क्रमशः हटाए गए हथियारों पर निर्भर है क्योंकि आवश्यक हथियारों की खरीद को वा.का.यो. में पर्याप्त रूप से प्राथमिकता नहीं दी गई थी। राज्य पुलिस बी.पी. जैकेट एवं हेलमेट की भारी कमी का सामना कर रही है।

विभाग ने न तो अपनी विभिन्न पुलिस इकाईयों के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों का मानक तय किया न ही जिलों एवं सशस्त्र बटालियनों के बीच उनके तर्कसंगत वितरण को सुनिश्चित किया। नमूना जाँचित 41 थानों/ चौकियों के विश्लेषित 545 विशेष प्रतिवेदित मामलों में से 116 (22 प्रतिशत) मामलों में प्रतिक्रिया समय दो घंटे से अधिक का था।

राज्य पुलिस मुख्य रूप से संचार के एनालॉग प्रणाली पर निर्भर है जो अवरोधन के लिए अति संवेदनशील है। विभाग द्वारा स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान नहीं करने के कारण नई आवृत्ति आवंटन के अभाव में डिजिटल सेट की खरीद नहीं की जा सकी। मामलों की त्वरित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आवश्यक राज्य में विधि विज्ञान प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में प्रशिक्षित एवं तकनीकी रूप से योग्य कार्यबल की कमी के साथ-साथ सुविधाओं की कमी के कारण प्रदर्शों के विश्लेषण में एक से पाँच साल तक की देरी हुई।

सभी पुलिस कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। आयु सीमा का पालन किए बिना सी.आई.ए.टी. प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आवश्यक विशिष्टताओं के फायरिंग रेंज की अनुपलब्धता तथा कारतूसों की कमी के कारण पुलिसकर्मियों को मानकों के अनुरूप विभिन्न प्रकार के हथियारों के साथ लक्ष्य/ शूटिंग अभ्यास प्रदान नहीं किया गया।

निरीक्षक से कांस्टेबल श्रेणी तक में बड़े पैमाने पर रिक्तियाँ थी। पुलिसकर्मियों के लिए आवास की सुविधा पर्याप्त नहीं थी तथा राजपत्रित पदाधिकारियों, वरीष्ठ अधीनस्थों और कनिष्ठ अधीनस्थों में आवास के संदर्भ में संतुष्टि स्तर निम्न था। नमूना जाँचित थानों/ चौकियों में बुनियादी संरचनात्मक सुविधाओं एवं सुरक्षा व्यवस्था का अभाव था। कार्य शुरू होने के 11 वर्ष बाद भी पाँच पुलिस केंद्र का निर्माण अपूर्ण रहा।

31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक) की कंडिका 1.3 में इंगित कमियाँ अब भी मौजूद थीं।

नक्सली खतरे से निपटने के लिए राज्य पुलिस अभी भी कें.स.पु.ब. पर निर्भर थी। नमूना जाँचित जिलों में सुरक्षा अभियानों के विश्लेषण से पता चला कि 69 प्रतिशत अभियान केवल कें.स.पु.ब. द्वारा संचालित किया गया, 25 प्रतिशत अभियान संयुक्त रूप से कें.स.पु.ब. एवं राज्य बलों द्वारा तथा केवल छः प्रतिशत ही राज्य बलों द्वारा संचालित किया गया। विशेष रूप से नक्सल गतिविधियों की रोकथाम के लिए गठित जे.जे. (एस.टी.एफ.) ने कें.स.पु.ब. एवं राज्य पुलिस बलों के साथ संयुक्त अभियान में हिस्सा लिया। इस प्रकार, राज्य कें.स.पु.ब. पर निर्भरता कम नहीं कर सका।

अध्याय-III

अनुपालन लेखापरीक्षा

3.1 लेखापरीक्षा कंडिकाएँ

अध्याय-III

3.1 लेखापरीक्षा कंडिकाएँ

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता तथा योजना-सह-वित्त विभाग

3.1.1 डेस्क-बेंचों का अधिक क्रय एवं परिहार्य व्यय

वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (डीजीएसडी) के दर से अधिक दर पर डेस्क-बेंचों के क्रय के कारण ₹ 2.28 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। इसके अलावा, ₹ 81.54 लाख मूल्य के 1,087 डेस्क-बेंच आवश्यकता से अधिक खरीदे गये, जो बेकार पड़े हुए थे।

बिहार वित्तीय नियमावली (बि.वि.नि.¹) का नियम 131ई यह निर्धारित करता है कि यदि कोई विभाग केंद्रीय क्रय संगठन (यथा डीजीएसडी)²/ राज्य क्रय संगठन द्वारा दर अनुबंधित वस्तुएँ सीधे आपूर्तिकर्ताओं से खरीदता है, तो ऐसी वस्तुओं का मूल्य, दर अनुबंध में निर्धारित मूल्य-सीमा से अधिक नहीं होगी। पुनः, वित्त विभाग (वि.वि) का निर्देश (फरवरी 2011) यह निर्धारित करता है कि ₹ 1.50 लाख से अधिक मूल्य के सामानों का क्रय व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ खुली निविदा के द्वारा किया जाएगा।

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (अ.कें.स) की कार्य योजना (2013-15) में शामिल करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी (जि.शि.पदा.), पश्चिमी सिंहभूम ने जिला योजना पदाधिकारी (जि.यो.पदा.), पश्चिमी सिंहभूम को 76 उच्च विद्यालयों के लिए ₹ 12.32 करोड़ मूल्य के 16,416 डेस्क-बेंचों (डी.बी.) की आवश्यकता प्रस्तुत किया (दिसंबर 2013)। जि.शि.पदा. ने प्रति विद्यालय 216 की दर से 76 ऐसे उच्च विद्यालयों के लिए गोदरेज कंपनी से डी.बी. क्रय करने का प्रस्ताव रखा, जिनमें डी.बी. नहीं थे और विद्यार्थी फर्श पर बैठते थे। जिला स्तरीय समिति³, पश्चिमी सिंहभूम ने प्रस्ताव को स्वीकृत किया (जनवरी 2014) तथा उप विकास आयुक्त (उ.वि.आ.), पश्चिमी सिंहभूम की अध्यक्षता में एक क्रय समिति⁴ का गठन किया। उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम ने जि.शि.पदा., पश्चिमी सिंहभूम को जून

¹ झारखण्ड सरकार द्वारा 15 नवंबर 2000 को अपनाया गया

² पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

³ जिला स्तरीय समिति, जिसके अध्यक्ष उपायुक्त एवं सदस्य पुलिस अधीक्षक और जिला वन पदाधिकारी होते हैं, अ.कें.स. के तहत जिले के लिए कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान करती है।

⁴ इसका गठन उपायुक्त द्वारा किया गया, जिसके अध्यक्ष, उप विकास आयुक्त, सदस्य, जिला लेखा पदाधिकारी; सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर, चाईबासा; महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र और जिला शिक्षा पदाधिकारी, चाईबासा एवं समन्वयक, जिला योजना पदाधिकारी, चाईबासा थे।

2014 तक डी.बी. क्रय कर लेने का निर्देश दिया (फरवरी 2014)। जि.शि.पदा. ने (मार्च 2014 और जनवरी 2016 के बीच) 16,213⁵ डी.बी. का क्रय किया और आपूर्तिकर्ता को (मार्च 2014 और फरवरी 2016 के बीच) ₹ 12.16 करोड़ का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा (नवंबर 2017 और जून 2019 के बीच) में निम्न बातें उद्घाटित हुईं:

➤ गोदरेज कंपनी से डी.बी. क्रय करने के निर्णय का औचित्य या प्रति स्कूल 216 डी.बी. की आवश्यकता के आकलन का आधार अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे।

➤ यद्यपि जि.शि.पदा. पश्चिमी सिंहभूम ने डी.बी. की खरीद के लिए निविदा आमंत्रित की थी (12 फरवरी 2014) तथा तीन निविदाएँ प्राप्त की, निविदाओं को खोलने के लिए आयोजित क्रय समिति ने निविदा हेतु पर्याप्त समय नहीं दिये जाने के आधार पर निविदा को रद्द कर दिया (19 फरवरी 2014)। क्रय समिति द्वारा पुनः निविदा आमंत्रित करने के बजाय, गोदरेज के अधिकृत विक्रेताओं से कोटेशन के माध्यम से डी.बी. क्रय करने का निर्णय लिया (19 फरवरी 2014) तथा छः कोटेशन प्राप्त किया। क्रय समिति द्वारा निविदा की आवश्यकता की उपेक्षा का निर्णय वित्त विभाग के निर्देशों का उल्लंघन था। पुनः, अभिलेख में यह दिखाने के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं था कि क्रय समिति ने यह सुनिश्चित किया था कि निविदा दाताओं द्वारा उद्धृत दरें डीजीएसडी दर को समाहित करते हुए बाजार में सबसे कम दर था।

➤ यद्यपि उस अवधि में डी.बी. डीजीएसडी के दर अनुबंध में शामिल था तथापि जि.शि.पदा. ने डीजीएसडी के दर को डी.बी. के लिए अधिकतम मूल्य सीमा के रूप में निर्धारित नहीं किया। परिणामस्वरूप, क्रय समिति ने प्रति इकाई ₹ 6,097⁶ की विद्यमान डीजीएसडी दर के विरुद्ध प्रति इकाई ₹ 7,501⁷ की दर से डी.बी. के खरीद की मंजूरी दे दी (मार्च 2014)। फलस्वरूप, 16,213 डी.बी. के खरीद पर ₹ 2.28 करोड़⁸ का परिहार्य व्यय हुआ।

➤ उपायुक्त के निर्देशानुसार, जि.शि.पदा. को डी.बी. क्रय हेतु, विद्यालयों में वास्तविक नामांकन के आधार पर आवश्यकता का आकलन करना था। लेखापरीक्षा ने

⁵ 16,429 डी.बी. (अवशेष राशि से अतिरिक्त 13 डी.बी.) के क्रय आदेश के विरुद्ध परियोजना उच्च विद्यालय, गोइलकेरा में आपूर्ति किये गये 216 इकाईयों के लिए भुगतान नहीं किया गया था क्योंकि आपूर्तिकर्ता द्वारा डी.बी.को लगाया नहीं गया था (अक्टूबर 2018 तक)।

⁶ प्रति इकाई ₹ 5,348 जोड़ 14 प्रतिशत मूल्य वर्धित कर

⁷ प्रति इकाई ₹ 6,580 जोड़ 14 प्रतिशत मूल्य वर्धित कर

⁸ ₹ 7,501 - ₹ 6,097 = ₹ 1,404 प्रति डी.बी. x 16,213 इकाई

76 में से 22 विद्यालयों में डी.बी. की आवश्यकता का विद्यार्थियों के नामांकन के विरुद्ध तिर्यक जाँच किया (फरवरी 2018) और पाया कि 18 विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों के विरुद्ध, ₹ 1.32 करोड़ मूल्य के 1,765 डी.बी. अधिक क्रय किये गए थे जबकि शेष चार विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों के सामंजन हेतु अतिरिक्त 1,249 डी.बी. की आवश्यकता थी। इस प्रकार, क्रय वास्तविक आवश्यकता पर आधारित नहीं था।

➤ जि.शि.पदा., पश्चिमी सिंहभूम के अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा के संयुक्त भौतिक सत्यापन (जून 2019) में यह देखा गया कि ₹ 81.54 लाख मूल्य के 1,087 डी.बी. उनके खरीद के तीन वर्षों से बेकार पड़े थे (*परिशिष्ट 3.1.1*)।

जि.शि.पदा., पश्चिमी सिंहभूम ने कहा (मार्च 2018) कि निविदा आमंत्रित की गई थी और क्रय समिति के निर्णय के अनुसार डी.बी. की खरीद सबसे कम मूल्य उद्धृत करने वाले निविदादाता (गोदरेज का एक अधिकृत विक्रेता) से किया गया था। जवाब तथ्यात्मक रूप से गलत था क्योंकि क्रय कोटेशन के माध्यम से किया गया न कि निविदा द्वारा। पुनः, जि.शि.पदा., डीजीएसडी के दर को ध्यान में रखे बिना क्रय करने का न तो औचित्य सिद्ध कर सके और न ही अतिरिक्त डी.बी.को उन विद्यालयों में स्थानांतरित नहीं करने का कारण बता सके, जहां इनकी आवश्यकता थी।

मामला सरकार को प्रेषित किया गया था (जून 2019); उनके उत्तर अप्राप्त थे (अक्टूबर 2019)।

पथ निर्माण विभाग

3.1.2 पुल निर्माण पर निष्क्रिय व्यय

पहुँच पथ के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण किए बिना संजय नदी पर पुल का कार्य प्रारंभ करने के परिणामस्वरूप पुल तीन साल तक निष्क्रिय रहा, जिससे ₹ 7.36 करोड़ का निष्क्रिय व्यय हुआ, साथ ही, वर्ष-भर यातायात का सुरक्षित और सुगम परिचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी।

झारखण्ड लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 132 के अनुसार आकस्मिक कार्य यथा दरार की मरम्मत आदि को छोड़कर कोई भी निर्माण कार्य ऐसी भूमि पर आरम्भ नहीं किया जाना चाहिए जिसे जिम्मेदार असैनिक पदाधिकारी द्वारा विधिवत रूप से न सौंपी गई हो।

सरायकेला-खरसावाँ पथ के 7वें कि.मी. पर संजय नदी के ऊपर, पहुँच पथ सहित उच्च स्तरीय आर.सी.सी. पुल के निर्माण के लिए पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा नवम्बर 2012 में ₹ 6.93 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति (प्र.स्वी.) एवं तकनीकी स्वीकृति (टी.स्वी.) प्रदान की गयी, जिसमें भू-अधिग्रहण⁹ की लागत भी शामिल थी। इलाके में एक स्टील प्लांट के शुरू होने के कारण यातायात में कई गुना वृद्धि को देखते हुए एवं वर्ष-भर सुरक्षित एवं सुगम यातायात सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित पुल द्वारा, वर्तमान के संकरे तथा अपर्याप्त डुबाऊ (सबमर्सिबल) पुल को प्रतिस्थापित करना था। कार्य का निष्पादन कार्यपालक अभियंता (का.अभि.), पथ निर्माण प्रमंडल (प्रमंडल), सरायकेला-खरसावाँ द्वारा किया जाना था।

निविदा (मार्च 2013) किये जाने के बाद, कार्य (पुल तथा पहुँच-पथ का निर्माण) को नवंबर 2014 तक पूर्ण करने के लिए ₹ 8.19¹⁰ करोड़ की लागत पर एक संवेदक को आवंटित (अप्रैल 2013) किया गया। पुल का निर्माण कार्य पूर्ण (अगस्त 2016) हो गया और संवेदक को ₹ 6.15 करोड़ का भुगतान (मई 2017) विमुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त, पहुँच-पथ के निर्माण हेतु, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी (जि.भू.अ.पदा.), सरायकेला-खरसावाँ को 0.83¹¹ एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए ₹ 1.06¹² करोड़ का भुगतान (दिसम्बर 2013 एवं अगस्त 2015) किया गया जो प्र.स्वी. एवं त.स्वी. में भूमि अधिग्रहण के लिए प्रावधानित राशि (₹ 11 लाख) से अधिक थी। आगे, उपयोगी सेवाओं के स्थानांतरण के लिए उर्जा विभाग को ₹ 15 लाख का भुगतान (मार्च 2014) किया गया जो प्र.स्वी./ त.स्वी. में शामिल नहीं था। इन दोनों भुगतानों को, संशोधित प्र.स्वी. निर्गत कर अभी तक नियमित नहीं किया गया था (सितम्बर 2019)।

लेखापरीक्षा ने का.अभि. के अभिलेखों से पाया (मई 2017 एवं मई 2019) कि जि.भू.अ.पदा. ने सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के उपरान्त प्रभावित भूस्वामियों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हेतु पुनः ₹ 29.49¹³ लाख के अतिरिक्त मुआवजा राशि की मांग की (मई 2017)। हालांकि, का.अभि. जि.भू.अ.पदा. को यह राशि विमुक्त (सितंबर 2019) नहीं कर सके क्योंकि का.अभि. द्वारा भूमि अधिग्रहण तथा उपयोगी

⁹ ₹ 0.11 करोड़।

¹⁰ संशोधित दर की अनुसूची के आधार पर तैयार ₹ 7.63 करोड़ के परिमाण विपत्र से 7.23 प्रतिशत अधिक।

¹¹ कोलबुरुडीह मौजा: 0.32 एकड़ एवं गोविन्दपुर मौजा: 0.51 एकड़।

¹² जि.भू.अ.पदा. सरायकेला-खरसावाँ के माँगों (दिसम्बर 2013 एवं अगस्त 2015) पर

¹³ अधिनियम के अनुच्छेद 27 (₹ 26.41 लाख) एवं 31 (₹ 3.08 लाख) के अनुसार

सेवाओं के स्थानांतरण की लागत सहित त.स्वी. से विचलन (₹ 5.28¹⁴ करोड़) को प्रदर्शित करते हुए ₹ 12.40¹⁵ करोड़ राशि का तैयार (जुलाई 2017) किया गया पुनरीक्षित प्राक्कलन, मुख्य अभियंता (मु.अभि.), केन्द्रीय निरूपण संगठन (के.नि.सं.) द्वारा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद लगभग दो वर्ष विलंब से, जून 2019 में अनुमोदित किया गया। आगे, सितंबर 2019 तक विभाग द्वारा संशोधित प्र.स्वी. जारी नहीं किया गया है।

इस प्रकार, पहुँच पथ के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं हो सका तथा अगस्त 2016 में पुल निर्माण के बाद से लगभग तीन वर्षों तक पुल उपयोग में नहीं लाया जा सका जिससे पुल निर्माण पर ₹ 7.36 करोड़ का व्यय निष्क्रिय साबित हुआ, साथ ही वर्ष-भर सुरक्षित एवं सुगम यातायात को सुनिश्चित करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।



पहुँच-पथ के अभाव में संजय नदी पर निष्क्रिय पड़े पुल को दिखाती तस्वीर

संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग ने जवाब में कहाँ (सितम्बर 2019) कि संशोधित प्र.स्वी. की प्राप्ति के बाद कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

¹⁴ परिमाण में विचलन: ₹ 1.03 करोड़, दर में विचलन ₹ 2.79 करोड़, मूल्य समायोजन: ₹ 5.18 लाख आकस्मिकता में वृद्धि: ₹ 1.97 लाख, भूमि अधिग्रहण में वृद्धि: ₹ 1.23 करोड़ एवं उपयोगिता स्थानांतरण (अतिरिक्त मद) ₹ 15.21 लाख।

¹⁵ फरवरी 2019 में पुनरीक्षित ₹ 12.20 करोड़।

पथ निर्माण तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

3.1.3 निष्क्रिय पाइप पर व्यय

पथ निर्माण विभाग द्वारा ट्रैफिक रोटरि कार्य को बीच में बंद करने तथा उपयोग के कई अवसरों के बावजूद पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा आठ वर्षों में डी.आई. जलापूर्ति पाइप के उपयोग में विफलता के कारण ₹ 1.65 करोड़ की राशि अवरुद्ध रहने के अलावा पाइप पर ₹ 2.56 करोड़ का निष्क्रिय व्यय हुआ।

झारखण्ड लोक निर्माण लेखा संहिता,¹⁶ निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देने एवं विस्तृत प्राक्कलन की मंजूरी से पूर्व भूमि अधिग्रहण का प्रावधान करती है।

काँटाटोली चौक, राँची पर यातायात के भीड़ को कम करने के लिए ट्रैफिक रोटरि का निर्माण एवं शाखा-पथों के उन्नयन हेतु पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.), झारखण्ड सरकार द्वारा ₹ 18.63 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति (अगस्त 2010) प्रदान की गई। इस कार्य में ट्रैफिक रोटरि का निर्माण (₹ 7.15 करोड़), जलापूर्ति पाइप लाइनों का स्थानांतरण (₹ 4.10 करोड़), विद्युत लाइनों का स्थानांतरण एवं अधिष्ठापन (₹ 0.40 करोड़) तथा 0.53 एकड़ भूमि का अधिग्रहण (₹ 6.94 करोड़) शामिल था।

आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के लिए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी (जि.भू.अ.पदा.), राँची को राशि हस्तांतरण से पहले, पथ निर्माण विभाग द्वारा ₹ 6.74 करोड़ की लागत पर ट्रैफिक रोटरि के कार्य¹⁷ का निविदा आमंत्रित किया गया (अक्टूबर 2010) तथा इस कार्य को सितम्बर 2011 तक पूरा करने के लिए एक संवेदक को आवंटित (मार्च 2011) किया गया। आगे, कार्यपालक अभियंता (का.अभि.), प.नि.वि. पथ प्रमण्डल (प.प्र.), राँची द्वारा भूमि अधिग्रहण, जलापूर्ति पाइप लाइनों का स्थानांतरण और अधिष्ठापन तथा विद्युत लाइनों के स्थानांतरण के लिये तीन कार्यालयों¹⁸ को ₹ 6.76 करोड़ का हस्तांतरण (दिसम्बर 2010 और मार्च 2011 के बीच) किया गया।

¹⁶ अनुबंध 'ए' - मंत्रिमंडल सचिवालय और समन्वय विभाग (सतर्कता प्रकोष्ठ) संकल्प सं. 948 दिनांक 16 जुलाई 1986, झारखण्ड सरकार द्वारा अधिग्रहित बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता की कंडिका 4.5 और 7.5।

¹⁷ रोटरि, शाखा-पथ तथा नाली निर्माण कार्य।

¹⁸ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी (जि.भू.अ.पदा.): ₹ 2.37 करोड़, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता (पेय.एवं.स्व.), स्वर्णरेखा वितरण प्रमण्डल (स्व.वि.प्र.) राँची: ₹ 3.99 करोड़ तथा विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, राँची: ₹ 40 लाख।

का.अभि., प.नि.वि., प.प्र., राँची के अभिलेखों से लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया (दिसंबर 2017) कि अक्टूबर 2013 तक संवेदक द्वारा प्रस्तावित ट्रैफिक रोटरी के साथ लगे हुए सड़क और नाली का कार्य¹⁹ किया गया एवं संवेदक को ₹ 1.34 करोड़ का भुगतान किया गया। तत्पश्चात, प्रधान सचिव, प.नि.वि. के आदेश पर कार्य को बंद कर दिया गया (दिसम्बर 2013) क्योंकि अधिसूचना की तिथि (मार्च 2012) से निर्धारित दो वर्षों की समयावधि के भीतर पंचाट²⁰ की घोषणा में प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण, जि.भू.अ.पदा., राँची द्वारा आवश्यक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सका था। हालांकि, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद जि.भू.अ.पदा., राँची ने अगस्त 2019 में कार्यपालक अभियन्ता, प.नि.वि. को ₹ 2.37 करोड़ वापस कर दिये थे।

इसी बीच, का.अभि., पेयजल एवं स्वच्छता (पेय.एवं.स्व.), स्वर्णरेखा वितरण प्रमंडल (स्व.वि.प्र.), राँची भी, भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही, ₹ 3.86 करोड़ की लागत पर जलापूर्ति पाइप लाइन का स्थानांतरण एवं अधिष्ठापन का कार्य नवम्बर 2011 तक पूर्ण करने के लिए टर्न-की आधार पर एक अन्य संवेदक को आवंटित कर दिया (जुलाई 2011)। संवेदक ने 3,406²¹ मीटर डी.आई. के-7 पाइप का क्रय किया (सितम्बर 2011) तथा उसे जुलाई 2016 तक ₹ 2.74 करोड़ का भुगतान किया गया। यह कार्य भी पेय.एवं.स्व. विभाग द्वारा भूमि की अनुपलब्धता के कारण जून 2016 में बंद कर दिया गया। खरीदे गए पाइपों में से, मात्र 114 मीटर ही बिछाया गया था (नवम्बर 2011), जबकि ₹ 2.56 करोड़ मूल्य के 3,292²² मीटर पाइप, क्रय की तारीख से आठ वर्षों तथा एकरारनामा बंद होने की तिथि से तीन वर्षों तक स्वर्णरेखा वितरण प्रमंडल के परिसर में निष्क्रिय पड़े हुए थे (सितम्बर 2019)।

¹⁹ मिट्टी कार्य, सीमेंट कंक्रीट का फुटपाथ, सीमेंट कंक्रीट तथा अलकतरा कार्य।

²⁰ पंचाट अर्थात् भूमि अधिग्रहण के लिए प्रत्येक रैयत को दी जानेवाली कुल क्षतिपूर्ति राशि का अंतिम आकलन।

²¹ 150 मि.मी.: 788 मीटर, 200 मि.मी.: 1000 मीटर तथा 750 मि.मी.: 1618 मीटर, कुल 3,406 मीटर।

²² 150 मि.मी. 788 मी., 200 मि.मी. 1000 मी., तथा 750 मि.मी. 1504 मीटर कुल 3,292 मीटर निष्क्रिय पड़ा रहना।

लेखापरीक्षा ने दो²³ पेय.एवं.स्व. प्रमण्डलों में डी.आई.के-7 पाइपों के उपयोग की जाँच की (मार्च 2019) और पाया कि यद्यपि, दिसंबर 2016 और जनवरी 2018 के बीच अलग-अलग योजनाओं में स्वर्णरेखा वितरण प्रमण्डल सहित इन प्रमण्डलों द्वारा समान प्रकार के 150 मि.मी. और 200 मि.मी. पाइपों का उपयोग किया गया था (परिशिष्ट-3.1.2), तथापि बेकार पड़े पाइपों को उपयोग में नहीं लाया गया।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि शहरी विकास और आवास विभाग ने जुडको²⁴ द्वारा उसी स्थल पर ₹ 51.70 करोड़ के एक फ्लाइओवर के निर्माण की मंजूरी दी (जुलाई 2016)। इस कार्य में भी उपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण शामिल था, जिसमें पेय.एवं.स्व. विभाग द्वारा दिए गए विस्तृत प्राक्कलन के अनुसार, डी.आई.के-7 पाइप²⁵ बिछाने की आवश्यकता थी। तथापि, निष्क्रिय पाइपों के उपयोग का विचार इस कार्य में नहीं किया गया, जिसका कारण अभिलेख में दर्ज नहीं था।

का.अभि., पेय.एवं.स्व., स्व.वि.प्र., राँची ने कहा (अप्रैल 2018) कि यदि भविष्य में किसी अन्य योजना में समान विशिष्टता के पाइपों की आवश्यकता होगी, तो उनका उपयोग कर लिया जायेगा। यह जवाब, लेखापरीक्षा द्वारा इस मुद्दे को प्रकाश में लाने के पश्चात का विचार है, क्योंकि का.अभि., पेय.एवं.स्व., स्व.वि.प्र., राँची, मार्च 2018 तक उपरोक्त दो प्रमण्डलों के कार्यों में अथवा फ्लाइओवर के उपयोगी सेवाओं के स्थानांतरण में इन पाइपों का उपयोग नहीं करने का कोई औचित्य नहीं बता सके।

अतः, प.नि.वि. द्वारा ट्रेफिक रोटरी कार्य तथा पेय.एवं.स्व. विभाग द्वारा उपयोगी सेवाओं के स्थानांतरण का कार्य, आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के बिना आरंभ करने तथा पेय.एवं.स्व. विभाग द्वारा कई अवसरों के बावजूद निष्क्रिय पाइपों के उपयोग करने में विफल रहने के कारण ₹ 2.56 करोड़ मूल्य के पाइप लगभग आठ वर्ष से निष्क्रिय पड़े थे। इसके अलावा, संबंधित कार्यालयों²⁶ में आठ वर्षों से अधिक समय से ₹ 1.65 करोड़ की राशि अवरुद्ध रही क्योंकि ये कार्य, बाधा-रहित भूमि के अभाव में निष्पादित नहीं किए जा सके।

²³ पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल (पेय.एवं.स्व.प्र.), राँची पश्चिमी और पेयजल एवं स्वच्छता (पेय.एवं.स्व.) स्वर्णरेखा वितरण प्रमण्डल (स्व.वि.प्र.), राँची

²⁴ झारखण्ड अर्बन इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लि.

²⁵ 900 मि.मी, 750 मि.मी, 150 मि.मी, 100 मि.मी - 1500 मीटर, 600 मि.मी- 490 मीटर, 200 मि.मी - 30 मीटर

²⁶ ₹ 40 लाख (विद्युत आपूर्ति अंचल, राँची) और बचा हुआ ₹ 1.25 करोड़ (कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता, स्वर्णरेखा वितरण प्रमंडल के पास)।

विभागों को मामले की सूचना दिए जाने (जुलाई 2019) पर, अभियंता प्रमुख ने का.अभि., पेय.एवं.स्व., स्व.वि.प्र., राँची को तीन वर्षों तक पाइपों का उपयोग नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया (अगस्त 2019) और अधीक्षण अभियंता तथा क्षेत्रीय मुख्य अभियंता (क्षे.मु.अभि.) के परामर्श से सुधारात्मक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। सचिव, पेय.एवं.स्व. विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (सितम्बर 2019) कि क्षे.मु.अभि. को पाइपों का उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दे दिया गया है। आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित है। प.नि.वि. से उत्तर अप्राप्त है (सितम्बर 2019)।

कला, संस्कृति, खेल-कूद एवं युवा मामले तथा ग्रामीण विकास विभाग

3.1.4 स्टेडियम निर्माण पर निष्फल व्यय

त्रुटिपूर्ण तकनीकी स्वीकृति के कारण खेल के मैदान के बिना स्टेडियम के निर्माण के परिणामस्वरूप निष्क्रिय संरचना पर ₹ 1.28 करोड़ का निष्फल व्यय।

झारखण्ड लोक निर्माण विभाग (झा.लो.नि.वि) संहिता का नियम 126 निर्धारित करता है कि तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलनों की सही गणना तथा पर्याप्त आँकड़ों पर आधारित होने की गारंटी देता है। झा.लो.नि.वि आगे प्रावधानित करता है कि प्राक्कलन में स्थल प्रतिवेदन शामिल होना चाहिए जिसमें प्रस्तावित स्थल की स्थिति का विवरण तथा विहित उद्देश्य हेतु उसकी उपयुक्त होने की पुष्टि हो।

तकनीकी महाविद्यालय²⁷ गढ़वा में एक आउटडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए कला, संस्कृति, खेल और युवा मामले विभाग (विभाग), झारखण्ड सरकार द्वारा ₹ 1.08²⁸ करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दिसम्बर 2008 में प्रदान की गई तथा मुख्य अभियंता (मु.अभि.), ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची द्वारा ₹ 1.10 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति दी गई (जुलाई 2009)। उपायुक्त, गढ़वा द्वारा, कार्यपालक अभियंता (का.अभि.), ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल सं.-2, गढ़वा को निर्माण कार्य के लिए कार्यकारी एजेंसी के रूप में नामित किया गया (मार्च 2009) जिसमें खेल के मैदान का निर्माण (स्थल-निर्माण एवं समतलीकरण द्वारा मैदान की तैयारी), पैविलियन भवन, गैलरी, चाहरदीवारी तथा जलापूर्ति एवं विद्युतीकरण शामिल था। निविदा (अगस्त 2009) के उपरांत, ₹ 1.06 करोड़ की लागत पर कार्य को एक संवेदक को आवंटित किया गया (जनवरी 2010), जिसे अप्रैल 2011 तक समाप्त करना था।

²⁷ स्व. गोपीनाथ सिंह जन सेवा ट्रस्ट तकनीकी महाविद्यालय

²⁸ पुनरीक्षित (मार्च 2013) ₹ 1.42 करोड़

लेखापरीक्षा द्वारा प्रमण्डल के अभिलेखों में पाया गया (दिसम्बर 2017 तथा मई 2019) कि प्रस्तावित निर्माण स्थल चट्टानों से भरा पड़ा था। तथापि, न तो का.अभि., जिन्होंने प्राक्कलन तैयार (जुलाई 2009) किया था और न ही मु.अभि., जिन्होंने प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति दी थी, स्थल को समतल करने हेतु आवश्यक चट्टानों को हटाने की मात्रा की गणना की थी। प्राक्कलन में, चट्टानों को हटाने के लिए केवल ₹ 0.22 लाख की एक-मुश्त राशि का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार, का.अभि. तथा मु.अभि. झा.लो.नि.वि. संहिता के प्रावधानों के अनुपालन में असफल रहे। स्थल जाँच प्रतिवेदन, यदि कोई था, लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

परिणामस्वरूप, खेल के मैदान का स्थल-निर्माण एवं समतलीकरण का कार्य संवेदक द्वारा प्रारंभ नहीं किया जा सका (अक्टूबर 2019) और ₹ 1.28²⁹ करोड़ की लागत पर केवल पैवेलियन भवन, गैलरी तथा चाहरदीवारी (अंशतः) को पूर्ण किया गया (जुलाई 2012)। यद्यपि पैवेलियन भवन तथा गैलरी के स्थल पर स्थित चट्टानों को हटाने का कार्य अतिरिक्त मद के रूप में किया गया तथा संवेदक को ₹ 32.83 लाख का भुगतान किया गया (मार्च 2013), तथापि खेल के मैदान से चट्टानों को हटाने का कार्य संवेदक को नहीं सौंपा गया।

का.अभि. ने उपायुक्त, गढ़वा (अगस्त 2012) तथा कला, संस्कृति, खेल एवं युवा मामले विभाग को खेल के मैदान के समतलीकरण की आवश्यकता के संबंध में सूचित कर दिया था (नवम्बर 2015 तथा सितम्बर 2016)। तथापि, का.अभि. द्वारा खेल के मैदान क्षेत्र³⁰ तथा संरक्षण दीवार के अवशिष्ट कार्य के लिए ₹ 1.24 करोड़ का अलग से प्राक्कलन तैयार कर, केवल जनवरी 2018 में अर्थात् मूल प्राक्कलन के अनुमोदन के आठ वर्ष से अधिक के पश्चात, विभाग को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जा सका। इसके अलावा, विभाग द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन को अनुमोदित नहीं किया गया था (अक्टूबर 2019)।

इस प्रकार, निष्क्रिय संरचनाओं पर किया गया ₹ 1.28 करोड़ का व्यय निष्फल रहा, क्योंकि खेल के मैदान का कार्य पूर्ण किए बगैर स्टेडियम को उपयोग में नहीं लाया जा सका।

²⁹ ₹ 95.57 लाख दिसम्बर 2012 में तथा ₹ 32.83 लाख मार्च 2013 में।

³⁰ ₹ 54.76 लाख।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (जून 2019), ग्रामीण विकास विभाग (कार्यकारी विभाग) ने संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य प्रभाग को संबंधित का.अभि. तथा मु.अभि. पर जिम्मेदारी तय करने के लिए निर्देशित किया (सितम्बर 2019)। कला, संस्कृति, खेल एवं युवा मामले विभाग ने कहा (अक्टूबर 2019) कि ग्रामीण विकास विभाग से पुनरीक्षित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति मिलते ही कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

इन्दु अग्रवाल

(इन्दु अग्रवाल)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड

राँची

दिनांक: 20 जुलाई 2020

प्रतिहस्ताक्षरित

राजीव महर्षि

(राजीव महर्षि)

नई दिल्ली

दिनांक: 29 जुलाई 2020

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट-2.1.1

(कंडिका 2.1.6 में संदर्भित; पृष्ठ 13)

पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए अपनाई गयी नमूना चयन पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना के मुख्य उद्देश्य यथा-राज्य पुलिस बलों के बुनियादी ढाँचे एवं दक्षता के विकास के द्वारा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल पर राज्य की निर्भरता को कम करना, को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्ष्य इकाईयों का चयन किया गया। झारखण्ड ने कें.स.पु.ब. को मुख्य रूप से नक्सल गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए प्रतिनियुक्त किया था। सभी जिलों में पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्य मापदण्डों के समान रूप से लागू होने के अभाव में, जिलों के चयन हेतु अपराध आँकड़ों को मापदण्ड के रूप में लिया गया। नक्सल तथा अन्य अपराधों को क्रमशः 0.75 तथा 0.25 का बल-भार दिया गया। इस मापदण्ड पर, संभाव्यता आनुपातिक आकार पद्धति के द्वारा 24 जिलों में से आठ जिले (33 प्रतिशत) चयनित हुए। इसके अतिरिक्त, साइबर अपराध की संवीक्षा के लिए जामताड़ा जिले का चयन किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु चयनित अन्य क्षेत्रीय इकाईयाँ निम्न हैं:

1. राज्य सशस्त्र पुलिस बल (रा.स.पु.ब.) बटालियन जिनका मुख्यालय तथा पुलिस प्रशिक्षण संस्थान चयनित जिलों में स्थित था।
2. प्रत्येक चयनित जिलों में छः थाने (शहरी, सामान्य ग्रामीण, नक्सल, यातायात, साइबर तथा महिला) तथा दो चौकी (शहरी तथा ग्रामीण प्रत्येक वर्ग से एक) का चयन इनमें पंजीकृत अपराधों की अधिकतम संख्या के आधार पर किया गया था। कतिपय जिले में किसी वर्ग के थाना के अभाव में, यदि कोई हो तो, अपराधों की अधिकतम संख्या के आधार पर किसी अन्य वर्ग के थाना का चयन किया गया।

चयनित रा.स.पु.ब. बटालियन, प्रशिक्षण संस्थान, पुलिस थाना तथा चौकी के नाम नीचे दिए गए हैं:

चयनित इकाईयों की सूची

चयनित जिले	चयनित एसएपीएफ बटालियन	चयनित प्रशिक्षण संस्थान	चयनित थाने एवं चौकी
राँची	1) झारखण्ड सशस्त्र पुलिस (जैप)-1; 2) जैप-2; 3) जैप-10; 4) विशेष सहायक पुलिस (सैप)-1 तथा 5) झारखण्ड जगुआर (विशेष कार्य बल)	1. आतंकवाद-निरोधक एवं आतंकवाद-विरोधी (सीआईएटी) स्कूल, टेंडरग्राम, राँची	1 सदर थाना, राँची, 2 कोतवाली थाना, राँची, 3 नगड़ी थाना, 4 पिठौरिया थाना, 5 महिला थाना, राँची, 6 अरगोड़ा थाना, 7 मेसरा चौकी तथा 8 पंडरा चौकी
पूर्वी सिंहभूम	1 जैप-6, 2 भारत रिजर्व बटालियन (आइआरबी)-2 तथा 3 सैप-2.	1 सीआईएटी स्कूल, मुसाबनी	1. महिला थाना, जमशेदपुर, 2 सुन्दरनगर थाना, 3 मानगो थाना, 4 घाटशिला थाना, 5 साइबर थाना, जमशेदपुर, 6 यातायात थाना, जमशेदपुर, 7 मउभंडार चौकी तथा 8 ओलिडीह चौकी
धनबाद	1 जैप-3	कोई प्रशिक्षण संस्थान नहीं	1. धनबाद थाना, 2 निरसा थाना, 3 गोविंदपुर थाना, 4 तोपचांची थाना, 5 महिला थाना, धनबाद, 6 यातायात थाना, धनबाद, 7 भुली चौकी तथा 8 मैथन चौकी
हजारीबाग	1 जैप-7	1. झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग, 2. झारखण्ड सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, पदमा तथा 3 सीआईएटी स्कूल, पदमा, हजारीबाग	1 सदर थाना, हजारीबाग, 2 महिला थाना, हजारीबाग, 3 महिला थाना, बरही, 4 इचाक थाना, 5 अनुसूचित जाति/जनजाति थाना, हजारीबाग, 6 पेलावल चौकी तथा 7 पदमा चौकी.
कोडरमा	कोई राज्य सशस्त्र बटालियन मुख्यालय नहीं	कोई प्रशिक्षण संस्थान नहीं	1. कोडरमा थाना, 2 तिलैया थाना, 3 जयनगर थाना, 4 चंदवारा थाना, 5 डोमचांच थाना, 6 अनुसूचित जाति/जनजाति थाना, कोडरमा, 7 महिला थाना, कोडरमा तथा 8 तिलैया डैम चौकी
गोड्डा	आईआरबी-8 के संचालित नहीं होने से कोई राज्य सशस्त्र बटालियन मुख्यालय नहीं	कोई प्रशिक्षण संस्थान नहीं	1 महिला थाना, गोड्डा, 2 पोरेयाहाट थाना, 3 मेहरमा थाना, 4 पथरगामा थाना, 5 सुंदरपहाड़ी थाना तथा 6 नगर थाना, गोड्डा
जामताड़ा	1 आईआरबी-1	कोई प्रशिक्षण संस्थान नहीं	1 जामताड़ा थाना, 2 नारायणपुर थाना, 3 करमाटाड़ थाना, 4 महिला थाना, जामताड़ा, 5 साइबर थाना, जामताड़ा तथा 6 नाला थाना
देवघर	1 जैप-5	कोई प्रशिक्षण संस्थान नहीं	1 महिला थाना, देवघर, 2 यातायात थाना, देवघर, 3 मोहनपुर थाना, 4 अनुसूचित जाति/जनजाति थाना, कुंदा, 5 सदर थाना, देवघर तथा 6 जसीडीह थाना
लातेहार	कोई राज्य सशस्त्र बटालियन मुख्यालय नहीं	1. जंगल वारफेयर स्कूल, नेतरहाट तथा 2 सीआईएटी स्कूल, नेतरहाट.	1. लातेहार थाना, 2 महिला थाना, लातेहार, 3 चंदवा थाना, 4 मनिका थाना, 5 बरवाडीह थाना तथा 6 बालूमाथ थाना
24 में से नौ (38 प्रतिशत) जिले	21 में से 12 (57 प्रतिशत) बटालियन	नौ में से सात (78 प्रतिशत) प्रशिक्षण संस्थान	चयनित जिलों के 241 में से 54 (22 प्रतिशत) थाने एवं 36 में से नौ (25 प्रतिशत) चौकियाँ

परिशिष्ट-2.1.2

(कंडिका 2.1.9.1 में संदर्भित; पृष्ठ 20)

पुलिस आधुनिकीकरण को बजटीय सहायता

₹ करोड़ में

वर्ष	बजटीय प्रावधान	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
केन्द्र प्रायोजित योजना				
2013-14	105.69	78.97	26.72	25.28
2014-15	27.24	16.24	11.00	40.38
2015-16	0.82	0.82	0.00	0.00
2016-17	17.16	17.16	0.00	0.00
2017-18	7.64	7.64	0.00	0.00
उप-योग	158.55	120.83	37.72	23.79
केन्द्रीय योजना				
2013-14	0.00	0.00	0.00	0.00
2014-15	59.40	39.09	20.31	34.19
2015-16	9.11	9.11	0.00	0.00
2016-17	0.00	0.00	0.00	0.00
2017-18	0.00	0.00	0.00	0.00
उप-योग	68.51	48.20	20.31	29.65
राज्य योजना				
2013-14	144.40	130.40	14.00	9.70
2014-15	142.10	108.03	34.07	23.98
2015-16	165.04	164.53	0.51	0.31
2016-17	140.40	140.40	0.00	0.00
2017-18	233.21	233.21	0.00	0.00
उप-योग	825.15	776.57	48.58	5.89
कें.प्रा.यो, कें.यो तथा रा.यो का कुल योग				
2013-14	250.09	209.37	40.72	16.28
2014-15	228.74	163.36	65.38	28.58
2015-16	174.97	174.46	0.51	0.29
2016-17	157.56	157.56	0.00	0.00
2017-18	240.85	240.85	0.00	0.00
कुल योग	1052.21	945.60	106.61	10.13

(स्रोत: प्रधान महालेखाकार (ले.एवं हक.), झारखण्ड, राँची द्वारा तैयार विस्तृत विनियोग लेखाएं)

परिशिष्ट 2.1.3

(कंडिका 2.1.10.4 में संदर्भित; पृष्ठ 27)

नमूना जाँचित इकाईयों में मुख्य मारक हथियारों की कमी

क्र.सं.	नमूना जाँचित जिले/ इकाईयाँ	मार्च 2018 को स्वीकृत बल (अधिकारी से सिपाही तक)	प्राधिकरण दर के अनुसार हथियारों की आवश्यकता	उपलब्ध प्राधिकृत हथियार		कमी	कमी का प्रतिशत	उपलब्ध हटाए गए हथियार (एस.एल.आर. कार्बाइन तथा स्टेनगन)
				कार्यात्मक	गैर-कार्यात्मक			
1	देवघर	1470	1337	936	13	401	29.99	90
2	धनबाद	3767	3389	1098	37	2291	67.60	271
3	गोड्डा	981	862	495	0	367	42.55	229
4	हजारीबाग	2673	2522	1321	13	1201	47.63	181
5	पूर्वी सिंहभूम	3958	3569	1253	357	2316	64.90	536
6	जामताड़ा	1166	1105	570	6	535	48.42	78
7	कोडरमा	1079	1002	601	0	401	40.03	94
8	लातेहार	1750	1653	1072	3	581	35.16	330
9	राँची	6088	5657	2910	122	2747	48.56	694
	उप-योग	22932	21097	10256	551	10841	51.39	2503
10	जैप-1	1777	1776	1981	39	-205	-11.56	536
11	जैप-2	1086	1082	1127	0	-45	-4.11	342
12	जैप-3	1039	1035	1174	14	- 139	-13.39	207
13	जैप-5	1061	1058	1140	5	- 82	-7.71	873
14	जैप-6	1041	1037	1114	26	- 77	-7.43	720
15	जैप-7	1160	1156	1054	2	102	8.83	303
16	जैप-10	1323	1320	1039	167	281	21.27	46
17	आई.आर.बी-1	927	929	1146	4	- 217	-23.30	70
18	आई.आर.बी-2	984	986	966	12	20	2.07	0
19	जे.जे (एस.टी.एफ)	3723	3617	2387	546	1230	34.00	218
20	सैप-1	1325	1308	1128	1	180	13.73	300
21	सैप-2	1325	1319	894	1	425	32.23	49
	उप-योग	16771	16624	15150	817	2238¹	8.87	916² + 2748³
	योग	39703	37721	25406	1368	13079	32.65	6167
	आधिक्य (छ: इकाईयाँ)					765		
	15 इकाईयों में क्रमशः हटाए गए हथियार सहित कमी							2503+916=3419

¹ छ: रा.स.पु.ब. बटालियन जहाँ हथियारों की कमी थी का योग

² छ: रा.स.पु.ब. बटालियन जहाँ हथियारों की कमी थी का योग

³ छ: रा.स.पु.ब. बटालियन जहाँ हथियारों की अधिकता थी का योग

परिशिष्ट 2.1.4

(कंडिका 2.1.10..4 में संदर्भित; पृष्ठ 27)

नमूना जाँचित इकाईयों में कारतूस की कमी

क्र.सं.	नमूना जाँचित जिले/ इकाईयाँ	प्राधिकरण दर के अनुसार कारतूस की आवश्यकता				मार्च 2018 तक कारतूस की उपलब्धता				मार्च 2018 तक कारतूस की कमी			
		9 मिमी	5.56 इंसास	एके 47	7.62 एसएलआर	9 मिमी	5.56 इंसास	एके 47	7.62 एसएलआर	9 मिमी	5.56 इंसास	एके 47	7.62 एसएलआर
1	देवघर	25870	313950	19500	19500	13569	56362	13133	3132	12301	257588	6367	16368
2	धनबाद	87100	321750	21450	29640	33599	100875	0	14488	53501	220875	21450	15152
3	गोड्डा	21580	142350	17550	76440	7212	32148	13225	10784	14368	110202	4325	65656
4	हजारीबाग	53430	436215	24960	25350	11269	63757	6420	1490	42161	372458	18540	23860
5	पूर्वी सिंहभूम	101790	504855	35100	117390	24442	153381	23517	35757	77348	351474	11583	81633
6	जामताड़ा	19110	179400	17550	19500	9290	49328	18363	10693	9820	130072	-813	8807
7	कोडरमा	20930	187200	22620	23400	15784	48628	18349	23522	5146	138572	4271	-122
8	लातेहार	17550	334425	65520	123240	16717	126404	43320	57577	833	208021	22200	65663
9	राँची	148200	850785	117000	163020	47358	218627	58031	49906	100842	632158	58969	113114
	उप-योग	495560	3270930	341250	597480	179240	849510	194358	207349	316320	2421420	147705	390253
10	जैप-1	72800	684060	132600	118170	25889	354300	68000	0	46911	329760	64600	118170
11	जैप-2	52780	439920	23400	66690	25396	253121	19395	32402	27384	186799	4005	34288
12	जैप-3	43160	439920	37050	33540	13061	195962	54884	29343	30099	243958	-17834	4197
13	जैप-5	68510	438750	22620	254670	31337	156538	37122	92880	37173	282212	-14502	161790
14	जैप-6	46540	442260	23010	223080	7082	123268	25979	142497	39458	318992	-2969	80583
15	जैप-7	42120	421590	19500	64740	22167	207197	21001	31344	19953	214393	-1501	33396
16	जैप-10	19240	450645	19500	2340	6908	239792	61683	10583	12332	210853	-42183	-8243
17	आई.आर.बी-1	5850	440700	39000	27300	14460	262552	43932	50991	-8610	178148	-4932	-23691
18	आई.आर.बी-2	5200	325065	63180	0	16154	204661	85980	12000	-10954	120404	-22800	-12000
19	जे.जे (एस.टी.एफ)	17940	906945	231270	78000	17331	336503	168495	49760	609	570442	62775	28240
20	सैप-1	4680	398970	79950	117000	15059	207115	71309	59352	-10379	191855	8641	57648
21	सैप-2	3640	345930	33150	19500	2580	166312	14862	5656	1060	179618	18288	13454
	उप-योग	382460	5734755	724230	1004640	197424	2707321	672642	516808	214971	3027434	158309	531766
	योग	878020	9005685	1065480	1602120	376664	3556831	867000	724157	531299	5448854	306014	922019
	आधिक्य									29943		107534	44056

परिशिष्ट 2.1.5

(कंडिका 2.1.11.1 में संदर्भित; पृष्ठ 29)

बुलेट प्रूफ जैकेटों की कमी

क्र.सं.	नमूना जाँचित रा.स.पु.ब बटालियन	योजना अनुसार बीपी जैकेट	उपलब्ध		उपयोग्य		कमी बुलेट प्रूफ जैकेट	प्रतिशत कमी
			बुलेट प्रूफ जैकेट	बुलेट प्रूफ हेलमेट	बुलेट प्रूफ जैकेट	बुलेट प्रूफ हेलमेट		
1	जैप-1	100	334	335	334	335	--	--
2	जैप-2	100	57	0	57	0	43	43
3	जैप-3	100	67	67	49	59	51	51
4	जैप-5	100	57	57	57	57	43	43
5	जैप-6	100	57	57	0	0	100	100
6	जैप-7	100	57	0	56	0	44	44
7	जैप-10	100	7	7	3	3	97	97
8	आई.आर.बी-1	100	57	57	57	57	43	43
9	आई.आर.बी-2	100	25	25	25	25	75	75
10	जे.जे(एस.टी.एफ)	3,500	157	227	0	0	3,500	100
11	सैप-1	100	0	0	0	0	100	100
12	सैप-2	100	30	50	30	50	70	70
कुल योग		4600	905	882	668	586	4,166	

परिशिष्ट-2.1.6

(कंडिका 2.1.12.2 में संदर्भित; पृष्ठ 33)

नमूना जाँचित इकाइयों में उपलब्ध वाहन

क्र.सं.	नमूना जाँचित जिले/ इकाई	वाहनों की आवश्यकता				वाहनों की उपलब्धता				वाहनों की कमी/ आधिक्य (-)				वाहनों की कमी/ आधिक्य (-) का प्रतिशत			
		भा.वा./ म.वा.	ह.वा.	मो.सा.	योग	भा.वा./ म.वा.	ह.वा.	मो.सा.	योग	भा.वा./ म.वा.	ह.वा.	मो.सा.	योग	भा.वा./ म.वा.	ह.वा.	मो.सा.	योग
1	देवघर	26	54	73	153	24	63	45	132	2	-9	28	21	7.69	-16.67	38.36	13.73
2	धनबाद	28	82	155	265	21	107	50	178	7	-25	105	87	25.00	-30.49	67.74	32.83
3	गोड्डा	28	46	55	129	13	45	32	90	15	1	23	39	53.57	2.17	41.82	30.23
4	हजारीबाग	28	66	91	185	49	98	49	196	-21	-32	42	-11	-75.00	-48.48	46.15	-5.95
5	पूर्वी सिंहभूम	27	100	140	267	23	126	54	203	4	-26	86	64	14.81	-26.00	61.43	23.97
6	जामताड़ा	27	38	43	108	13	39	30	82	14	-1	13	26	51.85	-2.63	30.23	24.07
7	कोडरमा	27	36	42	105	19	48	29	96	8	-12	13	9	29.63	-33.33	30.95	08.57
8	लातेहार	30	42	51	123	52	58	153	263	-22	-16	-102	-140	-73.33	-38.10	-200.00	-113.82
9	राँची	27	108	162	297	51	186	265	502	-24	-78	-103	-205	-88.89	-72.22	-63.58	-69.02
	उप योग	248	572	812	1632	265	770	707	1742	-17	-198	105	-110	-6.85	-34.62	12.93	-6.74
1	जैप-1	37	13	5	55	44	24	15	83	-7	-11	-10	-28	-18.92	-84.62	-200.00	-50.91
2	जैप-2	37	13	5	55	19	16	8	43	18	-3	-3	12	48.65	-23.08	-60.00	21.82
3	जैप-3	37	13	5	55	21	20	3	44	16	-7	2	11	43.24	-53.85	40.00	20.00
4	जैप-5	37	13	5	55	11	11	5	27	26	2	0	28	70.27	15.38	0.00	50.91
5	जैप-6	37	13	5	55	11	11	2	24	26	2	3	31	70.27	15.38	60.00	56.36
6	जैप-7	37	13	5	55	20	9	6	35	17	4	-1	20	45.95	30.77	-20.00	36.36
7	जैप-10	37	13	5	55	24	12	5	41	13	1	0	14	35.14	7.69	0.00	25.45
8	आईआरबी-1	37	13	5	55	23	9	3	35	14	4	2	20	37.84	30.77	40.00	36.36
9	आईआरबी -2	37	13	5	55	23	11	3	37	14	2	2	18	37.84	15.38	40.00	32.73
10	जेजे (एसटीएफ)	250	144	28	422	123	73	31	227	127	71	-3	195	50.80	49.31	-10.71	46.21
11	सैप-1	37	13	5	55	19	9	3	31	18	4	2	24	48.65	30.77	40.00	43.64
12	सैप-2	37	13	5	55	18	12	3	33	19	1	2	22	51.35	7.69	40.00	40.00
	उप-योग	657	287	83	1027	356	217	87	660	301	70	-4	367	45.81	24.39	-4.82	35.74
	कुल योग	905	859	895	2659	621	987	794	2402	284	-128	101	257	31.38	-14.90	11.28	9.67

परिशिष्ट-2.1.7

(कंडिका 2.1.12.3 में संदर्भित; पृष्ठ 34)

नमूना जाँचित जिलों में प्रतिक्रिया-समय

क्र.सं.	नमूना जाँचित जिले	नमूना जाँचित थानों एवं चौकियों की संख्या	विश्लेषित एसआर मामलों की संख्या	प्रतिक्रिया-समय			
				30 मिनटों के अंदर	30 मिनट से एक घंटा	एक घंटा से दो घंटा	दो घंटे से अधिक
1	देवघर	5	28	2	16	9	1
2	धनबाद	5 तथा 2	56	5	19	5	27
3	गोड्डा	5	45	1	18	17	9
4	हजारीबाग	2	12	2	5	0	5
5	पूर्वी सिंहभूम	4 तथा 2	114	19	39	37	19
6	जामताड़ा	3	53	5	31	10	7
7	कोडरमा	2	16	1	5	5	5
8	लातेहार	6	147	8	47	49	43
9	राँची	5	74	61	12	1	0
	कुल (प्रतिशत)	37 तथा 4	545	104 (19)	192 (35)	133 (24)	116 (22)

परिशिष्ट-2.1.8

(कंडिका 2.1.13.1 में संदर्भित; पृष्ठ 36)

संचार उपकरणों की कमी

क्र. सं.	उपकरण का नाम	2001 के बी.पी.आर.डी मानकों अनुसार आवश्यकता	मार्च 2018 को उपलब्ध	सक्रिय सेटों की संख्या	शुद्ध कमी (प्रतिशत)
1	एचएफ स्टैटिक सेट 100 वाट	267	158	139	128 (48)
2	एचएफ मैन पैक सेट (15 वाट)	411	120	118	293 (71)
3	वीएचएफ सेट स्टैटिक/ रिपीटर (25 वाट)	5,652	4,428	2,073	3,579 (63)
4	वीएचएफ सेट हैंड हेल्ड (5 वाट)	6,579	5,981	4,135	2,444 ((37)
	कुल	12,909	10,687	6,465	6,444 (50)

परिशिष्ट-2.1.9

(कंडिका 2.1.14.1 में संदर्भित; पृष्ठ 39)

आयु-सीमा से अधिक के पुलिसकर्मी, जिन्हें 2013-18 की अवधि में सी.आई.ए.टी प्रशिक्षण दिया गया, की संख्या दिखाती विवरणी

प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण प्राप्त पुलिसकर्मियों की कुल संख्या				अधिक-आयु वाले पुलिसकर्मियों की कुल संख्या			
	नि./ अ.नि./ स.अ.नि.	हवलदार	कांस्टेबल	कुल	नि./ अ.नि./ स.अ.नि.	हवलदार	कांस्टेबल	कुल
सीआईएटी, टेंडरगाम								
18.03.2013 से 13.05.2013	1	8	41	50	0	6	0	6
01.09.2014 से 07.11.2014	5	32	107	144	5	12	51	68
06.01.2015 से 02.03.2015	7	28	138	173	7	6	70	83
13.03.2015 से 14.05.2015	7	28	140	175	7	13	86	106
20.01.2016 से 20.03.2016	2	9	37	48	1	2	12	15
04.04.2016 से 06.06.2016	3	14	54	71	1	9	15	25
17.10.2016 से 20.12.2016	2	9	37	48	2	3	10	15
उप-योग	27	128	554	709	23	51	244	318
सीआईएटी, नेतरहाट								
15.05.2014 से 10.07.2014	15	33	150	198	11	20	44	75
08.09.2014 से 07.11.2014	11	23	123	157	3	17	35	55
09.01.2015 से 03.03.2015	11	23	143	177	4	15	51	70
17.03.2015 से 22.05.2015	8	21	132	161	4	12	51	67
उप-योग	45	100	548	693	22	64	181	267
सीआईएटी, मुसाबनी								
21.02.2013 से 17.04.2013	5	31	162	198	2	19	21	42
30.08.2014 से 04.11.2014	6	25	111	142	6	13	34	53
08.01.2015 से 03.03.2015	5	26	140	171	5	11	29	45
13.03.2015 से 17.05.2015	5	24	138	167	5	13	39	57
27.01.2016 से 21.03.2016	3	17	53	73	1	8	27	36
28.10.2016 से 27.12.2016	2	7	33	42	0	5	18	23
29.04.2017 से 01.07.2017	2	9	41	52	0	7	36	43
उप-योग	28	139	678	845	19	76	204	299
कुल योग	100	367	1780	2247	64	191	629	884

(स्रोत: नमूना जाँचित इकाईयाँ)

परिशिष्ट-2.1.10

(कंडिका 2.1.14.2 में संदर्भित; पृष्ठ 40)

प्रशिक्षण संस्थानों में हुए प्रशिक्षणों के परीक्षाफल को दिखाती विवरणी

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	परीक्षा की अवधि	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	प्रशिक्षण आदेश सं/ दिनांक	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	कुल
1	बुनियादी	05.06.2013 से 18.06.2013	जेएपीटीसी, पदमा	34/11.07.2013	362	237	599
2	प्रोन्नतीय (कांस्टेबल से स.अ.नि. तक)	01.07.2013 से 15.07.2013	जेएपीटीसी, पदमा	46/12.09.2013	290	35	325
3	प्रोन्नतीय (कांस्टेबल से स.अ.नि. तक)	28.08.2014 से 16.09.2014	जेएपीटीसी, पदमा	07/25.02.2015	250	396	646
4	प्रोन्नतीय (स.अ.नि. से अ.नि. तक)	29.04.2016 से 09.05.2016	जेएपीटीसी, पदमा	15/30.05.2016	838	382	1220
5	प्रोन्नतीय (कांस्टेबल से स.अ.नि. तक)	18.01.2016 से 24.01.2016	जेएपीटीसी, पदमा	11/08.04.2016	672	100	772
6	प्रोन्नतीय (कांस्टेबल से स.अ.नि. तक)	27.07.2017 से 05.08.2017	जेएपीटीसी, पदमा	25/21.12.2017	935	436	1371
7	प्रोन्नतीय (कांस्टेबल से स.अ.नि. तक)	09.02.2018 से 26.02.2018	जेएपीटीसी, पदमा	25/02.11.2018	713	316	1029
				उप-योग	4,060	1,902	5,962
8	बुनियादी (पु.उपा.)	28.04.2014 से 17.05.2014	जेपीए, हजारीबाग	28/13.06.2014	5	58	63
9	प्रोन्नतीय (कांस्टेबल से स.अ.नि. तक)	04.03.2016 से 17.03.2016	जेपीए, हजारीबाग	13/09.05.2016	177	27	204
10	बुनियादी (अ.नि.)	14.09.2013 से 09.10.2013	जेपीए, हजारीबाग	56/01.11.2013	212	37	249
				उप-योग	394	122	516
11	बुनियादी	05.06.2013 से 21.06.2013	जेडब्लूएफएस, नेतरहाट	33/11.07.2013	339	33	372
12	प्रोन्नतीय (कांस्टेबल से स.अ.नि. तक)	29.01.2018 से 11.02.2018	जेडब्लूएफएस, नेतरहाट	19/06.08.2018	118	677	795
13	प्रोन्नतीय (कांस्टेबल से स.अ.नि. तक)	17.04.2017 से 05.05.2017	जेडब्लूएफएस, नेतरहाट	15/31.10.2017	718	75	793
				उप-योग	1,175	785	1,960
14	बुनियादी (पुलिस चालक)	03.06.2013 से 12.06.2013	टीटीएस, जमशेदपुर	36/06.08.2013	0	193	193
15	बुनियादी (पुलिस चालक)	03.02.2014 से 10.02.2014	टीटीएस, जमशेदपुर	13/12.03.2014	123	52	175
16	बुनियादी (पुलिस चालक)	15.09.2016 से 22.09.2016	टीटीएस, जमशेदपुर	31/21.10.2016	9	9	18
				उप-योग	132	254	386
				कुल योग	5,761	3,063	8,824

परिशिष्ट-2.1.11

(कंडिका 2.1.14.2 में संदर्भित; पृष्ठ 41)

प्रशिक्षण के दौरान लक्ष्याभ्यास में कमी को दिखाती विवरणी

प्रशिक्षण संस्थान/ जिला/ सशस्त्र बटालियन के नाम	वर्ष	संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम (दिन)	अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रति प्रशिक्षु द्वारा उपयोग होने वाले कारतूस की कुल संख्या	प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले व्यक्तियों की संख्या	मानदंड के अनुसार सभी प्रशिक्षुओं के द्वारा उपयोग होने वाले कारतूस की कुल संख्या	वास्तविकता में प्रयुक्त कारतूस की कुल संख्या	प्रयुक्त कारतूस का प्रतिशत
जैप-2, राँची	2017-18	बुनियादी (169 दिन)	290	784	227360	12420	5
	2016	रिफ्रेशर	30	205	6150	2050	33
	2016-17	एसपीसी (128 दिन)	50	201	10050	6050	60
जैप-10, राँची	2015-16	बुनियादी (169 दिन)	290	79	22910	13430	59
	2013	रिफ्रेशर	30	45	1350	325	24
	2014	रिफ्रेशर	30	117	3510	2150	61
	2015	रिफ्रेशर	30	141	4230	2894	68
जैप-3, धनबाद	2015-16	बुनियादी (169 दिन)	290	124	35960	25495	71
	2016-17	बुनियादी (169 दिन)	290	317	91930	67190	73
	2018-19	बुनियादी (214 दिन)	310	445	137950	59591	43
	2015	रिफ्रेशर	30	225	6750	3375	50
	2016	रिफ्रेशर	30	250	7500	3750	50
सीआईएटी, टैंडरगाम	2016-17	सीआईएटी (9 हफ्ते)	110	71	7810	7200	92
	2016-17	सीआईएटी (9 हफ्ते)	110	46	5060	4600	91
	2016-17	सीआईएटी (9 हफ्ते)	110	66	7260	5610	77
	2017-18	एसएटी (8 हफ्ते)	167	48	8016	6960	87
	2017-18	एसएटी (2 हफ्ते)	151	43	6493	5891	91
	2017-18	एसएटी (2 हफ्ते)	151	49	7399	6811	92
	2017-18	एसएटी रिफ्रेशर	151	50	7550	6530	86
	2017-18	एसएटी रिफ्रेशर	151	50	7550	6950	92
	2017-18	एसएटी रिफ्रेशर	151	50	7550	6950	92
	2017-18	एसएटी रिफ्रेशर	151	50	7550	6950	92
एसएसपी, धनबाद	2013	रिफ्रेशर	30	90	2700	1355	50
	2014	रिफ्रेशर	30	147	4410	2185	50
	2015	रिफ्रेशर	30	141	4230	2115	50
	2016	रिफ्रेशर	30	60	1800	900	50
	2017	रिफ्रेशर	30	44	1320	660	50
	2018	रिफ्रेशर	30	133	3990	1995	50
	2016-17	एसएलसी(128 दिन)	100	88	8800	6120	70
	2016-17	बुनियादी (169 दिन)	290	39	11310	7800	69
जैप-5, देवघर	2017-18	बुनियादी (169 दिन)	290	256	74240	51200	69
	2014	रिफ्रेशर	30	218	6540	1760	27
	2015	रिफ्रेशर	30	224	6720	3205	48
	2016-17	बुनियादी (169 दिन)	290	39	11310	7800	69

प्रशिक्षण संस्थान/ जिला/ सशस्त्र बटालियन के नाम	वर्ष	संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम (दिन)	अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रति प्रशिक्षु द्वारा उपयोग होने वाले कारतूस की कुल संख्या	प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले व्यक्तियों की संख्या	मानदंड के अनुसार सभी प्रशिक्षुओं के द्वारा उपयोग होने वाले कारतूस की कुल संख्या	वास्तविकता में प्रयुक्त कारतूस की कुल संख्या	प्रयुक्त कारतूस का प्रतिशत
सीआईएटी, पदमा	2013-14	सीआईएटी (9 हफ्ते)	110	165	18150	12375	68
	2014-15	सीआईएटी (9 हफ्ते)	110	209	22990	5075	22
	2014-15	सीआईएटी (9 हफ्ते)	110	149	16390	11187	68
	2014-15	सीआईएटी (9 हफ्ते)	110	189	20790	14187	68
	2015-16	सीआईएटी (9 हफ्ते)	110	175	19250	13137	68
	2018-19	सीआईएटी (9 हफ्ते)	110	132	14520	9924	68
	2018-19	सीआईएटी (9 हफ्ते)	110	131	14410	9849	68
	2015-16	एसएटी (8 हफ्ते)	167	36	6012	5592	93
	2015-16	एसएटी (8 हफ्ते)	167	69	11523	10719	93
	2016-17	एसएटी (8 हफ्ते)	167	69	11523	10719	93
	2016-17	एसएटी (8 हफ्ते)	167	98	16366	15214	93
	2016-17	एसएटी (8 हफ्ते)	167	69	11523	10719	93
	2017-18	एसएटी (8 हफ्ते)	167	66	11022	10254	93
जेडब्लूएफएस, नेतरहाट	2013-14	एसपीसी (128 दिन)	50	179	8950	4815	54
	2014-15	एसपीसी (128 दिन)	50	535	26750	5500	21
	2015-16	एसएलसी(128 दिन)	100	25	2500	140	6
	2017-18	एसपीसी (128 दिन)	50	800	40000	6806	17
	2017-18	एसपीसी (128 दिन)	50	802	40100	380	1
टीटीएस, जमशेदपुर	2017-18	बुनियादी (169 दिन)	290	271	78590	56910	72
एसपी, देवघर	2014	रिफ्रेशर	30	75	2250	1360	60
	2015	रिफ्रेशर	30	155	4650	2325	50
	2016	रिफ्रेशर	30	95	2850	2300	81
	2018	रिफ्रेशर	30	43	1290	430	33
एसपी, गोड्डा	2014	रिफ्रेशर	30	191	5730	2459	43
	2015	रिफ्रेशर	30	102	3060	1445	47
	2017	रिफ्रेशर	30	65	1950	975	50
	2018	रिफ्रेशर	30	15	450	225	50
कुल				9806			

(स्रोत: नमूना जाँचित इकाईयाँ)

परिशिष्ट-2.1.12

(कंडिका 2.1.14.3 में संदर्भित; पृष्ठ 42)

नमूना जाँचित पुलिस इकाईयों में हुए वार्षिक लक्ष्याभ्यास को दिखाती विवरणी

क्र.सं.	जिला/ सशस्त्र बटालियन के नाम	2014 से 2018 तक में कुल कार्यरत बल	2013 से 2018 के दौरान वार्षिक लक्ष्याभ्यास करने वाले पुलिसकर्मियों की कुल संख्या (प्रतिशत में)	40 राउंड प्रति व्यक्ति की दर से फायर होने वाले कुल राउंड.	वास्तविक रूप में फायर कुल राउंड (प्रतिशत)	प्रतिशत में कमी
1	धनबाद	14,649	48 (1)	1,920	466 (24)	76
2	देवघर	5,519	2,493 (45)	99,720	52,040 (52)	48
3	गोड्डा	3,637	1,032 (28)	41,280	13,017 (32)	68
4	हजारीबाग	5,690	3,118 (55)	1,24,720	79,154 (63)	37
5	लातेहार	6,271	1,577 (25)	63,080	56,537 (90)	10
6	जैप-10	6,131	3,119 (51)	1,24,760	46,860 (38)	62
7	जैप-3	4,438	2,085 (47)	83,400	33,481 (40)	60
8	जैप-5	4,148	500 (12)	20,000	14,300 (72)	28
9	जैप-7	4,572	819 (18)	32,760	22,920 (70)	30
10	आईआरबी-2	4,057	3,829 (94)	1,53,160	1,05,440 (68)	32
	कुल	59,112	18,620 (32)	7,44,800	4,24,215 (57)	43

(स्रोत: नमूना जाँचित इकाईयाँ)

परिशिष्ट-2.1.13

(कंडिका 2.1.15.1 में संदर्भित; पृष्ठ 45)

नमूना जाँचित जिलों में मोबाइल फॉरेंसिक इकाईयों (वैन) की स्थिति

क्र. सं.	जिला	वैन की उपलब्धता/ पंजीयन संख्या	सक्रिय किट की उपलब्धता	सक्रिय/ निष्क्रिय	अभियुक्ति
1	राँची	हाँ जेएच01जेड 4816	नहीं	निष्क्रिय	किट कालातीत पाए गए थे तथा वर्तमान में वैन निष्क्रिय पड़ा था। लॉग-बुक भी संधारित नहीं पाए गए।
2	हजारीबाग	हाँ जेएच02एच 6526	नहीं	निष्क्रिय	किट उपलब्ध नहीं पाए गए थे तथा वैन को अन्य सरकारी कार्यों में प्रयोग किया गया था। वर्तमान में वैन निष्क्रिय पड़ा था।
3	देवघर	हाँ जेएच15बी 3425	नहीं	निष्क्रिय	किट उपलब्ध नहीं पाए गए अथवा कालातीत थे तथा वैन को अन्य सरकारी कार्यों में प्रयोग किया गया था। वर्तमान में वैन निष्क्रिय पड़ा था।
4	गोड्डा	हाँ जेएच17ए 9642	नहीं	निष्क्रिय	
5	कोडरमा	हाँ जेएच12ए 7495	नहीं	निष्क्रिय	वैन से सम्बंधित सूचना लेखापरीक्षा को नहीं दी गयी। तथापि, एसएफएसएल के अभिलेखों से पता चला कि वैन दौड़ने की स्थिति में नहीं था क्योंकि इसमें अधिक मरम्मत की जरूरत थी।
6	पूर्वी सिंहभूम	हाँ जेएच05वी 5671	नहीं	सक्रिय	किट कालातीत थे तथा वैन को अन्य सरकारी कार्यों में भी प्रयोग किया गया था।
7	धनबाद	हाँ जेएच10एम 8446	नहीं	सक्रिय	

स्रोत: सम्बंधित जिलों के द्वारा दी गयी सूचना

परिशिष्ट-2.1.14

(कंडिका 2.1.15.3 में संदर्भित; पृष्ठ 47)

31 मार्च 2018 को एसएफएसएल में गैर-तकनीकी कर्मियों का स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल

क्र.सं.	पद	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्तियां
1	अनुभाग अधिकारी	1	0	1
2	आशुलिपिक	9	0	9
3	सहायक	6	0	6
4	विपत्र लिपिक	1	0	1
5	सामान्य लिपिक	2	0	2
6	चालक	26	1	25
7	वर्ग-‘घ’	15	0	15
8	माली	2	0	2
9	फराश	1	1	0
10	प्रयोगशाला वाहक	10	1	9
11	बिसरा कटर	2	1	1
12	लेखापाल	2	1 (प्रतिनियुक्ति पर)	1
13	भंडार पाल	1	0	1
14	लिपिक	4	1	3
15	टंकक	2	1	1
16	पुस्तकालय अध्यक्ष	1	0	1
17	अनुसेवक	20	0	20
18	चपरासी	7	1	6
	कुल	112	8	104 (92.86)

स्रोत: निदेशक, राज्य विधि-विज्ञान प्रयोगशाला, राँची

परिशिष्ट-2.1.15

(कंडिका 2.1.15.4 में संदर्भित; पृष्ठ 48)

एसएफएसएल में लंबित मामलों का प्रभागवार उम्र विश्लेषण दिखाती विवरणी

वर्ष	भौतिकी	प्राक्षेपिकी	विस्फोटक	जीव विज्ञान	रक्तोदक विज्ञान	डीएनए	विष विज्ञान	सामान्य रसायन शास्त्र	एनडीपीएस	कुल
2000 से पहले	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	05	शुन्य	शुन्य	05
2000-2010	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	04	49	शुन्य	53
2011	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	265	58	शुन्य	323
2012	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	504	49	शुन्य	553
2013	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	539	32	शुन्य	571
2014	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	375	44	शुन्य	419
2015	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	272	54	शुन्य	326
2016	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	411	130	शुन्य	541
2017	शुन्य	02	19	शुन्य	शुन्य	06	456	315	26	824
2018	01	13	66	128	35	133	567	197	40	1180
कुल	01	15	85	128	35	139	3398	928	66	4795

स्रोत: एसएफएसएल, राँची के द्वारा दी गयी सूचना

परिशिष्ट-2.1.16

(कंडिका 2.1.15.5 में संदर्भित; पृष्ठ 49)

एसएफएसएल में उपकरणों की आवश्यकता की स्थिति

क्र.सं.	उपकरण	परिमाण	प्रभाग
1	अनुवांशिक विश्लेषक 24 केशिका सरणी	1	डीएनए
2	आधुनिक पीसीआर मशीन	1	
3	विद्यमान पीसीआर के उन्नयन हेतु सॉफ्टवेयर	1	
4	उपर्युक्त हेतु एक वर्ष के किट एवं कन्जुमेबल	1	
5	सहायक उपकरण के साथ बोरोस्कोप	1	प्राक्षेपिक
6	डिजिटल तुला	1	
7	फ्रीज	2	विष विज्ञान
8	गर्म वायु अवन	2	
9	जल स्नान	2	
10	युवी प्रकाश स्रोत	1	विस्फोटक
11	टीएलसी प्लेट कोटर	1	
12	गर्म वायु अवन	1	
13	इंडक्शन अवन	1	
14	डिजिटल तुला	1	
15	डिजिटल पीएच मापक	1	
16	डिजिटल तुला	1	भौतिकी
17	3डी स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप	1	
18	आवर्धक, छन्नी एवं वैकल्पिक प्रकाश स्रोत की सरणी	1	
19	एक्स-रे प्रतिदीप्ति (एक्स आर एफ)	1	
20	ग्लास अपवर्तक सूचकांक मापी (जीआरआईएम) प्रणाली	1	

स्रोत: एसएफएसएल, राँची के द्वारा दी गयी सूचना

परिशिष्ट-2.1.17

(कंडिका 2.1.16 में संदर्भित; पृष्ठ 50)

झा.पु.हा.काँ.लि. द्वारा लिये गए कार्यों का विवरण

₹ करोड़ में

वर्ष	कार्य	लिये गए कार्यों की संख्या	एकरारित मूल्य	पूर्ण कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों पर व्यय	अपूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्यों पर व्यय	कुल व्यय
2014-15	आवासीय	3	6.78	3	7.30	0	0.00	7.30
	पुलिस केंद्र	11	18.84	11	20.30	0	0.00	20.30
	थाना	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
	प्रशिक्षण	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
	अन्य	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
	कुल	14	25.62	14	27.6	0	0.00	27.60
2015-16	आवासीय	12	26.48	11	25.27	1	1.63	26.90
	पुलिस केंद्र	37	31.16	37	34.16	0	0.00	34.16
	थाना	5	0.49	5	0.55	0	0.00	0.55
	प्रशिक्षण	5	6.62	5	7.54	0	0.00	7.54
	अन्य	1	0.09	1	0.10	0	0.00	0.10
	कुल	60	64.84	59	67.62	1	1.63	69.25
2016-17	आवासीय	11	28.73	8	15.32	3	3.93	19.25
	पुलिस केंद्र	29	38.13	26	33.55	3	5.01	38.56
	थाना	27	41.53	27	43.06	0	0.00	43.06
	प्रशिक्षण	24	131.06	15	70.90	9	18.57	89.47
	अन्य	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
	कुल	91	239.45	76	162.83	15	27.51	190.34
2017-18	आवासीय	4	56.00	0	0.00	4	3.95	3.95
	पुलिस केंद्र	26	69.00	18	12.08	8	5.88	17.96
	थाना	7	3.02	5	1.43	2	0.80	2.23
	प्रशिक्षण	11	17.05	5	3.18	6	3.66	6.84
	अन्य	13	4.30	12	3.88	1	0.12	4.00
	कुल	61	149.37	40	20.57	21	14.41	34.98
कुल	आवासीय	30	117.99	22	47.89	8	9.51	57.40
	पुलिस केंद्र	103	157.13	92	100.09	11	10.89	110.98
	थाना	39	45.04	37	45.04	2	0.80	45.84
	प्रशिक्षण	40	154.73	25	81.62	15	22.23	103.85
	अन्य	14	4.39	13	3.98	1	0.12	4.10
	कुल	226	479.28	189	278.62	37	43.55	322.17

स्रोत: झा.पु.हा.काँ.लि. द्वारा दी गयी सूचना

परिशिष्ट-2.1.18

(कंडिका 2.1.16.1 में संदर्भित; पृष्ठ 51)

आवासीय क्वार्टर की स्थिति

क्र.सं.	नमूना जाँचित जिले/इकाई	मार्च 2018 को स्वीकृत बल	मार्च 2018 को कार्यरत बल			उपलब्ध क्वार्टर			कार्यरत बल के अनुसार संतुष्टि स्तर		
			अधिकारी	यू.एस (नि. से स.अ.नि.)	एल.एस (हवलदार एवं कांस्टेबल)	अधिकारी	यू.एस (नि. से स.अ.नि.)	एल.एस (हवलदार एवं कांस्टेबल)	अधिकारी	यू.एस (नि. से स.अ.नि.)	एल.एस (हवलदार एवं कांस्टेबल)
1	देवघर	1470	5	237	969	3	54	48	60.0	22.8	5.0
2	धनबाद	3768	11	570	2466	10	21	191	90.9	3.7	7.7
3	गोड्डा	981	4	187	590	2	8	4	50.0	4.3	.7
4	हजारीबाग	2673	7	296	1709	6	81	228	85.7	27.4	13.3
5	पूर्वी सिंहभूम	3958	13	564	2556	0	177	255	0.0	31.4	10.0
6	जामताड़ा	1166	4	142	769	2	5	32	50.0	3.5	4.2
7	कोडरमा	1079	4	148	743	2	69	118	50.0	46.6	15.8
8	लातेहार	1750	6	202	1153	2	25	36	33.3	12.4	3.1
9	राँची	6088	16	1207	4107	4	192	268	25.0	15.9	6.5
उप-योग		22932	70	3553	15062	31	632	1180	44.3	17.8	7.8
1	जैप-1	1777	5	114	1563	1	69	464	20.0	60.5	29.7
2	जैप-2	1086	2	51	900	4	32	80	200.0	62.7	8.9
3	जैप-3	1039	2	52	878	2	5	133	100.0	9.6	15.1
4	जैप-5	1061	3	49	825	0	34	122	0.0	69.4	14.8
5	जैप-6	1041	4	54	929	0	36	168	0.0	66.7	18.1
6	जैप-7	1160	4	50	940	0	0	0	0.0	0.0	0.0
7	जैप-10	1323	5	43	1143	5	16	48	100.0	37.2	4.2
8	आईआरबी-1	927	3	23	371	5	16	32	166.7	69.6	8.6
9	आईआरबी -2	984	3	27	725	0	0	0	0.0	0.0	0.0
10	सैप-1	1325	1	127	1147	0	0	0	0.0	0.0	0.0
11	सैप-2	1325	1	100	1180	0	0	0	0.0	0.0	0.0
उप-योग		13048	33	690	10601	17	208	1047	27.0	20.7	8.0
कुल योग		35980	103	4243	25663	48	840	2227	36.1	18.4	7.9
चार इकाईयाँ जहाँ कोई आवासीय क्वार्टर नहीं है		4794	9	304	3992	0	0	0	0.00	0.00	0.00
सोलह इकाईयाँ के आवासीय क्वार्टर		31186	94	3939	21671	48	840	2227	51.06	21.32	10.28

परिशिष्ट-2.1.19

(कंडिका 2.1.16.2 में संदर्भित; पृष्ठ 52)

पुलिस केंद्र का निर्माण

पुलिस केंद्र	कार्यकारी एजेंसी	किया गया व्यय (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा परिणाम
जैप-7, हजारीबाग	भवन प्रमंडल, हजारीबाग	19.56	<p>मुख्य अभियंता (मु.अभि), भवन निर्माण विभाग (भनिवि) ने ₹ 8.87 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति दी (दिसंबर 2004) और प्रशासनिक स्वीकृति (प्र.स्वी.) के लिए विभाग को अनुरोध किया (दिसंबर 2004 और अक्टूबर 2010 के बीच)। विभाग ने निर्माण स्थल को प्रदान (फरवरी 2006), ले आउट प्लान की मंजूरी (जुलाई 2008) तथा कार्यकारी एजेंसी को ₹ चार करोड़ (जनवरी 2006 और फरवरी 2009) अग्रिम दिया। हालांकि, विभाग ने कार्य के लिए प्र.स्वी. की सहमति नहीं दी और प्र.स्वी. प्रदान करने हेतु मु.अभि को संशोधित प्राक्कलन जमा करने को कहा (जुलाई 2008)।</p> <p>हालांकि, संशोधित प्राक्कलन को प्रस्तुत किए बिना, कार्यकारी एजेंसी ने कार्य को 18 महीने के भीतर पूरा करने हेतु एक संवेदक को ₹ 10.39 करोड़ के मूल्य पर प्रदान किया (दिसंबर 2007)। कार्यकारी एजेंसी ने ₹ 4.68 करोड़ मूल्य के कार्य के निष्पादन के विरुद्ध संवेदक को ₹ चार करोड़ भुगतान किया (मार्च 2009 से फरवरी 2013 के बीच)। शेष भुगतान के लिए, संवेदक ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया (जून 2012)। न्यायालय के आदेश के आलोक में, विभाग ने कार्यकारी एजेंसी को ₹ 75 लाख दिए (जनवरी 2013)। जिसमें से, ₹ 68 लाख संवेदक को भुगतान किया गया तथा समझौता बंद कर दिया गया (जनवरी 2013)। अवशेष कार्य हेतु ₹ 19.13 करोड़ की संशोधित तकनीकी स्वीकृति मु.अभि, भनिवि द्वारा दी गई (दिसंबर 2016), जिसके विरुद्ध विभाग ने निष्पादित कार्य के मूल्य सहित ₹ 23.81 करोड़ की प्र.स्वी. प्रदान की (अप्रैल 2017)। ₹ 15.42 करोड़ के अवशिष्ट कार्य को फरवरी 2018 तक पूरा करने के लिए फिर से शुरू किया गया (जुलाई 2017)। हालांकि, मार्च 2019 तक ₹ 19.56 करोड़ (पूर्व भुगतान सहित) के खर्च के बाद भी काम अधूरा था।</p>
कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा तथा गिरिडीह	केन्द्रीय लोक निर्माण प्रमंडल, राँची तथा धनबाद	150.65	<p>गृ.मं ने इन पुलिस केंद्रों के निर्माण के लिए कें.लो.नि.वि. को कार्यकारी एजेंसी के रूप में नामित किया (अगस्त 2006) और कार्यकारी एजेंसी को ₹ चार करोड़ जारी किए। विभाग ने कार्यकारी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत (मई 2008 और फरवरी 2009) प्रारंभिक अनुमानों के आधार पर ₹ 126.52 करोड़ का प्र.स्वी. प्रदान किया (फरवरी और सितंबर 2009)। विभाग ने कार्यकारी एजेंसी को जनवरी 2007 और मार्च 2015 के बीच ₹ 108.97 करोड़ विमुक्त किया।</p> <p>वर्ष 2009-19 के दौरान एजेंसी ने 24 महीने के भीतर काम पूरा करने हेतु ₹ 143.28 करोड़ के सिविल (46) और इलेक्ट्रिकल (34) कार्यों के लिए 80 एकरारनामा किया। इनमें से, 2011-12 तक निष्पादित ₹ 117.22 करोड़ के 35 एकरारनामा, निविदा लागत (₹ 90.54 करोड़) से 10 प्रतिशत से 114</p>

पुलिस केंद्र	कार्यकारी एजेंसी	किया गया व्यय (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा परिणाम
			<p>प्रतिशत तक अधिक के उच्च दर पर थे। हालांकि, कार्यो के निष्पादन के दौरान, कार्यकारी एजेंसी ने कें.लो.नि.वि. मैनुअल⁴ के तहत विभाग को लागत दरों में वृद्धि के बारे में अवगत नहीं कराया ताकि विभाग पहले ही आवश्यक धन की व्यवस्था करने में सक्षम हो सके। बदले में, सीपीडब्ल्यूडी ने मूल अनुमोदन के संबंध में विभाग से शेष राशि की मांग की (सितंबर 2011 और मार्च 2016 के बीच), जो पु.मु. द्वारा 2015-16 में प्रदान की गई।</p> <p>अंततः, कार्यकारी एजेंसी (मार्च 2016 और फरवरी 2017) ने मूल्य सूचकांक में वृद्धि, बाद की तारीखों में कार्य के दायरे में परिवर्तन तथा पु.मु द्वारा रुक रुक कर धनराशि जमा करने के आधार पर ₹ 173.04⁵ करोड़ का संशोधित प्रारंभिक प्राक्कलन प्रस्तुत किया। विभाग ने अंत में परियोजनाओं को पूरा करने हेतु अपेक्षित खर्च की मात्रा के आधार पर ₹ 157.52⁶ करोड़ का संशोधित प्र.स्वी. स्वीकृत किया (जून 2017) और कार्यकारी एजेंसी को ₹ 48.54 करोड़ का अवशेष निधि प्रदान किया (अप्रैल 2015 और मई 2018 के बीच)। हालांकि, परियोजनाएं⁷ ₹ 150.65⁸ करोड़ के खर्च के बाद जून 2019 तक पूरी नहीं हो सकी थी।</p>

⁴ कें.लो.नि.वि. मैनुअल के खंड 3.1 के अनुसार, याचक को अतिरिक्त राशि समय पर प्रदान करने में सक्षम करने के लिए जब भी व्यय प्रारंभिक अनुमान के आँकड़े से अधिक होने का अनुमान लगाया जाता है, तो कार्य के निष्पादन के दौरान याचक को एक संशोधित प्रारंभिक अनुमान समय रहते प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

⁵ गिरिडीह: ₹ 41.78 करोड़, कोडरमा: ₹ 41.78 करोड़, लातेहार: ₹ 44.55 करोड़ तथा लोहरदगा: ₹ 44.93 करोड़

⁶ गिरिडीह: ₹ 38 करोड़, कोडरमा: ₹ 38.92 करोड़, लातेहार: ₹ 39.85 करोड़ तथा लोहरदगा: ₹ 40.75 करोड़

⁷ अधिकारियों के लिए आवासीय भवन का निर्माण, अतिथि भवन, अस्पताल भवन, बहु-उद्देशीय हॉल तथा लातेहार में भीतरी सड़क एवं पाइप बिछाने सहित परिसर विकास कार्य, लोहरदगा में भीतरी सड़क एवं पाइप बिछाने सहित परिसर विकास कार्य तथा सभी पुलिस केंद्रों में विद्युतीकरण का कार्य अंशतः पूर्ण थे

⁸ गिरिडीह: ₹ 37.68 करोड़, कोडरमा: ₹ 38.68 करोड़, लातेहार: ₹ 35.32 करोड़ तथा लोहरदगा: ₹ 38.97 करोड़

परिशिष्ट-2.1.20

(कंडिका 2.1.16.3 में संदर्भित; पृष्ठ 53)

नमूना जाँचित थानों एवं चौकियों में आधारभूत सुविधाओं की कमी

क्र.सं.	नमूना जाँचित जिले	नमूना जाँचित थानों एवं चौकियों की संख्या	भवन संरचना						सुरक्षा/ संरक्षा			अन्य सुविधाएं						
			स्वयं	पृथक लॉकअप	पृथक प्रसाधन	आयुधगार	चाहरदीवारी	कंटीले तार का बाड़	वाँच टॉवर	सुरक्षा चौकी	अलार्म व्यवस्था	दूरसंचार	फैक्स	सीसीटीवीएनएस	परिसर/कार्यालय में सीसीटीवी	लॉकअप में सीसीटीवी	जेनरेटर	जीपीएस युक्त वाहन
1	देवघर	6	3	3	6	5	2	2	4	4	5	6	5	2	5	6	3	6
2	धनबाद	8	2	3	5	7	0	0	8	5	8	4	8	3	2	2	5	3
3	गोड्डा	6	1	2	2	1	4	3	4	2	5	2	2	1	5	5	2	4
4	हजारीबाग	7	4	3	6	6	3	3	6	6	7	7	7	5	7	7	3	5
5	पूर्वी सिंहभूम	8	5	7	6	8	7	7	8	7	8	2	8	4	7	8	5	7
6	जामताड़ा	6	2	0	4	5	2	3	4	4	5	2	6	1	6	6	2	6
7	कोडरमा	8	3	8	4	8	1	1	3	7	8	4	8	3	8	8	2	8
8	लातेहार	5	0	0	0	1	1	1	2	1	3	3	4	1	4	5	1	5
9	राँची	8	4	1	6	6	2	2	8	8	8	2	8	2	3	0	5	6
	कुल	62	24	27	39	47	22	22	47	44	57	32	56	22	47	47	28	50

स्रोत: थानों एवं चौकियों द्वारा दी गयी सूचना।

परिशिष्ट-2.1.21

(कंडिका 2.1.17.2 में संदर्भित; पृष्ठ 61)

नमूना जाँचित जिले के अभियानों की विवरणी

क्र.सं.	नमूना जाँचित जिले	वर्ष	सीएपीएफ द्वारा किया गया अभियान	राज्य बलों (रा.स.पु.ब., जि.स.पु.ब. व जेजे (एसटीएफ) द्वारा किया गया अभियान	संयुक्त रूप से किये गए अभियानों की संख्या	कुल किये गए अभियानों की संख्या
1	देवघर	2014 से अक्टू-18	कोई अभियान नहीं हुए			
2	धनबाद	2014	72	0	0	72
		2015	73	0	0	73
		2016	83	0	0	83
		2017	162	0	0	162
		2018 (दिस-18 तक)	165	4	0	169
		कुल	555	4	0	559
3	गोड्डा	2014	1	10	12	23
		2015	0	0	22	22
		2016	1	0	25	26
		2017	17	0	16	33
		2018 (सित-18 तक)	32	0	15	47
		कुल	51	10	90	151

4	हजारीबाग	2015-16	136	0	0	136
		2016-17	222	0	0	222
		2017-18	405	0	0	405
		कुल	763	0	0	763
5	पूर्वी सिंहभूम	2014	129	3	0	132
		2015	103	0	50	153
		2016	272	0	0	272
		2017	256	24	0	280
		2018 (अक्टू-18 तक)	172	31	8	211
		कुल	932	58	58	1048
6	जामताड़ा	2014 से अक्टू-18 तक	कोई अभियान नहीं हुए			
7	कोडरमा	2014	0	0	3	3
		2015	0	0	36	36
		2016	0	0	6	6
		2017	0	0	170	170
		2018 (अक्टू-18 तक)	0	0	172	172
		कुल	0	0	387	387
8	लातेहार	2014	51	2	59	112
		2015	42	3	82	127
		2016	63	6	101	170
		2017	72	39	116	227
		2018 (मार्च-18 तक)	12	3	25	40
		कुल	240	53	383	676
9	राँची	2014	147	20	0	167
		2015	125	3	0	128
		2016	95	13	48	156
		2017	205	44	26	275
		2018 (अक्टू-18 तक)	154	75	213	442
		कुल	726	155	287	1168
कुल		2014	400	35	74	509
		2015	343	6	190	539
		2016	650	19	180	849
		2017	934	107	328	1369
		2018	940	113	433	1486
		कुल	3,267	280	1,205	4,752

स्रोत: नमूना जाँचित जिलों के आँकड़े।

परिशिष्ट-2.1.22

(कंडिका 2.1.17.2 में संदर्भित; पृष्ठ 61)

जेजे (एसटीएफ) द्वारा किये गए अभियानों की विवरणी

वर्ष	अभियान में शामिल एजी की संख्या	जिला एवं राज्य सशस्त्र पुलिस के साथ हुए अभियान	केन्द्रीय बल के साथ हुए अभियान	कुल किये गए अभियान	प्रति हमलावर समूह प्रतिवर्ष अभियान
2014	32	42	304	346	11
2015	32	70	216	286	9
2016	32	106	190	296	10
2017	40	401	346	747	19
2018 (नवंबर तक)	40	265	436	701	18
कुल	176	884	1492	2376	14

स्रोत: जेजे (एस.टी.एफ.) के आँकड़े।

परिशिष्ट-2.1.23

(कंडिका 2.1.18.1 में संदर्भित; पृष्ठ 64)

नमूना जाँचित जिलों में लंबित मामले

क्र.सं	नमूना जाँचित जिले/इकाई	तक लंबित मामले	से लंबित मामले				कुल	सबसे पुराने मामले का वर्ष
			6 वर्ष से अधिक	4 से 6 वर्ष	1 से 3 वर्ष	1 वर्ष तक		
1	देवघर	सित-18	21	125	540	1039	1725	2001
2	धनबाद	दिस-18	143	181	545	799	1668	1998
3	गोड्डा	जन-19	17	18	148	739	922	1992
4	हजारीबाग	दिस-18	202	273	1276	1506	3257	2002
5	पूर्वी सिंहभूम	सित-18	37	46	402	1531	2016	1992
6	जामताड़ा	जन-19	4	22	196	202	424	2011
7	कोडरमा	दिस-18	3	11	102	242	358	2003
8	लातेहार	दिस-18	5	13	105	216	339	2010
9	राँची	अक्टू-18	92	290	944	2133	3459	1985
	कुल		524	979	4258	8407	14168	

स्रोत: नमूना जाँचित जिलों के आँकड़े।

परिशिष्ट-2.1.24

(कंडिका 2.1.18.2 में संदर्भित; पृष्ठ 64)

जिला-स्तरीय साइबर थानों के स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल

क्र.सं.	पद	प्रत्येक साइबर थानों के स्वीकृत बल	जामताड़ा		देवघर		गिरिडीह		धनबाद		जमशेदपुर		पलामू		कुल		
			कार्यरत बल	कमी	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	कमी										
1	निरीक्षक	7	5	2	7	0	4	3	1	6	3	4	2	5	42	22	20
2	उप-नि.	3	0	3	2	1	3	0	0	3	1	2	5	-2	18	11	7
3	अवर-नि.	0	0	0	1	-1		0	0	0	0	0	0	0	0	1	-1
4	हवलदार	3	0	3	0	3		3	0	3	0	3	0	3	18	0	18
5	कांस्टेबल	12	7	5	1	11	7	5	3	9	5	7	8	4	72	31	41
6	चालक कांस्टेबल	3	0	3	0	3		3	0	3	0	3	1	2	18	1	17
कुल		28	(43)	(57)	(39)	(61)	(50)	(50)	(14)	(86)	(32)	(68)	(57)	(43)	168	(39)	(61)

स्रोत: विभाग द्वारा दी गयी सूचना।

परिशिष्ट-3.1.1

(कड़िका 3.1.1 में संदर्भित; पृष्ठ 71)

22 नमूना जाँचित विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन के विरुद्ध डेस्क-बेंचों के अधिक एवं कम आपूर्ति को दिखाती विवरणी

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	प्राप्त सूचना				जून 2019 में भौतिक सत्यापन के परिणाम				अभियुक्ति
		कुल नामांकन (2014-15)	आवश्यक कुल डेस्क-बेंच	प्रदान किये गए डेस्क-बेंच की संख्या	आधिक्य/कमी	वर्तमान नामांकन (2019-20)	डेस्क-बेंच की वर्तमान आवश्यकता	वर्तमान में उपलब्ध डेस्क-बेंच की संख्या	आधिक्य/कमी	
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी	एच	आई	जे	के
1	+2 उच्च विद्यालय, मझगांव	1445	723	216	-507	746	373	216	-157	
2	+2 जिला स्कूल, चाईबासा	1411	706	216	-490	1707	854	216	-638	
3	राज्य सहायतित +2 उच्च विद्यालय, टोंटो	721	361	216	-145	347	174	216	42	
4	उत्क्रमित उच्च विद्यालय, उलिहातू	646	323	216	-107	अनुपलब्ध		अनुपलब्ध		
उप-योग-I					-1249				-753	
5	के.जी.बी.वि, टोंटो	390	195	216	21	495	248	216	-32	
6	के.जी.बी.वि, झींकपानी।	384	192	216	24	482	241	216	-25	
7	के.जी.बी.वि, खूटपानी	370	185	216	31	280	140	216	76	
8	परियोजना उच्च विद्यालय, झिलारुवां	368	184	216	32	448	224	216	-8	
9	के.जी.बी.वि, मझगांव	350	175	216	41	294	147	216	69	
10	उत्क्रमित उच्च विद्यालय, जतेलोधी	346	173	216	43		0		0	
11	उत्क्रमित उच्च विद्यालय, तरतरिया	280	140	216	76	164	82	216	134	
12	कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, सदर चाईबासा	264	132	216	84	276	138	216	78	

13	उत्क्रमित उच्च विद्यालय, कृष्णागढ़	244	122	216	94		0		0	
14	परियोजना उच्च विद्यालय, सोनुवां	223	112	216	104	54	27	166	139	50 डेस्क-बेंच अन्य स्कूल में स्थानांतरित हुए
15	परियोजना उच्च विद्यालय, घोड़बंधा	180	90	216	126	134	67	216	149	
16	परियोजना उच्च विद्यालय, सेरेंगदा	170	85	216	131	50	25	216	191	
17	के.जी.बी.वि, हाटगम्हरिया	150	75	216	141		0		0	
18	उत्क्रमित उच्च विद्यालय, नरसंझा	136	68	216	148	496	248	216	-32	
19	परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, खेड़ियातनगर	113	57	216	159	91	46	191	145	25 डेस्क-बेंच टूटे थे
20	परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, कोटगढ़	111	56	216	160	75	38	106	68	110 डेस्क-बेंच अन्य स्कूल में स्थानांतरित हुए
21	परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, जामडीह	87	44	216	172	72	36	116	80	100 डेस्क-बेंच अन्य स्कूल में स्थानांतरित हुए
22	परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, परसा	75	38	216	178	92	46	101	55	115 डेस्क-बेंच अन्य स्कूल में स्थानांतरित हुए
उप-योग-II					1765				1087	
समस्त आधिक्य/ कमी (यहाँ तक कि अभाव वाले स्कूलों से सामंजस्य करने के बावजूद)					516				334	

परिशिष्ट-3.1.2

(कंडिका 3.1.3 में संदर्भित; पृष्ठ 76)

दो प्रमंडलों द्वारा पाइपों के उपयोग का विवरण

जलापूर्ति योजना का नाम	एकरारनामा क्रियान्वयन की तिथि	आपूरित एवं गाड़े गए पाइप के माप व लंबाई (मीटर में)			प्रमंडल का नाम
		150 मिमी	200 मिमी	750 मिमी	
चान्हों ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना	25-09-2017	6,487	4,419	-	का.अभि., पेय. एवं
बुद्धमू एवं सटे हुए गाँव ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना	23-12-2017	5,608	4,066	-	स्व.प्र., राँची पश्चिम, राँची
टेम्पो स्टैंड टाटीसिल्वे में जलापूर्ति का सुदृढीकरण तथा विशेष सहायक पुलिस (टाटीसिल्वे सैप) में कंक्रीट संप का निर्माण	20-04-2017	500	-	-	का.अभि., पेय. एवं स्व.वि.प्र., राँची
राँची-मूरी पथ के चौड़ीकरण के कारण उषा मार्टिन टाटीसिल्वे से जलापूर्ति का स्थानांतरण	19-01-2018	-	400	-	
काँटाटोली में फ्लाईओवर के निर्माण हेतु उपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण	अगस्त 2017	1,500	30	1,500	जुडको/ पेय. एवं स्व.
कुल		14,095	8,915	1,500	

© भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agjh.cag.gov.in